खण्ड-270, अंक-8
शुक्रवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(9 दिसम्बर, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य— ३५१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमारकरुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी , काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री

सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--माल मंत्री, श्री हुकुमसिंह विसेन, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उपमंत्री श्री शिव प्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

फतेहपुर जिले में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलना

**१--श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज आदि जिला फतेहपुर को समस्त शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों को मार्च, १९६६ से जून, १९६६ तक की पिछली वर्ष की छात्रवृत्ति अब तक न देने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

कुल ७२ शिक्षा संस्थाओं में से केवल १५ शिक्षा संस्थाओं का बिल न पास होने तथा छात्रवृत्ति वितरण न होने का कारण उन संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा बिलों का समय से प्रेषित न किया जाना है।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार--

**२--क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन उप समिति फतेहपुर द्वारा मार्च, १९६६ में हरिजन अनुदान मंजूर कर देने पर भी अब तक अनुदान की किस्तें क्यों नहीं दी गईं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

१० व्यक्तियों को एक-एक किस्त तथा ८ व्यक्तियों को पूरा भुगतान किया जा चुका है। बाकी ग्रहीताओं ने कार्य आरम्भ करने की कोई सूचना या वाउचर अभी तक नहीं दी है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले साल मार्च से जून तक की छात्रवृत्ति के बिल ७२ संस्थाओं में से ७५ ने दिये हैं वह कब दिये हैं और किन तिथियों को छात्रवृत्ति दी गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह विवरण मेरे पास नहीं है। इतना विवरण है जो कि माननीय सदस्य को उत्तर द्वारा दी जा चुकी है। ७२ संस्थाओं में से केवल १५ रह गई हैं जिन का अभी पास नहीं हुआ है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

मेरी व्यक्तिगत सूचना है कि अभी किसी संस्था को नहीं दिया गया है, तो यह जवाब कि ५७ संस्थाओं को दे दिया गया है गलत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थायें जो सौतेला व्यवहार करती हैं हरिजनों के साथ उन्होंने बिल नहीं पेश किये थे और हरिजन कल्याण विभाग उनकी सुविधा के लिये मुकर्रर है तो छात्रवृत्ति समय से क्यों नही बांटी गई, क्या इस लापरवाही के लिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो शिक्षा संस्थायें समय पर बिल नहीं भेजती हैं उसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। हरिजन कल्याण विभाग की जिम्मेदारी केवल वहीं तक है कि हरिजन सहायक अधिकारी के पास बिल आता है अगर वह बिल विलम्ब से पास होता है तो वह जिम्मेदार होता है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि कितनी छात्रवृत्ति मेरिट के हिसाब से दी गई और कितनी पार्टी के हिसाब से ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह तो प्रदेश के आंकड़े मांगे हैं माननीय सदस्य ने, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी यह समझते हुए कि मंत्रिमंडल की ज्वाइन्ट रिस्पोंसिबिलिटी है, जिन १५ शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपल्स ने हरिजनों को छात्रवृत्ति की लिस्ट नहीं भेजी उनके तथा उनके मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जहां तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रिंसिपल्स की बात है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है। वे तो भेजते ही हैं और यह उनके ही हित में होता है कि अधिक से अधिक लोगों को छात्रवृत्ति मिल सके। यदि नहीं भेजते तो सीधे भी विद्यार्थी भेज सकते हैं और उन पर विचार किया जाता है।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि फतेहपुर जिले में ७२ में से ५७ को छात्रवृत्ति मिल चुकी है तो बाकी १५ के लिए तत्काल छात्रवृत्ति देने के आदेश देंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण अधिकारी जिले का अधिकारी होता है और उसे छात्रवृत्ति देने का अधिकार होता है, उसको आदेश जारी कर दिये गये हैं और बार-बार यहां से हिदायतें दी जाती है कि वह अपने यहां आये हुए प्रार्थनापत्र में विलम्ब न करें। जो संस्थायें शिक्षा देती हैं उनमें जो छात्र आते हैं वह समय से लिस्ट भेज दें तो हम उनको देने के लिये तैयार हैं और जिम्मेदारी लेते हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, दो मंत्रियों का उत्तर आया है। एक तो यह कि प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। दूसरे यह कि क्या हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर और आफिसरों

की जिम्मेदारी नहीं है कि छात्रवृत्ति समय के अंदर मिले ? माननीय सदस्यों के कहने पर भी आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन नहीं दे रही हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है वह समय पर छात्रवृत्ति वितरित करायें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जहां तक प्रश्नकर्त्ता का सम्बन्ध है मैं समझती हूं कि उन संस्थाओं से माननीय सदस्य को उत्सुकता ज्यादा होगी जिनमें उनके बालक बालिकायें पढ़ रही होंगी और उनमें बिलम्ब हुआ है। इसके अन्दर दिक्कत यह होती है कि कुछ संस्थायें सीधे डायरेक्टर, हरिजन कल्याण को भेज देती हैं बगैर समझे हुए कि यहां नहीं भेजना चाहिये बल्कि समाज कल्याण अधिकारी को भेजना चाहिये, उसमें तो विलम्ब हुआ है। जिसमें दो बिल आये और उनको कल्याण समाज अधिकारी को वापस भेजा गया। इन दो स्कूलों में विलम्ब हो गया है। वह प्रधानाचार्य के पास जाते हैं। प्रधानाचार्य भेजते हैं समाज कल्याण अधिकारी को और वह ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में पास करके उनको वापस कर देते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने जवाब दिया कि जिस स्कूल में माननीय सदस्य के रिश्तेदार या बच्चे पढ़ते हों, शायद उन्हें न मिला इस वजह से असंतोष हो। क्या इस प्रकार का व्यक्तिगत आक्षेप सरकार की तरफ से मुनासिब है ?

श्री अध्यक्ष—

व्यक्ति विशेष के बारे में उन्होंने उल्लेख नहीं किया।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह व्यक्तिगत आक्षेप हमेशा करती रहती हैं। इनकी यह आदत रही है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी आदेश देंगे कि प्रधानाचार्य ठीक समय से प्रार्थनापत्र समाज कल्याण अधिकारी को भेज दिया करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को ऐसा भ्रम हो गया है कि मैंने आक्षेप किया है। मेरा मतलब उस संस्थाओं से है जो राजकीय बालक तथा बालिका इंटर कालेज हैं। फतेहपुर में जिन संस्थाओं में विलम्ब हुआ छात्रवृत्ति मंजूर करने में उनके लिए मैंने सफाई दी कि वह बिल सीधे यहां आ गये थे जिसमें माननीय सदस्य के बच्चे पढ़ते हैं यदि उसके लिए है तो मेरे पास यह भी सूचना है कि वह भी मंजूर हो चुके हैं और मंजूरी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल तो सिर्फ यह है कि कोई व्यवस्था ऐसी हो जिससे आवेदन-पत्र शीघ्रातिशीघ्र समाज कल्याण विभाग को भेज दिये जायं। इसका जवाब दीजिये।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सुना यह जाता है कि शिक्षा विभाग से कोई सर्कुलर गया है जो कि इस तरह से सीधे बिल भेजें —

(व्यवधान)

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं उनके सम्बन्ध में शिक्षा संस्थाओं को अवगत कराया जा चुका है। विद्यालय निरीक्षक को अच्छी तरह से जानकारी होती है कि इस इस मद में मिलने वाला है। वह सबके ज्ञान में है। वहां के प्रिंसिपल अपने कर्तव्य को न पालन करें वह बात दूसरी है। वह लड़कों के हित को समझ कर जल्दी करें।

बनारस जेल में कैदी नं० ५३७३ की रिहाई में विलम्ब

*३—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सजा की मियाद बीत जाने पर भी कैदी नं० ५३७३ चक नं० ३ सेन्ट्रल जेल बनारस में बन्द है, क्या यह सही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कर रही है ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रकाश गुप्त)—

जी नहीं ।

श्री जगदीश प्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि कैदी को कितनी सजा हुई और कितनी काट चुका ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१२ वर्ष २ महीने २९ दिन की अपरिहार सजा काट चुका है । सपरिहार सजा १७ वर्ष एक महीना तथा २० दिन ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कारागार के जो कागजात हैं, उनमें १२ साल की सजा दर्ज है, किन्तु इसके विपरीत वह १७ साल की सजा काट चुका है, फिर भी वह नहीं छोड़ा जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसने १७ वर्ष की सजा काटी है । उसकी सजा पर प्रोबेशन बोर्ड ने विचार किया लेकिन माना नहीं, सजा कम नहीं हुई ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मूल प्रश्न तो श्रीमन्, यह है कि वह सजा पूरी कर चुका है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जा रहा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस कैदी की पत्नी की ओर से सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र मिला है कि उसके पति जो जेल में है वह अपनी सजा काट चुके हैं, फिर भी कागजात में गलती के कारन, वह चाहे पुलिस की गलती हो या कोर्ट की गलती, वह अभी तक जेल में पड़े हुये हैं और उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है, न कोई पत्नी का प्रार्थना पत्र आया है, लेकिन यह मुझे मालूम है कि उसे आजन्म कारावास की सजा दी गयी है और साथ में उसे १० वर्ष की कठोर कारावास की सजा और मिली हुई है । आजन्म कारावास में कम से कम २० साल की तो सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी, उससे पहले तो छोड़ा नहीं जा सकता । उसके बाद उस पर विचार किया जाता है, लेकिन वह तो उसकी मर्जी पर है नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कैदी के टिकट पर सजा भुगतने की तारीख क्या है और छोड़ने की क्या तारीख है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

श्रीमान इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

कैदी के छूटने की जब तक आपको तारीख नहीं मालूम है तब तक आप जवाब क्या दे रहे हैं ? श्रीमन्, कैदी के टिकट पर लिखा जाता है कि वह इस तारीख को छूट जायेगा, तो आप बतायें कि कितने साल की सजा बाकी पड़ी हुई है और छूटने की तारीख क्या है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

यह तो मैंने बता दिया उसे आजन्म कारावास की सजा है और जब तक वह जिन्दा है तब तक उसे जेल में रहना पड़ेगा नियम के अनुसार ।

श्री लखीसिंह—

यह कहना गलत है कि जब तक जिन्दा है तब तक सजा रहेगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम (३०४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर कलेक्टरी में तनख्वाहों की अदायगी

*१—श्री दीप नारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वेतन अभिनवीकरण आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिला शाहजहांपुर कलेक्टरी कचेहरी के कर्मचारियों व अन्य सरकारी कर्मचारियों में से किन किन को १ अप्रैल, १९६५ से अब तक की तनख्वाहों की अदायगी पूरी कर ली गई है और किन-किन की नहीं ? इस बिलम्ब का क्या कारण है ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०२०-१०२१ पर)

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से संबंधित जो सूची दी गयी है, उसमें यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जो इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी के वेतन का भुगतान दक्षता अवरोक के कारण रुका है, तो क्या यह आवश्यक है कि जब तक दक्षतारोक नहीं मिलेगा तब तक वेतन अभिनवीकरण के अनुसार उसे वेतन नहीं दिया जायेगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

देने के लिये ही यह विचार किया गया है और हजार में से ५२ को ही देना बाकी है और जिन कारणों से नहीं दिया गया है वह लिखा हुआ है ।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्रमांक १८ और १९ पर लिखा है कि उनका वेतन-निर्धारण जिला अधिकारियों ने नहीं किया । अब तक क्यों नहीं हो पाया इसका क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

स्थिति का उल्लेख तो कर दिया गया है कि इन कर्मचारियों की सेवाओं का विवरण जिलाधिकारियों को प्राप्त नहीं हो सका इसलिये वेतन का निर्धारण नहीं किया जा सका ।

इलाहाबाद में खुसरू बाग पुल की मरम्मत

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका के अन्तर्गत जनवरी, १९६६ में जो नया पुल खुसरू बाग के समीप रेलवे लाइन के ऊपर बनाया गया था और उसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने किया था वह पुल दिनांक २८-२९ जून को टूट गया है? यदि हां तो उसके तक बनाने में कितना धन व्यय हुआ था तथा उसको पुनः मरम्मत कराने में कितना व्यय होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

इस पुल के निर्माण पर उत्तर रेलवे प्रशासन ने लगभग २,२५,००० रु० तथा राज्य सरकार ने १५,७०,००० रु० व्यय किया है। गत माह जून में अधिक वर्षा के कारण पुल की सड़क का कुछ भाग दब गया था। इसके मरम्मत में २१२ रु० व्यय हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

इस पुल को बनाने में कितना धन व्यय हुआ और उसमें से कितना भाग महापालिका ने दिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने बता दी कि कितना धन राज्य सरकार ने और कितना कर्ज ने दिया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार को पता है कि पुल बनने के ६ महीने के अन्दर ही टूट गया और उसके कारण यातायात दो दिनों तक ठप रहा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

माननीय सदस्य उत्तर पढ़ने का कष्ट करें। वर्षा के कारण सड़क का कुछ भाग धंस गया और उसकी मरम्मत पर २१२ रुपये व्यय हुये।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पुल के अन्दर जो मसाला लगा सीमेंट, लोहा वगैरह वह उचित अनुपात में नहीं था इसलिये वह पुल इतनी जल्दी टूट गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

माननीय सदस्य प्रश्न और उत्तर दोनों को देखें तो पता चलेगा कि पुल के टूटने का प्रश्न नहीं था, सिर्फ सड़क का थोड़ा सा हिस्सा धंस गया था। पुल में कोई खराबी नहीं थी, न अब है।

घाटमपुर तहसील में किसानों का प्रदर्शन

*३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के समक्ष दिनांक २६ नवम्बर, सन् १९६६ को किसानों का एक विशाल प्रदर्शन तहसील में व्यापक भुखमरी एवं अकाल के संबंध में हुआ, जिसमें तहसीलदार के माध्यम से सरकार को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं तथा सरकार ने उन पर क्या तात्कालिक कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री शिवनाथसिंह—

सूचना तो एकत्रित होती रहेगी लेकिन क्या सरकार कोई प्रयास करेगी जानकारी करने की कि वहां की परिस्थिति क्या है और कैसे कितनी सहायता वहां पहुंचाई जा सकती है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सूचना एकत्रित करने के बाद ही तो कहा जा सकेगा कि वहां क्या किया जाय ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शिवराम गोपीराम व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बलिया का बिक्री-कर असेसमेंट

*१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री को पता है कि बलिया शहर के शिवराम गोपी राम नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बिक्री-कर का असेसमेंट आर्डर सन् १९५६–५७ का अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

सर्व श्री शिवराम गोपी राम, बलिया के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बिक्रीकर का सन् १९५६–५७ का असेसमेंट आर्डर १ सितम्बर, १९६६ को दे दिया गया है ।

*२—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री को उपर्युक्त प्रतिष्ठान से बिक्री-कर कार्यालय बलिया और बिक्री-कर विभाग के अधिकारियों की इस धांधली के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र अप्रैल, १९६६ के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था । बिक्री-कर आयुक्त के द्वारा उस पर जांच की जा रही है । विलम्ब के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

भेलवल—हसवापुरगूढ़ा मार्ग का सर्वेक्षण

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाराबंकी द्वारा भेलवल से हसवापुर गूढ़ा मार्ग का भूमि सर्वेक्षण ओवरसियर, हैदरगढ़ द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि सर्वेक्षण का नक्शा, और उसकी रिपोर्ट, जो १९ जनवरी, १९६५ को ओवरसियर ने दी थी, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां । ओवरसियर द्वारा भूमि सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है । ओवरसियर ने कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया था ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०२२ पर)

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि सर्वेक्षण के बाद इस १८ मील लम्बे श्रमदान मार्ग को पक्का बनाने पर कितना धन व्यय होगा और किन स्थानों पर पुलों का निर्माण कराना पड़ेगा ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ओवरसियर ने इस मार्ग के बाराबंकी जिले में पड़ने वाले बाग का ही भूमि सर्वेक्षण किया था। रायबरेली जिले में पड़ने वाले हिस्से का भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है। सड़क को पक्का कराने का अनुमानित व्यय बिना विस्तृत सर्वेक्षण का बताना संभव नहीं। इसी प्रकार मार्ग पर पड़ने वाले पुलों की संख्या भी विस्तृत सर्वेक्षण के बाद मालूम हो सकती है।

*५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि सर्वेक्षण के पश्चात् इस मार्ग को पक्का बनाने तथा उसके रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाये गये?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस मार्ग का निर्माण कार्य अभी किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। इसलिये इसको पक्का कराने तथा रख रखाव का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को सूचना है कि १८ मील लम्बी सड़क लोगों ने बिना किसी सरकारी सहायता के बनायी है और वह बाराबंकी और रायबरेली दो जिलों को मिलाने वाली सड़क है? तो क्या उस सड़क के महत्व को देखते हुए जनता द्वारा स्वयं बनाये गये इस मार्ग का सर्वेक्षण करायेगी और चौथी पंचवर्षीय योजना काल में उसको पूरा करायेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसका साधारण सर्वे हो चुका है और विस्तृत सर्वेक्षण उस समय हो सकेगा जब हम यह तय कर लेंगे कि यह सड़क बनानी है और इसको बनाने का निश्चय तब होगा जब पंचवर्षीय योजना के रूप को हम तयकर लेंगे। जिला परिषद् और माननीय सदस्यों के सुझावों के विचार करने के बाद निश्चय किया जायगा कि कौन सी सड़क उसमें रखनी है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी उस पूरी सड़क का सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे जो बाराबंकी और रायबरेली जिले को मिलाती है और भविष्य में उसको चौथी योजना में शामिल करने पर विचार किया जायगा ताकि यह श्रमदान की सड़क मेंटेन की जा सके?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने निवेदन किया कि इसका एक साधारण सर्वेक्षण हुआ है और विस्तृत सर्वेक्षण उस समय करेंगे जब यह निश्चय हो जायगा कि यह सड़क बनानी है। जैसा मैंने बतलाया जिला परिषद् की सिफारिश और माननीय सदस्यों के सुझाव और किस जिले को कितना कोटा मिलता है इन सब बातों पर विचार करने के बाद सड़कों को हम चौथी योजना में लेंगे और तभी पूरा सर्वेक्षण करेंगे।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब सार्वजनिक सड़कों के विषय में हमारे माननीय सदस्यों ने उनको सुझाव दिये थे तो उन पर विचार करके उनको चौथी योजना के अन्तर्गत रखने की कृपा की जायगी?

श्री जगन प्रसाद रावत—

वह तो जितनी सिफारिश आयेंगी उन सब पर विचार किया जायगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय मंत्री जी जब मंत्री हुये थे तो उन्होंने हर एक सदस्य के पास एक पत्र भेजा था कि बताइये तुम्हारे यहां कौन सी सड़क है जिसको बनाया जाय । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि और सड़क पर तो आपने विचार नहीं किया लेकिन आगरा की सड़क पर क्यों विचार किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य का जो यह खयाल है भ्रांतिमूलक है । आगरा में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर चौथी योजना में विचार किया हो । आगरा की सड़क क्या । सूबे की किसी सड़क के विषय में चौथी योजना के लिये विचार नहीं हुआ है । अभी चौथी योजना का अंतिम रूप तैयार नहीं हुआ है । कुछ दिनों के बाद उसका अंतिम रूप तैयार होगा तो उसके आधार पर हम विचार करेंगे और शायद २,३ सप्ताह के अन्दर सब सिफारिशों को देखकर यह तय कर लेंगे कि कौन सी सड़क लेना है और कौन सी नहीं लेना है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात का प्राविधान करेंगे कि जो सड़कें श्रमदान द्वारा बनाई गई हैं उनको मेंटेन किया जा सके और उन मार्गों का श्रमदान से बने होने के कारण अधिक महत्व है तो उनके लिये भी धन निर्धारित हो सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

श्रमदान मार्गों के सिलसिले में भी उसमें विचार किया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

१०-१२ लाख रुपया जिला परिषदों को जनशक्ति योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने के लिये दिया गया है, यदि जिला परिषदें निर्धारित समय के अन्दर लिख दें कि हम नहीं बना पा रहे हैं तो क्या उन सड़कों को भी मंत्री जी अपने अन्तर्गत लेंगे और उस धन का उपयोग करके उनको बनवा देंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

श्रमशक्ति योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनती, हैं उनको योजना विभाग तय करता है कि पी०डब्लू० डी० बनाये या जिला परिषद् बनाये, तो जैसी उनकी आज्ञा होती है, उसमें हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।

अल्मोड़ा जिलाधीश के आशुलिपिक के विरुद्ध शिकायत

*६---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जिलाधीश के आशुलिपिक श्री पान देव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें १ जनवरी, १९६५ से अब तक प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आशुलिपिक के विरुद्ध १ जनवरी, १९६५ से अब तक भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या यह सही है कि उपरोक्त आशुलिपिक पिछले ८-१० वर्षों से इसी स्थान पर काम कर रहा है जिससे अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है ? यदि हां, तो उसको स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं, उपर्युक्त आशुलिपिक वर्तमान स्थान पर केवल ८-३-६० से कार्य कर रहा है। उसके विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग किये जाने का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है। प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि इस आशुलिपिक के विरुद्ध मुख्य मंत्री और मंत्री जी को बराबर कई बार ज्ञापन पत्र भेजे गये हैं? यदि हां, तो उनकी इस सूचना का आधार क्या है कि उसके विरुद्ध कोई शिकायत है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

हमें जानकारी नहीं है कि आशुलिपिक के खिलाफ मुख्यमंत्री को या और जगह पर कोई शिकायत की गयी है। हमको जिला स्तर पर जो सूचना मिली है उसी के आधार पर यह उत्तर दिया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी इसे अपने तथा मुख्यमंत्री के मंत्रालय में दिखवायेंगे, क्या यह देखते हुए कि ८-३-६० से साढ़े छः वर्ष हो गये वह एक ही जगह काम करता है, कृपा करके उस स्थान से हटायेंगे और दूसरे को नियुक्त करेंगे?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने साल के बाद हटा दिया जाय, जब कोई स्थान उपयुक्त खाली हो तो हटाया जायगा।

श्री उग्रसेन—

अगर इन आशुलिपिक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आयी तो जो अल्मोड़ा के जिलाधीश हैं उनके खिलाफ कोई शिकायत आयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई नहीं।

जिला परिषद, आजमगढ़ के अध्यापकों का वेतन

*८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री प्रथम सत्र के ८वें शुक्रवार को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि ४०० अदीक्षित अध्यापकों का वेतन ८ माह का मिल चुका है? यदि हां, तो कब?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

प्रश्नगत अध्यापकों का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है।

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् आजमगढ़ ने किन-किन तिथियों को सर्वसम्मति से उक्त अध्यापकों के वेतन को देने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं? फिर भी नहीं दिया गया है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

परिषद ने प्रथम प्रस्ताव दि० २५-२-१९६६ को पारित किया तथा दूसरा दि० २६-३-१९६६ को। यह सूचना नहीं है कि प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुये थे अथवा नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या कारण है कि अब तक लगभग दो साल हो रहे हैं, इन अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा सका जबकि बार बार आश्वासन दिया है कि इनके मामले की जांच पड़ताल हो रही है और शीघ्र ही निर्णय देंगे?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, ये अवैधानिक रूप से नियुक्त हुये थे और इसके लिये पिछली बार कुछ बात-चीत भी हुई जिसमें जिला परिषद् के सदस्य, मुख्य मंत्री जी और कुछ माननीय सदस्य भी थे। इन लोगों ने तय किया था कि इनको नहीं रखेंगे और उसके बाद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे। अभी कुछ लिख कर नहीं दिया गया। न्याय विभाग से भी हम परामर्श कर रहे हैं कि क्या कार्यवाही की जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन चार सौ अध्यापकों में से उनकी नजर में या उनके सलाहकारों की नजर में कितने अध्यापकों की नियुक्ति वैधानिक है और कितनों की अवैधानिक है? और जो वैधानिक हैं उनको वेतन देने में क्या दिक्कत है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जितनी नियुक्तियां हुई थीं वे सब अवैधानिक ढंग से हुई थीं और इसके लिये पहिले ही निवेदन किया जा चुका है कि इनके रखने का उन्हें अधिकार नहीं था और अगर आपने रक्खा है तो पहिले यह बता दें कि भविष्य में ऐसा न करने का और उनके पदों को समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें कौन अवैधानिक हैं और कितनी वैधानिक हैं? यह सन् ६४ से वाकया चल रहा है। अगर अवैधानिक हैं तो क्या उन्हें वैधानिक करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, उनके रखने वाला कोई और निकालने वाला कोई है, उसमें हम क्या कर सकते हैं।

श्री मंगल (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे नियुक्तियां अवैधानिक हैं। क्या यह सही है कि जिला आजमगढ़ को जिला परिषद् का अध्यक्ष एक असंतुष्ट गुट का व्यक्ति है इसीलिये यह सारी गड़बड़ी उन्हें तंग करने के लिये की जा रही है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, हमारे यहां अध्यक्ष हैं, गुट नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जब पिछली बार इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के यहां इसकी बातचीत और चर्चा हुई थी, मैं खुद उसमें सम्मिलित था। उस वक्त लगभग पौने दो वर्षों का वेतन बकाया था। निर्णय यह हुआ था कि अगर सरकार उनकी नियुक्तियों को अवैधानिक समझती

है तो पौने दो वर्षों तक क्योंकि वे पढ़ा चुके हैं इसलिये उन ५१४ अध्यापकों को उनका बकाया वेतन दे दिया जाय और वेतन देने के पहिले यह कहकर हटा दें कि नियुक्ति अवैधानिक है तो ठीक नहीं । सरकार अगर अवैधानिक समझती है तो सरकार उनको वेतन दिये जाने की इजाजत दे । क्या यह निर्णय लेकर सरकार उनका वेतन दिलवाने की कृपा करेगी ? अवैधानिकता का प्रश्न बाद में उठता है ।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, तय यह हुआ था कि यदि अध्यक्ष, जिला परिषद लिखित रूप में दे दें कि वह अवैधानिक रूप में नियुक्ति की गई और उन समस्त अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी तो हम न्याय विभाग से परामर्श करके उचित निर्णय ले लेंगे ।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद और सरकार के बीच का जो झंझट है कि जिला परिषद के अध्यक्ष लिखकर यदि नहीं दे रहे हैं और सरकार भी नहीं कर रही है तो जो चार सौ अध्यापक जिन्होंने पौने दो साल तक पढ़ाया है और उन को जो पारिश्रमिक मिलना चाहिये, उसके बारे में सरकार क्या फैसला करना चाहती है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

अब श्रीमन्, यह उनके और अध्यक्ष के बीच का प्रश्न है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब आप उन अध्यापकों की नियुक्तियों को अवैधानिक मानते हैं तो जब आपकी सरकार की निगाह में यह बात आई तो सरकार ने इस मामले पर न्याय विभाग से कब से परामर्श लेना आरम्भ किया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

पहले पहल सन् १९६४ में ही सामने आया और अंतिम फैसला अगस्त, १९६६ में हुआ ।

श्री झारखण्डेराय—

जब जिला परिषद् एकाध अपवाद को छोड़ कर, सर्वसम्मत है कि इनका वेतन दिया जाय तो सरकार को इसका समाधान निकालने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

वह लिखित दें तो विचार कर लिया जाय ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अध्यक्ष का पैटीशन हाई कोर्ट में विचाराधीन है ? यदि हां, तो तब तक सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

यह बात इसी पक्ष में है कि अभी कुछ न किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जिला परिषद् ऐक्ट की किस धारा के अनुसार सरकार इन अध्यापकों का वेतन रोके है जब कि जिला परिषद् ने २, २ बार देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

धारा तो माननीय सदस्य स्वयं देख लेंगे ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

५१४ अध्यापकों में सब ही तो अयोग्य नहीं हो सकते....

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

यह अयोग्यता का नहीं है, अवैधानिकता का प्रश्न है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

सरकार बतावे कि उनकी नियुक्ति में क्या अवैधानिकता है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इसके लिये यहां से अनुदान मिलता है और जब तक हमारी स्वीकृति न हो, हमारे हिसाब से अवैधानिक ही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जिला परिषद् अधिनियम में कहीं भी यह नहीं है कि सरकार की स्वीकृति इन नियुक्तियों के लिये होगी। फिर भी, जिनकी नियुक्ति वैधानिक है और जो योग्य हैं, उनका वेतन तो मिलना ही चाहिये।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जहां पैसा देते हैं उसके साथ शर्त लगी होती है ।

श्री झारखण्डे राय—

गलती की है तो अध्यक्ष ने की है, सरकार उसे दंडित करे लेकिन इन सैकड़ों अध्यापकों का वेतन क्यों रोका जा रहा है जिन्होंने परिश्रम किया है और सरकार इस महापाप को क्यों कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

हमारी तरफ से दंडित करने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी तो हम पिक्चर में हैं ही नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

सरकार ने न्याय विभाग से पूछा और उसने कानूनी राय दी है कि वेतन मिलना चाहिये । तो भी सरकार क्यों रोके है ? क्या ऐसी राय उसे मिली ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, न्याय विभाग से राय मांगी गई है। सबसे पहले जो शर्त अगस्त में तय हुई थी वह पूरी नहीं हुई। इसलिये न्याय विभाग की राय का कोई सवाल नहीं है ।

गाजीपुर जिले में सड़कों पर गिरे पेड़ों का नीलाम

*१०—श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर जो पेड़ गिरे थे वह कितने रुपये में नीलाम किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि पेड़ कई हजार

रुपये के रहे हैं परन्तु एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने बहुत थोड़ी रकम में ही नीलाम दे दिया है जिससे सरकार का कई हजार रुपये का घाटा हुआ है तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जनवरी, १९६६ से अगस्त, १९६६ तक के बीच गिरे हुए पेड़ों का नीलाम ७,२५७ (सात हजार दो सौ सत्तावन रुपये) में किया गया। नीलाम द्वारा जो मूल्य प्राप्त हुआ वह बाजार भाव के अनुपात में ठीक ही था और सरकार को इसमें कोई घाटा नहीं हुआ। इसलिये जांच का प्रश्न नहीं उठता।

*११—श्री कमलासिंह यादव—

[छठें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पिंडरा ब्लाक में नार्मल स्कूल की भूमि

*१२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में सरकारी भूमि चयन समिति, वाराणसी ने खालिसपुर, ब्लाक पिंडरा, तहसील व जिला वाराणसी में भूमि का चुनाव करा लिया है और २ जून, १९६६ को उस समिति का प्रस्ताव उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने भेजा है? यदि हां, तो उस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी और नार्मल स्कूल खोलने की मंजूरी दी गयी या नहीं ?

वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी हां।

खालिसपुर रेलवे स्टेशन के निकट प्रस्तावित भूमि ऊसर एवं बंजर है अतः उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया है कि वह सम्बन्धित अभियन्ता से यह प्रमाण पत्र ले लें कि भूमि लोनारहित है और भविष्य में निर्मित भवन पर लोना का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपर्युक्त भवन के अभाव में सम्प्रति वहां नार्मल स्कूल खोलने की मंजूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़हलगंज में अफीम की कोठी का प्रयोग

*१३—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बड़हलगंज, जिला गोरखपुर में अफीम विभाग से पी० डब्लू० डी० ने जो इमारत हाल ही में खरीदी है उसमें कुल कितनी इमारतें हैं और किस-किस काम में इन इमारतों को लाने का विचार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

बड़हलगंज, जिला गोरखपुर स्थित अफीम कोठी, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खरीदा है, में कुल १७ इमारतें हैं। इन इमारतों को घाघरा नदी पर दोहरी घाट में पक्के पुल के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये अस्थायी आवास, विश्राम गृह, कार्यालय तथा पुल बनाने के सामान रखने के लिये गोदाम व पुल के लिये प्रयोगशाला आदि के प्रयोग में लाने का विचार है।

*१४—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बड़हलगंज, जिला गोरखपुर में जो इमारत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खरीदी है उसमें कोई डाक बंगला भी है जिसमें अफीम विभाग के तथा अन्य राजकीय अफसर ठहरा करते हैं? यदि हां, तो उसमें कुल कितने कमरे हैं और उसकी देख-रेख, रख-रखाव व इस्तेमाल का क्या प्रबन्ध है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। उसमें एक डाक बंगला भी है जिसमें अफीम विभाग के तथा अन्य कर्मचारी ठहरा करते हैं। इस डाक बंगले में ४ बड़े कमरे व एक स्नान गृह है। इसकी देख-रेख के लिये एक चौकीदार नियुक्त है। इसके रख-रखाव का एक एस्टीमेट (estimate) तैयार किया जा रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार इस डाक बंगले को डाक बंगले के इन चारों कमरों की शक्ल में ही चलाने का विचार रखती है, या कोई दूसरा इंतजाम सोचा जा रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पक्के पुल के काम के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन माननीय सदस्य की भावना के लिये मैं प्रयत्न करूंगा।

श्री रामजानकी दिनकर इन्टर कालेज, जमालपुर में विज्ञान शिक्षा

*१५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजानकी दिनकर इन्टर कालेज, जमालपुर जौनपुर को वर्ग 'ब' के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित की कक्षा संचालित करने के लिये पत्रांक आई० बी/५१२९,-इलाहाबाद, दिनांक २६ जून, १९६६ के अनुसार मान्यता दी गयी है? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर उक्त विषय खोलने की अपनी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जी हां।

संस्थाधिकारियों ने मान्यता पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के संतोषानुसार नहीं की है।

*१६—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामजानकी दिनकर इण्टर कालेज, जमालपुर, जौनपुर ने सारे प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली है अर्थात्—

(क) भौतिक विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति कर ली गई है?

(ख) वैज्ञानिक यन्त्रों का क्रय कर लिया गया है?

(ग) विज्ञान की पुस्तकें पर्याप्त हैं और २०० रु० की और खरीद ली गई हैं?

(घ) प्रयोगशाला के लिये ३ कमरों की व्यवस्था कर ली गई है?

(ङ) २००० रु० से अधिक मूल्य के काष्ठोपकरण क्रय किये जा चुके हैं?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जी नहीं। प्रतिबन्धों की पूरी तरह अभी पूर्ति नहीं की गई है।

(क) भौतिक विज्ञान के कन्डेन्स्ड, डिप्लोमा पास इस संस्था में अध्यापक हैं।

(ख) जी हां, किन्तु अब भी सामग्री व यंत्रों की कमी है।

(ग) पुस्तकें पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं।

(घ) प्रयोगशाला के लिये ३ छोटे कमरे, एक संलग्न तथा दो कुछ दूरी पर हैं, परन्तु उनमें फर्श नहीं है। इस प्रकार संलग्न ३ कमरों की व्यवस्था नहीं है।

(ङ) जी हां। काष्ठोपकरण की अब भी कमी है।

*१७--श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय को विज्ञान कक्षा, जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है, खोलने की अनुमति अविलम्ब दे दी जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सभी संबंधित प्रतिबन्धों की संस्था द्वारा पूर्णरूपेण पूर्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के संतोषानुसार हो जाने पर ही वह कक्षा खोलने की अनुमति दे सकेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने वह स्कूल स्वयं जाकर देखा, और यदि नहीं देखा तो क्या माननीय मन्त्री जी उनको आदेश देंगे कि वह स्कूल को स्वयं जा कर देखें और अगर शर्तों को पूरा कर दिया हो तो उनको कक्षा चालू करने की इजाजत दे दें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

रिपोर्ट तो उन्हीं के पास से आयी है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको फिर आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उत्तर में स्वीकार किया गया है कि २०० रुपये की पुस्तकें हैं और ३ हजार के उपकरण हैं। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ये दोनों चीजें वहां हैं या नहीं ? और यदि नहीं है, तो उसका क्या प्रमाण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मैंने इन दोनों बातों के लिये "जी हां" कहा लेकिन कहा कि पर्याप्त नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

यह विद्यालय मेरे क्षेत्र में है। उसके कमरे पूरे हो गये हैं और फर्श भी बन गये हैं। यह बात जिला विद्यालय निरीक्षक को बता भी दी गयी है। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट सरकार के पास बिना देखे ही भेज दी। पढ़ाई वहां हो रही है लेकिन लड़कों को प्राइवेटली फार्म भरने को मजबूर किया जा रहा है। क्या माननीय मन्त्री जी जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश देंगे कि वह विद्यालय का निरीक्षण कर के, अगर शर्तें पूरी हो गयी हों, तो तुरन्त मान्यता दे दें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, विद्यालय को देखकर, यदि शर्तें पूरी हो गयी हैं तो आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

यह देखते हुए कि हमारे प्रदेश में भौतिक और रसायन विज्ञान की पढ़ाई की गति बहुत धीमी है और बहुत ही साहस कर के इन्स्टीट्यूशन्स उनको चला पाते हैं। ऐसी हालत में भी जिला विद्यालय निरीक्षक ने बिना मौके पर जाये जो गलत रिपोर्ट भेजी है, क्या सरकार इसके लिये उनको दंडित करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो तब होगा जब यह सिद्ध हो जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जगन्नाथ राव जी के कथन और अपने उत्तर को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को फिर से लिखने की कृपा करेंगे कि वे जांच कर के तुरन्त ही उस विद्यालय को मान्यता दे दें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि तुरन्त ही उनको जांच करने के आदेश दे दिये जायेंगे और यदि संतोषप्रद होगा तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

जब से यह जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर आये हैं तब से उन्होंने वहां के स्कूलों में गुटबन्दी और दो-दो प्रबन्ध समितियां खोलने पर प्रोत्साहन दिया है और उनके ही कारण दूसरे स्कूलों को प्रेरणा प्राप्त हुई है और उन्होंने शिकायत की कि जिस से प्रभावित होकर उन्होंने उन विद्यालयों को भी अनुमति नहीं दी जिनमें सब चीजें विज्ञान कक्षा के लिये पूरी थीं ? क्या मन्त्री जी इस की जांच करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अधिकांश का मतलब तो यही है कि अभी कुछ चीजें पूरी होने को बाकी हैं।

एस० एम० इन्टर कालेज, जिला एटा के अध्यापकों का भत्ता

*१८--श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एस० एम० इन्टर कालेज, जिला एटा के कितने लेक्चरारों की पिछले वर्ष परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्ति हुई थी और उनका अब तक टी० ए० डी० ए० देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

एस० एम० इंटर कालेज, जिला एटा के दो लेक्चरारों की पिछले वर्ष परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्ति हुई थी। उनके टी० ए०, डी० ए० का भुगतान हो चुका है।

जिला परिषद्, बिजनौर के अध्यापकों का प्राविडेन्ट फन्ड

*१९---श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९६२ से मई, १९६६ तक जिला परिषद्, बिजनौर ने शिक्षा विभाग के कितने अध्यापकों के प्राविडेंट फंड वापसी की स्वीकृति

के लिये लिखा है? और उन्हें अभी तक उक्त फन्ड की वापसी की स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---

इस अवधि में ६३ अध्यापक रिटायर हुये और ७ ने त्याग-पत्र दिया। प्राविडेन्ट फन्ड की वापसी के लिए किसी बाहरी स्वीकृति की नियमानुसार आवश्यकता नहीं। उपर्युक्त १०० में से ५४ अध्यापकों का कुल जमा धन वापस हो गया है केवल सूद शेष है। ४० अध्यापकों का कुछ भाग आडिट आपत्तियों के कारण रोक कर वापस कर दिया गया है। २ अध्यापकों का धन पाकिस्तान चले जाने तथा नौकरी से पृथक होने के कारण रुका हुआ है। ४ अध्यापकों को जो केवल गत वर्ष रिटायर हुये हैं कुछ नहीं दिया गया है। १९५९-६० से अब तक सूद का हिसाब न लगने के कारण वापसी नहीं हो पाई है।

फर्रुखाबाद जिले में बालिकाओं की फीस माफी की क्षति पूर्ति

*२०---श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के किन-किन देहाती क्षेत्रों के जूनियर हाई स्कूलों तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों को बालिकाओं की फीस माफी की क्षतिपूर्ति का रुपया सन् १९६३-६४, १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और उन संस्थाओं से क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश---

प्रश्नगत अनुदान के लिए प्रश्नगत जिले के जितने विद्यालयों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे उनको अनुदान दिया जा चुका है।

फर्रुखाबाद जिले में सर्वश्री मन्नीलाल छम्मीलाल का ठेकेदारी का बकाया

*२१---श्री होरी लाल यादव (अनुपस्थित)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के किन-किन ठेकेदारों ने अपना ठेके का रुपया अदा न किये जाने पर नोटिस जिलाधीश फर्रुखाबाद को दिनांक २८ अगस्त, १९६५ को दिये हैं? क्या उन नोटिसों की प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता, फर्रुखाबाद, सार्वजनिक निर्माण विभाग को मिली है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सर्वश्री मन्नीलाल छम्मी लाल।

जी हां।

नोटिस दाता के वकील को दावा अमान्य होने की सूचना दे दी गई है।

राड़ी नाले पर पुल की आवश्यकता

*२२---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले के देवीगंज से तुहेवा मार्ग पर राड़ी नाले के घटमापुर के पास एक पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप से योजना में शामिल कर लिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं । ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुल के नि र्माण पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

विस्तृत सर्वेक्षण के बिना पुल की अनुमानित लागत बताना सम्भव नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि यह पुल ऐसी जगह पर पड़ता है कि सुबेहा मार्ग पर राड़ी नाले का पुल बहुत ही आवश्यक है और उस के बिना जनता को बहुत कष्ट आने-जाने में होता है क्या मंत्री जी उसे जल्द बनवाने की कृपा करेंगे जैसा कि जिला परिषद् ने भी उसे चौथी प्लान में रखने की सिफारिश की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब और सभी सड़कों पर विचार होगा तो इस को भी देख लेंगे ।

*२४—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

[९ दिसम्बर, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बरेली कमिश्नर को किसानों का ज्ञापन

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि २५ मई, १९६६ को बरेली के दस हजार किसानों ने बरेली में स्थानापन्न कमिश्नर के बंगले पर शान्त प्रदर्शन किया और उन्हें एक ज्ञापन दिया ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें क्या थीं ? और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया । उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी है । सरकार ने कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. १०२३ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में जनसंघ की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था और जो ज्ञापनपत्र उस समय दिया गया था उसे मंत्री जी सदन में पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप उसके सम्बन्ध में प्रश्न कीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

हमारी यह मांग सब को मालूम हो जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

यह ठीक नहीं है, आपने प्रश्न किया है आप आगे और पूछ लें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

जब कि प्रदेश में सूखे की स्थिति है और किसानों पर भारी बोझ है उन की जो दशा गिरती जा रही है और हमने जो ४ आना लगान घटाने की बात इसमें कही है क्या उसको सरकार वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जो डयूज् हमने स्थगित किये हैं उनमें ४ आना अधिभार भी किया है लिहाजा हटाने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

इसमें मांग की गई है कि भूमि भवन-कर समाप्त किया जाय और मंत्री जी ने उस पर कहा कि कोई आवश्यक कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा, तो क्यों कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

क्योंकि सरकार का खर्च बढ़ गया है, हटाने से गड़बड़ी होगी ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

अभी जो उत्तर दिया गया है किजो ४ आना अधिभार लगान बढ़ाया गया था उसको मुल्तवी किया गया है तो क्या उस को अब हमेशा के लिये समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी छोड़ना तय नहीं हुआ है ।

बरेली में अध्यापिकाओं को बढ़ोत्तरी वेतन

*२---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी कन्या इन्टर कालेज से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त कन्या प्राइमरी स्कूलों की अध्यापिकाओं को अन्तरिम बढ़ोत्तरी का बीस रुपया प्रतिमास अभी तक नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

प्रश्नगत अध्यापिकाओं को दिनांक १-८-६५ से स्वीकृत बढ़ोत्तरी मिल रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में द्रौपदी कन्या इंटर कालेज और फरीदपुर में नगरपालिका के अन्दर जो कालेज हैं, उनमें बालिकाओं की ५वी कक्षायें खुली हुयी हैं परन्तु दोनों संस्थाओं की अध्यापिकाओं को अंतरिम बढ़ोत्तरी का २० रुपया, जो आपने १ अगस्त, १९६५ से औरों के लिए स्वीकृत किया है, उन्हें नहीं दिया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसकी मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं निश्चित सूचना देता हूं बरेली में जो कालिज हैं और जिनमें ५वीं कक्षा के सेक्शन्स खुले हुए हैं और जो प्राइवेट मैनेजमेंट में हैं, उनमें पढ़ाने वाली अध्यापिकाओं को जो २० रूपये की मंहगाई अन्तरिम सहायता बढ़ायी है, नहीं मिल रही है तो क्या आप उन्हें इसको दिलवाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हमारे यहां पर जो निरीक्षक विद्यालय से लिखकर आया है, उन्होंने सूचित किया है कि वहां पर समस्त संस्थाओं को अध्यापिकाओं को अधिकारियों को यह फरवरी १९६६ तक दिया जा चुका है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी फिर से इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे और इन संस्थाओं से हिसाब मंगवाने की कृपा करेंगे जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वहां दिया जा रहा है, या नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

खलीलाबाद तहसील में जमीन का इन्दराज

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरडाड, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में आराजी नम्बरी ३९७/३, जो मौके पर तालाब है कुछ आदमियों के नाम से सीरदारी दर्ज कर दी गई है और १५ बिस्वा रकबे पर दसगुना जमा करके भूमिधरी सनद प्राप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह नम्बर मौके पर तालाब नहीं है । इसका रकबा १५ बिस्वां है जिसके अंकित सीरदार ने नियमानुसार भूमिधरी सनद प्राप्त कर ली है ।

*४—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीणों द्वारा लेखपाल को इस गलत कार्यवाही के विरुद्ध आवेदन-पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुआ है और तहसीलदार द्वारा जांच होकर परगनाधीश, खलीलाबाद में केवल ३ बिस्वा पर नाम दर्ज रहने का आदेश हाल ही में दिया था ? यदि हां, तो लेखपाल के विरुद्ध कौनसी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था जिस पर पहले परगनाधिकारी ने खेत का क्षेत्रफल १५ बिस्वा के स्थान पर ३ विस्वा करने का आदेश दिया पर बाद को भूमिधर की दरख्वास्त पर उन्होंने अपने पुराने आदेश को रद्द करके १५ बिस्वा वाले पुराने इन्द्राज को ही कायम रक्खा ।

लेखपाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

बी० टी० सी० ट्रेनिंग

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० टी० सी० ट्रेनिंग कब से लागू कर रहे हैं ? उसकी पूर्ण रूप रेखा क्या है ? क्या यह सही है कि एच० टी० सी० और जे० टी० सी० की परीक्षायें सरकार बन्द करके बी० टी० सी० की परीक्षा चालू कर रही है ?

नोटः—तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री कैलाशप्रकाश—

जुलाई सन् १९६६ से लागू है ।

चुनाव एवं योग्यता की रूपरेखा संलग्न है । इस वर्ष अभी पुराने जे० टी० सी० और एच० टी० सी० की परीक्षायें होंगी । आगे वर्ष से केवल बी० टी० सी० परीक्षा होंगी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०२४ पर ।)

*६—श्री दीपनारायणसिंह—

[अस्वीकृत किया गया ।]

*७—९—श्री कल्पनार्थासिंह—

[३०-११-६६ को उत्तर दिया गया ।]

सहायक अभियत्ताओं की नियुक्ति

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करें गे कि उन सफल और चुने हुये सहायक अभियन्ताओं के, जिन्होंने कि लोक सेवा आयोग को अगस्त, १९६४ में की गई परीक्षा में भाग लिया था और जिनका परीक्षाफल अप्रैल, १९६५ में घोषित किया जा चुका है इतना समय बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक प्रोबेशन आर्डर किन कारणों से जारी नहीं किये गये हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत असन्तोष है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सन् १९६४ की सम्मिलित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को विभागों में आवन्टन करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । प्रत्येक विभाग अभ्यर्थियों के पद ग्रहण करने पर प्रोबेशन के आदेश जारी करेगा ।

*११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सफल सहायक अभियन्ताओं के सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर दिया जायगा कि उनमें से कितने और कौन-कौन सार्वजनिक निर्माण विभाग में रखे जायेंगे और कितने व कौन-कौन सिंचाई विभाग में भेज दिये जायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह निर्णय हो गया है । सिंचाई विभाग में जाने वालों के नाम संलग्न तालिका में है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०२५ पर)

*१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन सहायक अभियन्ताओं को, जो कि इस समय सिंचाई विभाग में कार्य कर रहे हैं किन्तु उक्त परीक्षा के पश्चात्, उनमें से जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में लिये जायेंगे तो क्या सरकार उनकी सिंचाई विभाग के सेवा काल को उनके प्रोबेशन तथा उनकी पदोन्नति में गिनेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है ।

फतेहपुर में बाबूलाल लेखपाल की मुअत्तली

*१३—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के परगना व तहसील में स्थित ग्राम कस्बा फतेहपुर के लेखपाल श्री बाबूलाल, पुत्र बच्ची लाल की धर्मपत्नी श्रीमती शिमला देवी व उनकी मां श्रीमती राजकुवर देवी बेवा बच्चीलाल के नाम दौरान चकबन्दी व चकों के कन्फरमेशन के बाद फर्जी चक नं० ६८५, रकबा ८ बीघा १५ बिस्वां १० कसी और चक नं० ७०६, रकबा २१ बीघा २ बिस्वां १० कसी के इन्दराज कर दिये गये । उक्त जालसाजी को छिपाने के लिये चकबन्दी के जुमला कागजात गायब कर दिये गये और जबकि उक्त व्यक्तियों के नाम चकबन्दी के पहले कुछ भी जमीन उक्त ग्राम में नहीं थी ? क्या इस सम्बन्ध में श्री मंगली व श्री श्यामबिहारी शरण आदि के द्वारा दी गई शिकायती दरख्वास्त दिनांक १० जून, १९६६ ई० को श्रीमान् जिलाधीश महोदय फतेहपुर, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व श्रीमान् निदेशक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को मिली ? यदि हां, तो उन पर जो जांच हुई थी उनकी संक्षिप्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सही है कि जिला फतेहपुर परगना व तहसील में स्थित कस्बा फतेहपुर के लेखपाल बाबूलाल पुत्र बच्चीलाल की धर्म पत्नी श्रीमती शिमला देवी के नाम चक नं० ६८५ रकबा ८ बीघा १५ बिस्वां, १० कसी और उसकी मां श्रीमती राजकुंवर देवी के नाम चक नं० ७०६ रकबा २१ बीघा ६ बिसवां १० कसी है । यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों के नाम चकबन्दी के पूर्व इस ग्राम में कोई भी भूमि नहीं थी ।

लेखपाल के बस्ते में केवल चकबन्दी के आकार पत्र १८ व २१ व ३७ नहीं मिल रहे हैं । बाकी सब कागजात मौजूद हैं । श्री मंगली व श्री श्याम बिहारी शरन की दरख्वास्त जिलाधीश को १०-६-६६ को मिल गयी थी । श्री बाबू लाल लेखपाल को मुअत्तल कर दिया गया है । उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है जो अभी समाप्त नहीं हुई है ।

गाजीपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर का आवास

*१४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में जो डिप्टी कलेक्टरान के क्वार्टर्स बनाये गये हैं उनमें दरार आ गयी है और छत खराब दशा में है और दरवाजे उस लकड़ी से नहीं बने हैं जिसके लिये वर्क आर्डर हुआ था ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

गाजीपुर जिले में अभी तक केवल एक ही डिप्टी कलेक्टर का आवास पूर्णरूप से तैयार है इसमें न तो कोई दरार पाई गई है और न छत ही खराब दशा में है । दरवाजे उसी लकड़ी के बनाये गये हैं जिसका आयोजन तखमीने में था ।

मन्झनपुर तहसील में लेखपाल

*१५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद—)—

क्या राजस्व मन्त्री को इसकी जानकारी है कि इलाहाबाद जिले की तहसील मन्झनपुर में ऐसे लेखपाल अभी कार्य कर रहे हैं जिनकी उम्र ७० वर्ष से भी अधिक है । यदि हां, तो वह कौन-कौन हैं तथा उन्हें इतनी उम्र में भी काम करने की छूट किस आधार पर दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

दीक्षा विद्यालय, फतेहपुर के चपरासियों से घरेलू काम लेना

*१६—श्री रघुवीरसहाय कँथवार—

दिनांक २७ अगस्त, १९६५ के प्रश्न २४ के ही उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के उक्त दिनांक १५ सितम्बर, १९६४ के पत्र में लिखित आरोपों की जांच किस अधिकारी ने किसकी उपस्थिति में किया और किनके बयान लिये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच श्री एम० ए० कैयूम, भूतपूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर ने की थी जो अब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि उन्होंने आरोपों की जांच किसकी उपस्थिति में की थी और किस के बयान लिये थे ।

*१७-१८—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[माननीय सदस्य के स्वर्गवास हो जाने के फलस्वरूप प्रश्न हटा दिये गये ।]

पुरवा तहसील में चकबन्दी

*१९—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव) तथा श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में जिन गांवों की चकबन्दी नहीं हुई है : उनके बन्दोबस्त की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० के अनुसार इस कानून के लागू होने के ४० वर्ष बाद ही नया बन्दोबस्त सम्भव है ।

रुदरी ग्राम के प्रधान द्वारा स्कूल को अनुदान न मिलने की शिकायत

*२०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि उनके और मुख्य मंत्री जी के पास आजमगढ़ जिले की रुदरी ग्राम के प्रधान तथा दूसरे निवासियों ने ३० दिसम्बर सन् १९६५ को प्रार्थना-पत्र देकर याचना की है कि उनके पुराने कन्या पाठशाला को सरकार द्वारा दिया गया अनुदान जिला परिषद् नहीं दे रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । इस प्रकार की शिकायत प्रश्नगत स्थान के निवासियों के पत्र दिनांक २४-१२-६५ द्वारा प्राप्त हुई थी ।

*२१—श्री उमाशंकर—

यदि हां, तो क्या सरकार आदेश देकर उक्त अनुदान को उल्लिखित कन्या पाठशाला की इमारत बनवाने में सहायता करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मामले की जांच पूरी हो जाने पर जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जायेगी ।

*२२—श्री उमाशंकर—

क्या यह सही है कि उल्लिखित रुदरी ग्राम सभा ने जिला परिषद्, आजमगढ़ के नाम उक्त कन्या पाठशाला के लिये कुछ जमीन को रजिस्टर्ड पट्टा लिखा है तथा जिला परिषद् ने उक्त जमीन पर अधूरी इमारत भी तैयार करा दी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जांच पूरी होने पूर ही स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

बीकापुर तहसील में ग्राम प्रधानों के विरुद्ध जांच

*२३—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रूखाबाद), श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाकिम परगना, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद ने सन् १९६४ ई० मे कितने ग्राम प्रधानों के विरुद्ध ग्राम सभा की सम्पत्ति नष्ट करने के आरोप में कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तीन ।

गोंडा जिले में लेखपालों की पदोन्नति

*२४—श्री गंगाप्रसाद—

जिला गोंडा में कानूनगो पद के नये उम्मीदवारों की सूची कब-तक तैयार हो जानी चाहिये ? क्या गोंडा जिले में यह सूची तैयार हो गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक तैयार होगी ? जिले में कितने कानूनगो उम्मीदवार अस्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि इन सभी कानूनगोयान का नाम कानूनगो उम्मीदवार की सूची से खारिज है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि स्थायी इन्तजाम नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेखपालों में से कानूनगो के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये उम्मीदवारों की सूची तैयार होने की कोई निश्चित तिथि नहीं थी । गोण्डा जिले में यह सूची अभी तैयार नहीं । लेखपालों की वरीयता जिसके आधार पर यह सूची बननी है, के बारे में कुछ आपत्तियां उठी हैं । इनमें निर्णय हो जाने पर ही यह सूची बन सकेगी । पुरानी सूची के केवल एक कानूनगो उम्मीदवार अस्थाई पद पर काम कर रहे हैं । इस एक उम्मीदवार का नाम पुरानी सची से खारिज है पर वह स्थानापन्न रूप में कानूनगो के पद पर काम कर रहा है । कानूनगो पद पर स्थाई इन्तजाम न करने का कारण यह है कि कोई स्थायी स्थान रिक्त नहीं ।

*२५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि कानूनगो तुलसीपुर के संबंध में तहसील बलरामपुर के लेखपालों ने पिछले वर्ष कुछ दरख्वास्तें दी थी ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन दरख्वास्तों में क्या आरोप थे और आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । लेखपालों से रुपया लेने, उन्हें परेशान करने और पड़ताल में अनियमितता बरतने के आरोप थे । जांच के बाद आरोप प्रमाणित न हो सके ।

*२६-२७--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

[६ठे मंगलवार के लिये प्र० सं० ७६-७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२८-२९--श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

[६वें गुरुवार के लिये प्र० सं० ८६-८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

दलेलगंज मवई ग्राम से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत

*३०--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ जुलाई, १९६६ को ग्राम दलेलगंज, मवई जिला इलाहाबाद के नागरिकों का कोई शिकायती पत्र चकबन्दी में व्याप्त अनियमितताओं के तथा भ्रष्टाचार के संबंध में मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१८-७-६६ का प्रार्थना-पत्र मिला। उसमें आबादी, खाद के गढ़े तथा खलिहान के लिये कम जमीन छोड़ने, चकमार्ग व गूल न देने तथा मरे हुये जानावरों को फेकने की जमीन न छोड़नेकी शिकायतें थी। वन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा जांच करने पर केवल कुछ चकों के मार्ग व नाली नहीं पाये गये, जिसके देने की व्यवस्था की जा रही है। कब्जा बदलने के बाद खलिहान की कुछ जमीन पर काश्तकारों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया अतएव आस पास के चकों तथा खलिहान की पैमाइश दोबारा कराई गयी है। शेष शिकायतें निराधार पायी गयीं।

एटा में बी० टी० सी० का चुनाव

*३१--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० टी० सी० चुनाव समिति एटा ने अपनी प्रथम लिस्ट के क्रमांक ३८ पर किस प्रार्थी के नाम को चुना था ? तथा क्या उसे बी० टी० सी० में प्रवेश दे दिया गया अथवा नहीं और क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

किसी को नहीं। प्रवेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

दहगवां ग्राम सभा की सम्पत्ति

*३२--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान, ग्राम दहगवां में नम्बर २२९६-२२९८-२२९९-२३०० की भूमि जब कि ग्राम सभा की सम्पत्ति है तो क्या कारण है कि उस पर बांके लाल प्रमुख तथा अशर्फीलाल प्रधान गनेशी लाल का कब्जा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इन व्यक्तियों का कब्जा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से ही है। इनके पक्ष में न्यायालय का आदेश भी हो चुका है।

जिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा टाट-पट्टियों की खरीद

*३३--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या यह सत्य है कि जिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा बेसिक ग्रांट की धनराशि में से १६८०.०० (सोलह सौ अस्सी रुपये) की टाट पट्टियां खरीदने के लिये १९६४-६५ के वित्तीय वर्ष में

टेन्डर आमन्त्रित किये गये और अमर उद्योग कानपुर का टेंडर स्वीकार किये जाने पर, ५२,०००.०० रु० की टाट पट्टियां मेसर्स राजकुमार दया शंकर, कानपुर से खरीदी गयीं ? यदि हां, तो यह नियम विरुद्ध कार्य क्यों किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । जिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा टेन्डर अमर उद्योग, कानपुर का अवश्य स्वीकृत किया गया, किन्तु अमर उद्योग, कानपुर ने माल देने में असमर्थता प्रकट की और मेसर्स राज कुमार दयाशंकर, कानपुर से उसी कीमत व उसी नमूने की ५०,५६७ रु० ५९ पै० कीमत की टाट पट्टियां क्रय की गई ।

परिषद का कथन है कि प्रत्येक क्षेत्र से टाट पट्टियों की निरन्तर मांग व बच्चों की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत करते हुए ही परिषद ने यह कार्य किया ।

*३४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या यह भी सत्य है कि जिला परिषद के इस नियम विरुद्ध कार्य के लिये आडिटरों द्वारा गम्भीर आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु सरकार द्वारा यह कार्यवाही नियमित घोषित कर दी गई ? यदि हां, तो सरकार को ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता क्यों हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—

परिषद् का कथन है कि ५०,५६७ रु० ५९ पै० की टाट पट्टियां खरीदने के संबंध में आड़िटरों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गयी । चूंकि परिषद यह कार्य कर चकी थी अतः उसे नियमित करने हेतु परिषद् को शासन द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति इस चेतावनी के साथ प्रदान की गयी कि यह भविष्य में ऐसा कार्य न करे ।

*३५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

गोंडा जिले में उपविद्यालय निरीक्षक

*३६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री गंगाप्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के शिक्षा विभाग में स्थायी उप-निरीक्षक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । स्थायी उप विद्यालय निरीक्षकों के वांछित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण ।

उर्दू की तालीम

*३७—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उसने हाल ही में दर्जा ६ से ८ तक उर्दू को भी जरिये तालीम बनाने के अहकामात जारी किये हैं तो यह अहकामात किन जिलों में अमल में लाये जा चुके हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं, हाल में इस प्रकार की कोई आज्ञा नही दी गई ।

*३८—चौधरी अब्दुल हसीब खां—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उर्दू की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिये सरकार ने उर्दू में किताबें छपवाने का इन्तजाम किया है और यह किस प्रेस से मिल सकती हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उर्दू की किताबें छपवाने का जहां प्रबन्ध किया गया है उनके पते संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०२६ पर)

*३९—चौधरी अब्दुल हसीब खां—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी उसने सरकारी और गैर सरकारी इशारों में उर्दू जानने वाले मास्टरों का इन्तजाम किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

बिजनौर जिले में गंगाराम वाला फार्म

*४०—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फर नगर) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंगा राम वाला फार्म जो परगना बढ़ापुर, जिला बिजनौर में स्थित है, उसके पटवारी ने अमलदरामद के कागजात में उक्त फार्म के नाम कितनी जमीन लिखी है ? क्या यह सही है कि गंगाराम वाला फार्म के कब्जे में वास्तव में उससे कहीं अधिक जमीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गंगा राम वाला फार्म का पूरा क्षेत्रफल २३४ बीघा, १८ बिस्वा १० बिस्वांसी कागजात में दर्ज है । इस फार्म के कब्जे में इतनी ही भूमि है जितनी की कागजात में दर्ज है ।

*४१—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंगा राम वाला फार्म की अमलदरामद से जो अधिक जमीन पर मैनेजमेंट ने कब्जा किया है वह किस विभाग की जमीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है फार्म के मैनेजमेंट का उतनी ही भूमि पर कब्जा है जो उसके फार्म के नाम दर्ज है । शेष प्रश्न उठता ही नहीं ।

*४२—श्री विजयपाल सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस गंगा राम फार्म का मैनेजमेंट कौन कर रहा है और इनका नाम तथा इनके पिता का क्या नाम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

फार्म की सहकारी खेती उसके सेक्रेटरी श्री क्रान्ति कुमार करा रहे हैं जिनके पिता का नाम श्री गोविन्द सहाय है ।

जौनपुर जिले में हाईस्कूल का परीक्षाफल रोकना

*४३—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्य विद्यालय हायर सेकेण्डरी आर्यनगर, लेदुका, जौनपुर के सन् १९६६ के हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अभी तक क्यों नहीं घोषित किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

परीक्षाफल दिनांक ७-१०-१९६६ को घोषित किया जा चुका है ।

प्राइमरी स्कूल अध्यापकों का आवासगृह

*४४—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार उन प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापकों के लिये जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा दे रहे हैं उनके रहने के लिये आवास गृह बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक यह सुविधा प्राप्त हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी, नहीं ।

बेसिक ट्रेनिंग कालेज, निशातगंज, लखनऊ के टीचर्स क्वार्टर्स

*४५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर) तथा विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि १९६५ के अन्त में या उसके कुछ ही दिनों बाद जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, निशातगंज, लखनऊ के टीचर्स क्वार्टर्स का किराया बढ़ाया गया है ? अगर हां, तो कब से और कितना ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

१९६३-६४ में आडिट आपत्ति की गयी कि पांच अध्यापकों से सरकारी भवन का मासिक किराया केवल ७ रु० ५० पैसे लेना अनियमित है अतः उनसे वेतन के १० प्रतिशत के हिसाब से मार्च, १९६६ से किराया लिया जा रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन भवनों का किराया निश्चित कराया जा रहा है और उसके होते ही निर्धारित किराया या वेतन का १० प्रतिशत (जो भी कम होगा) लिया जायगा ।

कानूनगो लिम्टनी द्वारा गलत इन्दराज की शिकायत

*४६—श्री जगदम्बाप्रसाद, श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, (जिला फैजाबाद) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने कोई शिकायती पत्र जिलाधीश फैजाबाद को जुलाई, सन् १९६६ को इस आशय का दिया था कि कानूनगो लिम्टनी, जिला फैजाबाद ने श्रीमती रामरती देवी का नाम कागजात देही में फर्जी इन्दराज किया जबकि उसका नाम कुटुंब रजिस्टर के भाग १ व २ में नहीं था, एवं प्रधान ग्रामसभा ने भी फर्जी इन्दराज करने पर विरोध किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें यह नहीं लिखा था कि श्रीमती रामरती देवी का नाम कुटुंब रजिस्टर के भाग १ व २ में नहीं था और न यही लिखा था कि प्रधान ग्राम सभा ने भी फर्जी इन्दराज करने पर विरोध किया ।

*४७- - श्री जगदम्बाप्रसाद, श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री रियासत हुसैन---

यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

विवादग्रस्त भूमि के बारे में, इस प्रश्न पर कि क्या श्रीमती राम रती, श्री खेलावन (मृतक) की वारिस हैं या नहीं, तहसीलदार अकबरपुर के न्यायालय में पहले से ही वाद चल रहा है जो अभी विचाराधीन है। उसमें इसबारे में निर्णय होने के बाद निश्चय किया जा सकेगा कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं।

केराकत में अग्निपीड़ितों को सहायता

*४८---श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २९ अप्रैल, १९६५ को केराकत कस्बे (जौनपुर जिला) में जो भीषण अग्निकांड दुर्घटना हुई उस अग्निकांड में किन-किन व्यक्तियों की कितनी-कितनी क्षति हुई ? सरकार ने उस भीषण अग्निकांड में क्षतिग्रस्त किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०१७ पर)

नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादम्बरी कानन, पिंडरा

*४९---श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर), श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर) तथा श्री विजयपालसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कादम्बरी कानन पिंडरा, वाराणसी की प्रबन्ध समिति के झगड़े अदालत के सामने सुलह द्वारा तय हो चुके हैं ? यदि हां, तो वर्तमान प्रबन्धक कौन है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां। विद्यालय के वर्तमान प्रबन्धक श्री विभूति नारायण सिंह है।

*५०---श्री रघुवीरराम, श्री झिलमिटराम तथा श्री विजयपालसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त स्कूल की कमियों को दूर करने के लिये शिक्षा विभाग ने कभी वर्तमान प्रबन्ध समिति को लिखा है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां। प्रधानाचार्य के माध्यम से स्कूल की कमियों को दूर करने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने दिनांक २०-९-६६ को लिखा था।

*५१---श्री रघुवीरराम, श्री झिलमिटराम तथा श्री विजयपाल सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त स्कूल की ग्रांट कब से सस्पेंडेड है और मौजूदा प्रबन्ध समिति के द्वारा ग्रांट देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---

२२ मार्च, १९६३ से। इस विद्यालय का निलम्बित अनुदान मुक्त करने का विषय विचाराधीन है।

शिक्षकों के लिये लाभत्रयी योजना

*५२--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने २ अक्तूबर, १९६४ से शिक्षकों के सम्बन्ध में लाभत्रयी योजना लागू करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो अबतक अवकाश प्राप्त हजारों शिक्षकों को उक्त योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिंडरा बाजार पुल

*५३--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-जौनपुर रोड में पिंडरा बाजार के बीच से जो नाला का पुल है वह बहुत सकरा है ? यदि हां, तो क्या उसको चौड़ा करने पर सरकार विचार करेगी ? इस संबन्ध में अधीक्षक अभियन्ता तथा मन्त्री जी को सन ६५ में तथा जून, ६६ तक प्रश्नकर्त्ता ने कई पत्र दिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पहला भाग--प्रश्नगत पुल के पानी के निकास की चौड़ाई १० फुट है और इसके ऊपर सड़क की चौड़ाई २६ फुट ९ इंच है। इसको चौड़ा करने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। इस नाले के अधस्थल (bed) को पक्का करने के आदेश भेजे जा चुके हैं ।

दूसरा भाग--इसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले में लेखपाल

*५४--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद तहसील में कितने ऐसे लेखपाल इस समय कार्य कर रहे हैं जो चकबन्दी के दौरान में कन्सालिडेटरों के पदों से निकाले हुये हैं तथा उनकी पुनः नियुक्ति किस आधार पर हुई है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

जिला फर्रुखाबाद की किसी तहसील में ऐसा कोई लेखपाल नहीं है जो चकबन्दी के दरमियान में कन्सालिडेटर के पद से बरखास्त हुआ हो और पुनः उसकी नियुक्ति हुई हो ।

*५५--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

[पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकृत किया गया ।]

लखनऊ तहसील सब-ट्रेजरी का चार्ज

*५६--श्री झिलमिटराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सब ट्रेजरी मैनुअल के अनुसार तहसील के खजाने का अधिकारी एवं इंचार्ज तहसीलदार होता है परन्तु उसकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार होता है और उक्त नियमों की अवहेलना करके तहसीलदार, लखनऊ सदर जब से इस तहसील में आये हैं आज तक चार्ज नहीं रखते ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सब ट्रेजरी मैनुअल का नियम यही है:

लखनऊ सदर तहसील में भी जब तहसीलदार सब-ट्रेजरी के समय में तहसील में उपस्थित नहीं रह सकते हैं, सब-ट्रेजरी का चार्ज नायब तहसीलदार के पास रहता है।

जौनपुर जिले में रजिस्ट्रार कानूनगो

*५७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितने रजिस्ट्रार कानूनगो हैं जो स्थायी होते हुये भी गत १२ वर्षों से सन १९५४ से वेतन वृद्धि नहीं पा रहे हैं? क्या सरकार उन कारणों को बतायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई रजिस्ट्रार कानूनगो नहीं है। प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर देने का सवाल ही नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*५८—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६६, से ३० जून, १९६६, तक फर्रुखाबाद जिले में किन किन ग्रामों में आग लगी, उनमें काश्तकारों की कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ, प्रत्येक गांव में कितने प्राणियों की मौत हुई? सरकार की ओर से काश्तकारों की क्या सहायता की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रभावित ग्रामों व जीव हानि की सूचना संलग्न सूची 'क' व 'ख' में दी है। अप्रैल, १९६६, से ३० जून, १९६६ की अवधि में घटित ९५ अग्निकांडों के फलस्वरूप सम्पत्ति को अनुमानतः १८,१५,५३८ १२ रु० की हानि हुई। पीड़ितों को नियमानुसार ८,४१० रु० अहेतुक सहायता तथा १५,५२० रु० तकावी ऋण दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०२८-१०२९ पर।)

मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट के चपरासी

*५९—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में १ अप्रैल, १९६५ से ३० जून, १९६६, तक कितने तलवाने के चपरासी जिले के अधिकारियों की अरदली में रखे गये हैं और वह किस-किस जिला स्तर अधिकारी के यहां रखे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक भी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कानपुर जिलाधीश को लेखपालों का वेतन संबंधी आदेश

*६०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री श्री के० पी० बहादुर उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र, संख्या ५५४५-आई० वी०-२७ डब्ल्यू० बी०-६०, राजस्व (ख) विभाग, दिनांक लखनऊ १ मार्च, सन् १९५९, जो कानपुर जिलाधीश को लेखपालों को वेतन दिये जाने सम्बन्धी भेजा है, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये यह बतायेंगे कि इसका पालन किया गया ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

प्रश्न में वर्णित तिथि को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। शेष प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू इन्टर कालेज, बिन्दकी

*६१--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९६४, से नगरपालिका बिन्दकी, जिला फतेहपुर, द्वारा संचालित नेहरू इन्टर कालेज का प्रबन्ध किन्हीं शासकीय आदेशों के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक द्वारा हो रहा है ? यदि हां, तो प्रशासक द्वारा प्रबन्ध कराने का शासकीय औचित्य क्या है और यह कब तक चलता रहेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, क्योंकि विद्यालय के प्रशासन में कुव्यवस्था फैल गई थी और नगरपालिका बिन्दकी ने उसे चलाने में असमर्थता प्रकट की थी। प्रशासक की वर्तमान अवधि १५-९-६७ तक है।

*६२--श्री रामकिशोर वर्मा--

[६ठे सोमवार के लिये प्र० सं० ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तहसीलदार हंडिया के विरुद्ध जांच

*६३--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद जिले की तहसील हंडिया के तहसीलदार का निजी रुपया तथा कुछ अन्य मूल्यवान सम्पत्ति राजकीय खजाने में मई अथवा जून, १९६६ में किसी दिन पाई गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

जी हां। तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने खजाने का आकस्मिक निरीक्षण कराया। तहसीलदार का एक बन्द बक्स खजाने में पाया गया। सतर्कता विभाग द्वारा मामले की जांच अभी हो रही है।

माध्यमिक विद्यालय, टनकपुर में अध्यापकों को मंहगाई भत्ता

*६४--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, शिक्षा अर्थ (१) विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने पत्र-संख्या अर्थ (१) १४२०-९ दो-३२ (३१) ६५-६६, दिनांक ३१ अगस्त, १९६५, के द्वारा राघेहरि टाउन एरिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टनकपुर, नैनीताल को आदेश दिया है कि विद्यालय ने चूंकि वर्ष १९६२-६३ में महंगाई भत्ता शुल्क विद्यार्थियों से वसूल नहीं किया इसलिये वह राजाज्ञा संख्या ए-२९६९, पन्द्रह-३०७६-६२, जुलाई १९६२ के आदेशों के अनुसार अपने निजी स्रोतों से शुल्क की कमी को पूरा करके अध्यापकों को जुलाई, १९५२, से मंहगाई भत्ता अदा करें ? यदि हां, तो उस विद्यालय ने क्या कार्यवाही की और अध्यापकों को मंहगाई भत्ता दिया गया या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां। विद्यालय प्रबन्धक ने धनाभाव के कारण अभी तक अध्यापकों को भुगतान नहीं किया है परन्तु आश्वासन दिया है कि विद्यालय की स्थिति जैसे ही ठीक होगी वे अवशेष महंगाई भत्ता का भुगतान कर देंगे।

*६५—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय ने सरकार द्वारा अगस्त, १९६५, से बढ़ाया गया २० रुपया प्रति मास मंहगाई भत्ता भी अपने अध्यापकों को अभी तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

*६६—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय के कुछ अध्यापकों का अवशेष वेतन १९६२-६३ व १९६३-६४ का भी भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल के आदेश पत्र संख्या ११८८१/नौ-२३, दिनांक २४ मार्च, १९६५, के बावजूद भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन अध्यापकों का कितना कितना धन बाकी है और भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, ऐसे दो अध्यापक हैं जिनके वेतन शेष हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं—

१—श्री राम प्रताप पाठक, देय धनराशि ५०२ रुपये २६ पैसे।

२—श्री राजाराम गुप्त, देय धनराशि २०४१ रुपये ८१ पैसे।

योग—२५४४-०७ रु०।

भुगतान न करने का कारण धन का अभाव है।

वाराणसी जिले में लेखपालों का भत्ता

*६७—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा), श्री क्षेमचन्द (जिला आगरा) तथा श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी तहसील चन्दौली, चकिया, ज्ञानपुर जिला वाराणसी में लेखपालों को तहसील हेड क्वार्टर में जमाबन्दी या दूसरे कार्य करने का दैनिक भत्ता सन १९६२ से लेकर जून, १९६६ तक प्रतिवर्ष कितना कितना रुपया दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया गया।

*६८—श्री भगवानदास यादवेन्दु, श्री क्षेमचन्द तथा श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों की तनख्वाह कम से कम १०० रुपये मासिक करने का विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

बलिया जिले में सर्वश्री मुनीन्द्र नाथ आदि के ठेके

*६९—श्री सुखलाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री मुनीन्द्रनाथ एवं श्री बृजेन्द्रनाथ पुत्र श्री गोरखनाथ व उनके दामाद श्री दरशेश्वरनाथ, ग्राम सराय, जिला बलिया के नाम से इस प्रदेश में कितने ठेके उनके पास हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०३० पर।)

पटोहाकोट ग्राम समाज की भूमि

*७०—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की तहसील बलरामपुर के ग्राम पटोहा कोट के ग्राम समाज की जो काफी भूमि परती पड़ी है उसे भूमिहीनों में अब तक वितरित न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि वह कब तक वितरित कर दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस गांव की सभी कृषि योग्य भूमि पट्टे पर उठाई जा चुकी है ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*७१—श्री विजयपालसिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर अस्वीकृत किया गया ।]

अस्थायी असिस्टेन्ट इंजीनियर

*७२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि अक्तूबर, १९६६ में कुछ असिस्टेंट इंजीनियरों को जो स्थाई हैं उन्हें अस्थाई करने के आदेश भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कितनों को और क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं । ऐसे आदेश नहीं भेजे गये हैं । बल्कि अक्तूबर ६६ में दस असिस्टेंट इन्जीनियरों को नोटिस भेजी गई है कि उनके स्थायीकरण के आदेश रद्द क्यों न कर दिये जायं क्योंकि ज्येष्ठता के आधार पर वह स्थायीकरण के पात्र न थे ।

पश्चिमी जिलों को लगान में छूट देने की मांग

*७३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों में जिनमें मेरठ व आगरा कमिश्नरी तथा रुहेलखंड कमिश्नरी भी आती है, अति वर्षा व सूखा से उत्पन्न भयानक स्थिति को देखते हुये लगान व आबपाशी आदि के मुआफ करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

खरीफ १३७४ फसली में हानि के कारण यथा समय, अन्तिम सहायता प्रस्तावों के आने पर शासन द्वारा मालगुजारी लगान में नियमों के अन्तर्गत स्थगन छूट पर विचार किया जायेगा तथा सिंचाई विभाग द्वारा आबपाशी के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

लंखनऊ में एडीशनल ट्रेजरी अफसर

*७४--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नियुक्ति विभाग ने सरकारी आदेश नं० ३४७३/१३-५५-५८, दिनांक ८ अक्तूबर, १९५८, के होते हुये सीनियर ट्रेजरी आफिसर के लखनऊ से कानपुर तबादले पर उनके कर्मचारियों से विदाई टैक्स १ रुपया १० पैसा जुलाई, १९६६ में लगाया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस अफसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

कोषागार, लखनऊ के कर्मचारियों पर प्रश्न में उल्लिखित विदाई टैक्स नहीं लगाया गया था।

***७५--श्री रामकिंकर--**

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जब ट्रेजरी अफसरान के संबंध में सरकार का यह कड़ा आदेश है कि कोई एडीशनल तथा ट्रेजरी अफसर एक स्थान पर ३ साल से अधिक न रखा जाय, तो लखनऊ में एडीशनल ट्रेजरी अफसर को ४ साल से ज्यादा रखने के क्या कारण हैं जबकि ३ साल के बाद उनका तबादला दो बार किया गया और रोक दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा--

संबंधित एडीशनल ट्रेजरी अफसर को लखनऊ कोषागार में अभी ४ साल पूरे नहीं हुये। ३ साल के बाद उनका तबादला केवल एक ही बार रोका गया।

***७६--श्री रामकिंकर--**

क्या यह सही है कि तबादले के सिलसिले में नामजद अफसरान ने चार्ज भी ले लिया, परन्तु बजाय एडीशनल ट्रेजरी अफसर के जाने के उन अफसरान का तबादला किया गया जिन्होंने उनसे चार्ज लिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--

जी हां, जनहित एवं प्रशासकीय सुविधा के लिये।

गाजीपुर जिले में सूखा

***७७--श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--**

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूखे के कारण इस वर्ष गाजीपुर जिले में कुल कितने एकड़ की धान और खरीफ की फसल नष्ट हुई है और जिले में बोयी कुल फसल का वह कौन सा हिस्सा है ?

श्री हुकमसिंह विसेन--

खरीफ के अन्तिम सहायता प्रस्ताव भेजे जाने की अन्तिम तिथि नियमों में १५ दिसम्बर निर्धारित है। जिले से अन्तिम सहायता रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

*७८—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में कुछ हिस्से में पिछले वर्ष भी सूखे से क्षति हुई थी और इस वर्ष भी सूखा पड़ जाने से जिले में अकाल की स्थिति आ गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके निराकरण के लिये अभी तक कौन-कौन सी सुविधायें दी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गाजीपुर जिले में अकाल की स्थिति नहीं है । जिले को सूखे के कारण सहायतार्थ शासन द्वारा (३०-११-६६ तक) ६,३२,००० रु० आपत्तिकालीन तकावी, ३२,००० रु० अहेतुक सहायता, ७,००,००० रु० कच्चे कुयें खोदने हेतु अनुदान तथा ५,००० रु० विद्यार्थियों की निःशुल्क वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत किये गये हैं । इनके अतिरिक्त जिले में टेस्ट वर्क्स चालू करने के लिये ५०,००० रु० दिया गया है ।

*७९—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले वर्ष के सूखा में गाजीपुर जिले में स्थगित मालगुजारी को इस वर्ष के सूखे के दौरान में सरकार ने पूरा वसूल कर लिया है ? ऐसी स्थिति में इस वर्ष जो स्थगित किया है उसकी पूरी माफी की घोषणा कर देंगे विशेषतः यह देखते हुये कि जिले में इस वर्ष रबी की फसल भी बोयी न जा सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पिछले वर्ष की स्थगित मालगुजारी (खरीफ १३७३ रु०) का अधिकांश हिस्सा वसूल किया जा चुका है । यह वसूली सूखे से पैदा हुई स्थिति के पूर्व हुई थी ।

खरीफ १३७४ फ० की क्षति का नियमित अन्तिम सहायता प्रस्ताव आने पर मालगुजारी लगान में नियमानुसार स्थगन-छूट पर विचार किया जायगा ।

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का प्रबंध

*८०—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, में कार्यकारिणी के किसी सदस्य ने शिक्षा मंत्री और राज्यपाल को पत्र द्वारा विश्वविद्यालय की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति को अविलम्ब सम्हालने का आग्रह किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । राज्यपाल महोदय इस बारे में जांच करा रहे हैं ।

*८१—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर स्थाई नियुक्ति के लिये निर्धारिणी समिति ने अपनी संस्तुति सरकार को दे दी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । कुलपति महोदय ने एक सज्जन को आमन्त्रित किया है ।

गोलवा घाट पर टोल टैक्स

*८२--श्री रामग्रधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा ऐसा ग्रादेश जारी हुग्रा है जिसके द्वारा जिला बहराइच में शहर बहराइच से २ मील की दूरी पर गोलवा घाट पर बनाये गये पुल पर पथ-कर वसूल किया जाय ? यदि हां, तो ग्रादेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्नगत पुल पर टोल लगाने के ग्रादेश शासन द्वारा १४ ग्रगस्त, १९५८, को जारी किये गये थे । ग्रादेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' ग्रागे पृष्ठ १०३१ पर)

*८३--श्री रामग्रधार कनौजिया--

पुल पर संपूर्ण कितना धन व्यय हुग्रा था तथा ग्रब तक पथ कर के रूप में कितना धन वसूल किया जा चुका है तथा ग्रब तक वसूली बन्द रखने एवं पुनः ग्रारम्भ करने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पुल पर कुल व्यय ४,६१,४६० रु० हुग्रा तथा २७-११-६६ तक पथकर के रूप में १,८१,८७१.०३ रु० (एक लाख इक्यासी हजार ग्राठ सौ इकहत्तर पये तीन पैसे) वसूल हुये। पथकर की वसूली बन्द करने का यह कारण था कि शासन के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पुल पर टोल लगना चाहिये ग्रथवा नहीं । इस प्रश्न के तय होने तक वसूली बन्द रखी गई । ग्रन्त में यह निर्णय हुग्रा कि टोल लगना चाहिये ग्रौर टोल पुनः ग्रारम्भ कर दिया गया ।

*८४--श्री रामग्रधार कनौजिया--

क्या यह सही है कि पुराने पुल के स्थान पर पुल बनाये जाने पर पथ कर नहीं लगाया जायगा ? यदि हां, तो चूंकि गोलवाघाट, बहराइच पर बना हुग्रा पुल पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया है, पुराने पुल की काठियां ग्रब भी खड़ी हैं, ऐसी दशा में क्या मंत्री महोदय ग्रादेश को रद्द करते हुये जनता को टैक्स से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यदि किसी पक्के मोटर जाने वाले पुल के स्थान पर नया पक्का पुल बनाया जाता है तो उस पर टोल नहीं लिया जाता यदि पुराना पुल भी टोल से मुक्त हो । प्रश्नगत पुल पैन्टून पुल के स्थान पर बनाया गया था, ग्रतः इस पुल पर टोल लगाने के ग्रादेश को रद्द करना संभव नहीं है । परन्तु फिलहाल शासन ने इस पर टोल लगाना स्थगित कर दिया है ।

ग्रतारांकित प्रश्न

मंझनपुर तहसील में लगान में छूट

१--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष १९६६ के खरीफ फसल में हुई क्षति के संबंध में जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के कृषकों को कितनी-कितनी छूट दी गई है ? क्या उसकी सूचना कृषकों को देकर शेष लगान वसूल किया जा रहा है ग्रथवा संपूर्ण बकाया सहित ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

खरीफ १३७४ फसली में हुई हानि के कारण नियमानुसार, यथा समय, अन्तिम सहायता प्रस्ताव आने पर मालगुजारी (लगान में नियम के अन्तर्गत छूट) स्थगन पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा। नवीनतम आदेशानुसार, जिलाधिकारी द्वारा जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में निलंबित खरीफ १३७४ फसली किस्त की मालगुजारी की वसूली के साथ ही साथ अधिभार तथा मालगुजारी के बकाये की वसूली भी, शासन के अगले आदेशों तक न की जावेगी।

जौनपुर जिले में सड़कों का निर्माण

२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जौनपुर जिले में कुल कितने मील पक्की सड़कों का निर्माण हुआ ? उसमें विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं में गत योजना में कितने मील पक्की सड़कों का निर्माण हुआ और वह कहां से कहां तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस जिले में तृतीय पंचववर्षीय योजना काल में ११ मील २ फर्लांग पक्की सड़कों का निर्माण हुआ। मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में इस योजनाकाल में किसी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ।

३—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले में मछलीशहर से मड़ियाहूं तक सड़क को पक्की कराने हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ ? तथा उसमें कितना धन व्यय हुआ तथा कितनी मील लम्बी सड़क पक्की बनी ? यदि नहीं, तो क्या न बनने के कारणों को स्पष्ट करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क का निर्माण इस विभाग की किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। इस सड़क के निर्माण के लिये जिला परिषद् को कुछ अनुदान दिया गया था।

प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, कृपया नत्थी 'घ' में प्रश्न संख्या ४६ देखने का कष्ट करें जो मेरे अतिरिक्त माननीय हरिनाथ तिवारी और माननीय रियासत हुसैन ने दिया है। उसका उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, इस प्रकार है :

"इस प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें यह नहीं लिखा था कि श्रीमती राम रती देवी का नामा कुटुम्ब रजिस्टर के भाग १–२ में नहीं था और न यही लिखा था कि प्रधान ग्राम सभा ने फर्जी इन्दराज करने पर विरोध किया"

इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जो शिकायती-पत्र जिलाधीश और कमिश्नर को दिया गया था उसकी मूल प्रति मेरे पास है, उसका एक सेन्टेन्स मैं आपके सामने पढ़े देता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

वह मुझे दे दीजिये, मैं पढ़ लूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, कृपया आप मेरे प्रश्न ५२ को देखने का कष्ट करें जिसमें मैंने पूछा था कि "क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने २ अक्तूबर, १९६४, से शिक्षकों के संबंध में लाभत्रयी योजना लागू करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो अब तक अवकाश प्राप्त हजारों

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

शिक्षकों को उक्त योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ?" उत्तर मिला कि सूचना एकत्रित की जा रही है। श्रीमन्, यह प्रश्न २७ अगस्त को दिया गया था और लगभग ४ महीने हो गये हैं लेकिन आज तक उनको यह सूचना प्राप्त नहीं हो पायी है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या जो सरकार की लाभत्रयी योजना है, उसकी घोषणा की गयी है अथवा नहीं ? इसकी तो जानकारी हमको करा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आज आखिरी दिन है, इस पर क्या व्यवस्था हो ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह अध्यापकों का मसला है, हजारों अध्यापक इससे प्रभावित हैं। उनको पेंशन नहीं मिल रही है और उनके कागजात तक नहीं दुरुस्त हो सके हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय केदारी प्रसाद जी, अब फिर मिलेंगे तो इस पर बात कर लेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, कल मैंने अपने दो प्रश्नों के संबंध में निवेदन किया था जो अस्थायी एजेन्डा में सम्मिलित थे लेकिन फिर वह काट दिये गये। एक तो दास साहब के संबंध में था और एक जो सरकार ने आश्वासन दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे कक्ष में आ जायं, मैं देख लूंगा। अब बिना देखे हुये मैं कैसे बतलाऊं ?

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६६ के अन्तर्गत प्रख्यापित आदेश †

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा (ग-१) विभाग की (क) विज्ञप्ति संख्या सी-१-७४२५/१५-६०(४१)-१९६६, दिनांक २१ नवम्बर, १९६६, द्वारा प्रख्यापित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६६, की धारा ५१ के अन्तर्गत आदेश को, तथा

(ख) शुद्धि-पत्र संख्या ग-१/८४९९-१५-६०, दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या ग-१/७४२५(१)-१५-६०(४१)-१९६६, दिनांक २१ नवम्बर, १९६६, द्वारा प्रख्यापित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० की उपधारा (१) के खंड (कक) के अन्तर्गत प्रख्यपित आदेश को,

क्रमशः उक्त अधिनियम की धारा ५१ की उपधारा (३) तथा धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की लाभ पद विषयक संयुक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लाभपद विषयक संयुक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन †

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विनियोग लेखे १९६४–६५ एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६ तथा राजस्व प्राप्तियों के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन †

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इसके पहले कि मैं यह प्रतिवेदन सदन के सामने प्रस्तुत करूं, एक बात के संबंध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस वर्ष लोक लेखा समिति ने विशेष कठिनाइयों में अपना कार्य किया है । बार बार मेरी प्रार्थना करने के बाद भी विनियोग लेखे १९६४–६५ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६ एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६, ३० नवम्बर, १९६६, को सदन में रखने के लिये मुझे मिल सका है । मुझे इस पर दुख था और आशंका थी कि क्या सरकार इस प्रकार की अड़चनें डाल रही है कि इसका कार्य संपन्न न होने पावे और इसको समय से सदन के सामने न रखा जा सके । लेकिन जिस किसी कठिन परिस्थितियों में मैंने उस प्रतिवेदन को तैयार किया है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ।

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश सरकार के विनयोग लेखे १९६४–६५ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६, एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६६, पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इस प्रतिवेदन की कुछ मुख्य बातों का उल्लेख मैं यहां कर देना आवश्यक समझता हूं—

(१) आय तथा व्यय के अनुमान वास्तविक स्थिति के सूचक नहीं होते हैं । आय का कम अनुमान लगाया जाता है जबकि गत कई वर्षों से यही देखा जा रहा है कि आय अन्त तक अधिक होती है, फलस्वरूप सरकार को अनावश्यक कर लगाने पड़ते हैं । इस प्रकार के अनुमान लगाने का परिहार समिति को अपेक्षित है ।

(२) प्रायः देखा गया है कि प्रशासकीय विभाग अपने विभागों से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्ताव इतने विलम्ब से वित्त विभाग को भेजते हैं कि उनकी सूक्ष्म जांच नहीं हो पाती तथा आक्कलन पूर्व अनुभव के आधार पर नहीं बनाए जाते । (१) कृषि विकास तथा अन्वेषण (२) सार्वजनिक निर्माण (३) औद्योगिक विकास समिति के सामने इस प्रकार के कई उदाहरण आए जिनमें आक्कलन बनाने की उपरोक्त कमियों के फलस्वरूप पूंजीगत व्यय में भारी बचतें हुई हैं ।

(३) सरकार की ऋण स्थिति बढ़ती जा रही है जिसको समिति ने गंभीर माना है । ३१–३–१९६५ को शासन का ऋण कुल ५७३.६० करोड़ रु० था जबकि ३१–३–१९६१ को ३९१.६१ करोड़ रु० था । इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की ऋण स्थिति तेजी से बढ़ रही है । इस सम्बन्ध में पूर्व सिफारिशों की भांति समिति सिफारिश करती है कि ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय एवं ऋण की अदायगी के लिए सरकार आवश्यक साधन सुलभ करे क्योंकि अधिक ऋण लेना राज्य के हित में न होगा ।

---

†छापा नहीं गया ।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

(४) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा उस पर ब्याज की वसूलियां कई वर्षों से नहीं हो रही हैं जिनमें भारी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है।

(५) सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के बावजूद भी विभागों से आडिट रिपोर्ट पर मांगी गई व्याख्यात्मक टिप्पणियां समय से नहीं भेजी जातीं। समिति को यह भी अनुभव हुआ है कि वैभागिक अधिकारीगण समिति के समक्ष साधारणतः सम्यकरूप से तैयार हो कर नहीं आते। कृषि विभाग के अधिकारी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। कृषि आयुक्त ने समिति के सम्मुख अपनी उपस्थिति रोकने के लिए उच्च स्तरीय प्रभाव का प्रयोग किया जिस की समिति घोर निन्दा करती है।

(६) समिति द्वारा निरन्तर सिफारिशें करने के उपरान्त भी कई विभागों में व्यय अनुमान से अधिक पिछले कई वर्षों से होता रहा जैसे सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय, आयुक्त तथा जिला प्रशासन, विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत व्यय, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि विभाग हैं। समिति इस प्रकार के आधिक्य की निन्दा करती है तथा चाहती है कि व्ययाधिक्य को नियन्त्रित कराया जाय।

(७) वृद्धि के अनुरूप बचत भी होती चली आ रही है। समिति को आश्चर्य है कि १९६४–६५ में ८९ मदों में ३९.९९ करोड़ रुपए की बचत रही। समिति चाहती है कि अनुमान पिछले अनुभव के आधार पर बने जिससे ये बचतें न हों और धन का उचित प्रयोग हो सके। बचत से सम्बन्धित मुख्य विभाग यह हैं:

(१) कृषि,
(२) स्टेट ट्रेडिंग,
(३) पशुपालन,
(४) प्लानिंग,
(५) सार्वजनिक निर्माण।

(८) निर्धारित सीमा से अधिक स्टाक रखना, फालतू स्टाक जमा करना तथा स्टाक का समयानुसार वेरीफिकेशन न होने तथा अनावश्यक सामान खरीदने के मामले भी समिति के सामने आए। समिति को खेद है कि इस सम्बन्ध में लगातार सिफारिशें किए जाने के बावजूद भी अनियमिततायें दूर नहीं हुईं।

स्वायत्त शासन (अभियन्त्रण विभाग द्वारा बीटुमिनाइज्ड पाइप) क्रय करने में बरती गई अनियमितता को समिति गम्भीर मानती है।

(९) योजनाओं के सम्बन्ध में समिति का अनुभव है कि निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होता। लक्ष्य ऊंचे निर्धारित किए जाते हैं परन्तु सफलता बहुत कम होती है। आय-व्ययक में प्राविधान मांगते समय योजनाओं के सभी पहलुओं का ब्योरेवार विवरण नहीं बताया जाता। बहुत सी योजनायें चालू होने के उपरान्त अनावश्यक अथवा अलाभकर समझ कर छोड़ दी जाती हैं। समिति चाहती है कि जो योजनायें विधान मण्डल से स्वीकृत होती हैं उन्हें जब परित्याग किया जाता है तो उसकी सूचना विधान मण्डल को भी दी जाय। योजनाओं की उपलब्धियों तथा लक्ष्यपूर्ति का विवरण भी विधान मण्डल को प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिए।

(१०) भारत सरकार से जिन योजनाओं के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मिलती है उनको बिना किसी सूक्ष्म परीक्षा के प्रारम्भ कर दिया जाता है इससे कभी-कभी योजनायें असफल होती है तथा कुछ समय चलने के उपरान्त परित्याग कर दी जाती हैं। अतः ऐसी योजनाओं की सूक्ष्म परीक्षा उसी प्रकार हो जिस प्रकार राज्य सरकार अपनी योजनाओं की सूक्ष्म परीक्षा करती है।

(११) समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि आय-व्ययक के प्राक्कलन तैयार करने में इस कारण भी कठिनाई होती है कि ऐनुअल प्लान सीलिंग योजना आयोग द्वारा विलम्ब से निश्चित की जाती है और उनकी सूचना देर से दी जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए समिति का सुझाव है कि राज्य सरकार योजना आयोग से अनुरोध करे कि ऐनुअल प्लान सीलिंग यथा सम्भव समय से निर्धारित कर दिया करें जिससे राज्य सरकार के अनुमान सन्तोषप्रद बनाए जा सकें।

(१२) सहायक अनुदान तथा ऋण उनके वास्तविक उपयोग के बहुत पहले न दे कर उचित किस्तों में देना चाहिए। ऋण बांटने के अधिकारी वर्ग यथासम्भव यह सूचना प्राप्त कर लें जिससे यह किया जा सके कि धनराशि का उपयोग समय के अन्दर हो जाने की आशा वर्तमान हो।

(१३) राज्य सरकार द्वारा संचालित व्यापारिक कार्यकलाप लाभकारी सिद्ध नहीं हो रहे। परिवहन विभाग में बसों का तथा प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी में लाभ घट रहा है। विद्युत् परिषद् भी अब तक लाभकारी स्थिति में नहीं पहुंचा।

(१४) "मेन पावर स्कीम" का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। धन अन्य मदों में व्यय किया गया। परिवार नियोजन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। समिति ने देखा कि योजना के अन्तर्गत स्टाफ के लिए धन व्यय किया जा रहा है फिर भी कुछ प्रमुख महिलाओं को परिवार नियोजन के कार्य के लिए २,००० से ४,००० रु० तक की धनराशि वार्षिक आनरेरियम दिया जाता है। समिति को ज्ञात नहीं कि इनको किस कार्य का 'मानदेय' दिया जाता है।

(१५) सेल्स टैक्स की वसूलियां बड़ी संख्या में बकाया हैं जो कि कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों पर भी अदत्त हैं। इसी प्रकार काफी मामलों में टैक्स का अन्डर असेसमेंट हुआ है। सम्बन्धित विभाग से उन दस आदमियों के नाम मांगे गए थे जिन पर अधिक राशि बकाया हो परन्तु खेद है कि यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

(१६) समिति के सामने ऐसे भी मामले आए हैं जिनमें नियम न बनने के कारण अथवा पुराने नियमों में संशोधन (परिवर्तन न करने के कारण राजस्व की हानियां हो रही हैं) इनमें प्रमुख विभाग हैं :

(१) उद्योग,
(२) सिंचाई,
(३) कृषि,
(४) वन,
(५) श्रम,
(६) विद्युत्।

इनके अतिरिक्त समिति को अनेकों अनियमिततायें तथा व्यतिक्रमों के उदाहरण लिये जिससे पता चलता है कि सरकारी धन का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है। समिति चाहती है कि भविष्य में शासन द्वारा ऐसे कदम उठाए जायें जिससे इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति हो। समिति यह भी चाहती है कि समिति के इस प्रतिवेदन पर सदन में विचार विमर्श का अवसर प्रदान किया जाय जिससे कि जनता के प्रतिनिधियों को इन महत्वपूर्ण मामलों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर मिले।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह रुपया किस लिए दिया गया है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो महिलायें फैमिली प्लानिंग की सदस्य हैं उनको यह वार्षिक आनरेरियम दिया जाता है। इसका उल्लेख मैंने माननीय सदन के सम्मुख कर दिया। समिति को ज्ञात नहीं कि किस लिए यह रुपया दिया जाता है।

श्रीमन्, अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं अपने सचिव, विधान सभा एवं कर्मचारियों के प्रति इसलिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी दक्षता, तत्परता एवं कुशलता के साथ मेरे साथ सहयोग दिया और मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही साथ मैं ए० जी० महोदय तथा उनके कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके कारण मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा।

एक बात और कह देना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट तैयार करते समय ऐसी बात भी मेरे सामने आई जिसमें अनेक मामले डिफाल्केशन के हैं और कई वर्षों के हैं, जिसमें सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सरकार उस पर भी ध्यान दे क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दीजिए।

लोक लेखा समिति का छठवां कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन पर अग्रेतर प्रतिवेदन †

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश का सहकारी नलकूप योजना उत्तर प्रदेश का छठवां कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन पर अग्रेतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस मामले की जांच या तो किसी उच्च बाडी से या माननीय सदन के मेम्बरों की समिति से करायें क्योंकि इसमें इतना अधिक धन व्यय होने की शंका है जिसके लिए जांच करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की आश्वासन समिति का चौथा विशेष प्रतिवेदन †

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से सभापति का चौथा प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

१६ फरवरी, १९६५ को श्री लखीसिंह ने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि बठेन नाला जिला मथुरा की खुदाई और सफाई न होने के कारण तहसील छाता के कई ग्राम जलमग्न हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ फसल की क्षति होती है; इस सम्बन्ध में सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि सन् ६५ की बरसात के पूर्व ही जून, १९६५ में नाले को खोदकर साफ किया जायगा और उसे गोवर्धन ड्रेन में डाला जायगा। इसमें बहुत बड़ा भाग जलमग्न होने से बच जायगा। आश्वासन की पूर्ति के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई और मुख्य अभियन्ता, सिंचाई ने समिति के समक्ष जो स्पष्टीकरण दिया उसका

†छापा नहीं गया।

श्री लखीसिंह, सदस्य, विधान सभा, तथा प्रधान ग्राम सभा कमई, तहसील छाता, ने प्रतिवाद किया। अतः समिति के प्राधिकृत करने पर माननीय सिंचाई मन्त्री को श्री लखीसिंह के पत्र की प्रतिलिपि भेज कर मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वह इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करवा कर समिति को वस्तुस्थिति से अवगत करा दें। यह ज्ञात नहीं है कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने इस बारे में कोई कार्यवाही की अथवा नहीं। मुझे इस बात का अत्यधिक क्लेश है कि उन्होंने उपरिलिखित पत्र के प्राप्त होने की सूचना भी आज तक नहीं दी।

मौके के निरीक्षण करने तथा जिले के सम्बन्धित अधिकारियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि टेक्निकली आश्वासन यद्यपि पूर्ण हो गया है परन्तु जिस उद्देश्य से श्री लखीसिंह ने सदन में प्रश्न किया था और जिस भावना से माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है। मथुरा जिले के उक्त क्षेत्र की जलप्लावन समस्या अब भी मौजूद है। समिति का मत है कि बठेन नाले को और अधिक गहरा तथा चौड़ा करने की आवश्यकता है।

इस प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सहायता, सहयोग तथा कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं।

अन्त में मैं मथुरा जिले के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित होकर समिति के कार्य में सहायता प्रदान की।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६-६७) का तेईसवां प्रतिवेदन†

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६-६७) का प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास कई एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आए हैं और उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

एक मेरा है, जरा उस पर ध्यान दीजिए।

श्री अध्यक्ष---

आपका अकेला नहीं है।

---

†छापा नहीं गया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है उसको पढ़ दिया जाय। कल माननीय मुख्य मन्त्री ने भाषण दिया। यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि इतना इतना पैसा दिया गया लेकिन उसके साथ एक बात कही कि हड़ताली राज्य कर्मचारियों के स्थान पर सरकार द्वारा भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में भर्ती किए जायेंगे और वह प्रथा अनुसरण की जायगी जो अमेरिका में अनुसरण की जाती है, यानी कांस्टीट्यूशन पर भी अब ध्यान नहीं दिया जायगा। यह स्थिति असाधारण है। ५२ हजार रुपया तीन महीने में मन्त्रियों ने सूखे के समय अपने ऊपर खर्च कर दिया। अब उन्होंने दूसरी बात सोची।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस होने लगी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आज आखिरी दिन है। इतने महत्व का प्रश्न है। कांग्रेसी लोगों को रेक्रूट करके उनसे काम करवाएंगे। यह बड़ी कठिन परिस्थिति आ गयी है। इसको आप गम्भीर नहीं समझते। यह बड़ी गम्भीर परिस्थिति है। मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जो विषय नेता विरोधी दल उठाना चाहते हैं उस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह उस पर नहीं है। यह तो इस पर है कि सरकारी कर्मचारियों की जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कल शिकायत यह थी कि सारा काम ठप पड़ा हुआ है और अब जब मुख्य मन्त्री काम चलाने के लिए व्यवस्था कर रही हैं तो उसके विरुद्ध भी कामरोको प्रस्ताव। तो दोनों ही दशाओं में कामरोको प्रस्ताव! यह तो विरोधात्मक है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

प्रजातन्त्र को सुचारुरूप से चलाने के लिए और प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य कर्मचारी राजनीति से अलग रहें, दोनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग-अलग बनाया गया है और अब आप यह व्यवस्था दे देंगे तो प्रजातन्त्र ही समाप्त हो जायगा। इन्हीं राज्य कर्मचारियों को ही राजनीति में हिस्सा लेने के लिए एलाउ कर दिया जाय तो छुट्टी हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्री झारखंडेराय, रामसुन्दर शास्त्री और ऊदल का एक कामरोको प्रस्ताव आया है कि १२ नेताओं को अकारण गिरफ्तार कर लिया गया है और नई भर्ती हो रही है। इसमें दो बातें दी गयी हैं, किन्तु कामरोको प्रस्ताव में एक ही विषय आ सकता है, दो नहीं, इसलिए इसको मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, नई भर्ती हो रही है, इस पर बल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

श्री उग्रसेन का कहना है कि ८-१२-६६ को सुबह भूख से मर गया रामबली यादव ग्राम लवरछी, जिला देवरिया, में। चूंकि यह अखबार पर आधारित है, इसलिए इसे मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैंने दो तारीख को लवरछी ग्राम, जिला देवरिया, के सभापति श्री देवनारायण का तार इस सदन में पढ़ा था कि वह भूख से मरणासन्न हैं। मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री को भी इसका तार आया है। तो बताइए अब क्या किया जाय। दो दिसम्बर को अखबार में पढ़ा था और मैं खुद वहां देखने गया। यह वहां पर की दूसरी भुखमरी है। उसकी औरत पहले मरी थी और अब वह भी मर गया। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लोग उसके कफन के लिए पैसा जमा कर रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं समझता हूं कि यदि कोई भूख से मर जाय तो वह गोली लगकर मरने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे अवश्य ले लिया जाय। यदि इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव में न ले सकें तो नियम ५२ में अवश्य ले लें।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रस्ताव श्री माधवनारायण मुद्गल और श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल जी का आया है, उन्हें चकबन्दी ऐक्ट के अन्तर्गत कुछ शिकायतें हैं। उसको मैं विशेष ध्यान हेतु मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने वहां भेज दिया, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि माल मन्त्री जी इसके लिए एक अध्यादेश जारी कर दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

सदन न बैठा हो तो आर्डीनेन्स जारी हो सकता है। सदन उठने के बाद आप उनसे मिल लीजिएगा।

श्री सूरजलाल गुप्त और शुकदेवप्रसाद जी का एक है कि २९ अक्तूबर को गोंडा में जो पुलिस द्वारा छात्रों पर गोली वर्षा हुई और उसमें दो छात्र मर गए, उसके बारे में है। यह बहुत ही विलम्बित है, तो भी मैं मन्त्री जी के पास इसे भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

मैंने जो प्रस्ताव उठाया है, उसकी आप जांच कर लीजिए तो बहुत अच्छा हो, नहीं तो कोई रास्ता बताइए। आज से मैं भी जा रहा हूं और आप भी जा रहे हैं। पता नहीं अब कब मिलना होगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

जितने भी कामरोको प्रस्ताव हैं वे सरकार के पास भेज दिए जायेंगे।

नलकूपों को बिजली न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी सब वक्तव्यों को एक साथ पढ़ दें और कापी वक्तव्यों की माननीय सदस्य को भिजवा दें।

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी अच्छा।

"फतेहपुर जिले में चतुर्थ योजना अवधि में खजुआ विकास खण्ड के असिंचित ग्रामों की सिंचाई के लिए पारादाना माइनर बनाने व परियापुर माइनर के बढ़ाव का प्रस्ताव किया गया है।

अमौली विकास खण्ड में केवल दो ग्राम ओरासरी व इटर्रा के लिए बहरामपुर माइनर के बढ़ाव का प्रस्ताव किया गया है। शेष ग्रामों के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बारे में स्थिति सर्वेक्षण के बाद मालूम होगी। रामगंगा योजना के निर्माण के बाद उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होने की सम्भावना है।

फतेहपुर जिले में निजी नलकूप तथा पम्पिंग सेट के विद्युतीकरण का टार्गेट १५० था जिसमें से नवम्बर, १९६६ तक ७७ का विद्युतीकरण हो चुका है। बोर्ड ने फतेहपुर जिले के लिए एक और एस० डी० ओ० की मंजूरी दे दी है और आशा है कि कार्य में शीघ्र ही प्रगति होगी। यह तो श्री रामकिशोर वर्मा, फतेहपुर की सूचना के विषय में था।

अब सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, हिम्मतसिंह तथा रक्षपाल सिंह द्वारा दिए गए नियम ५२ के सम्बन्ध में कहना है कि "बुलन्दशहर एटा और फतेहपुर जिलों के माननीय सदस्यों ने निजी नलकूपों को बिजली दिए जाने की बात कही है। जहां तक बुलन्दशहर जिले का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि नवम्बर, १९६६ के अन्त तक ६५९ नलकूपों एवं पम्पिंग सेट को बिजली दी जा चुकी है। एटा जिले में ७३ नलकूपों को नवम्बर, १९६६ के अन्त तक बिजली दी जा चुकी है। पहले एटा हाईडिल डिवीजन में मथुरा और आगरा जिले भी सम्मिलित थे परन्तु अब आगरा और मथुरा जिलों के लिए एक अलग खण्ड बना दिया गया है और एटा क्षेत्र में प्रगति होने की सम्भावना है। नवम्बर, १९६६ के अन्त तक बिजली के लिए केवल ६० प्रार्थना-पत्र शेष रह गए थे।

फतेहपुर जिले में अब तक ७७ निजी नलकूपों को बिजली दी जा चुकी है। केवल ३४ प्रार्थना-पत्र नवम्बर, १९६६ के अन्त तक विभाग के पास कार्यवाही हेतु रह गए थे।

अन्त में यह कह देना आवश्यक होगा कि निजी नलकूपों एवं पम्पिंग सेट के विद्युतीकरण में सबसे अधिक ध्यान उन क्षेत्रों को दिया जा रहा है जो इस समय विशेष सूखाग्रस्त हैं और यथा-सम्भव दूसरे क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।"

अब श्री लखीसिंह, चन्द्रबलीसिंह व रामकिशोर त्रिपाठी के द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिए गए नोटिस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मथुरा जिले के अन्तर्गत आगरा नहर के रजबहों के चलाने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि आगरा नहर पर सभी चैनेल्स टाइट रोस्टर १/४ के अनुसार चलाए गए। सूखे के कारण पानी की कमी है। इसका प्रभाव नहरों पर भी पड़ा। इसके अतिरिक्त नहरों पर खादियां काफी हुई।

अपर डिवीजन आगरा नहर की १७-१२-६६ से रोस्टर के अनुसार चालू रहने की आशा है।

जहां तक बिजली देने का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि खंभे लगा दिये गये हैं परन्तु बिजली के तार न मिल सकने के कारण अभी बिजली नहीं दी जा सकी है। तार के उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

कुंआनो पम्प नहर (मुखलिसपुर)—

इस नहर को अक्तूबर, १९६६, में २४ दिन चलाया गया तथा १-११-१९६६ से लगातार चलाई जा रही है। इसे अधिकृत डिस्चार्ज (१२० क्यूसेक्स) से चलाया जा रहा है जब कि नदी का डिस्चार्ज केवल १६० क्यूसेक्स ही है।

पिछले साल इस नहर से ३०-११-१९६५ तक रबी में ९५० एकड़ की सींच हुई थी जब कि इस साल उसी अवधि में लगभग ५,००० एकड़ रबी की सींच हुई है।

बखोरा पम्प नहर बस्ती—

यह नहर अक्तूबर में २४ दिन चलायी गयी तथा १-११-१९६६ से बराबर चलाई जा रही है। दो तीन दिन बिजली की खराबी के कारण नवम्बर, १९६६ में यह नहर बन्द रही। इस नहर से पिछले रबी में ३०-११-१९६५ तक ४७५ एकड़ की सींच हुई जब कि इसी अवधि में इस साल १,५०० एकड़ की रबी की सींच हुई है।

रामगढ़ताल नहरें (पूर्वी और पच्छिमी)—

ये नहरें रामगढ़ ताल से निकाली गई हैं जिससे गोरखपुर बिजली घर को भी पानी मिलता है। पानी की सतह कम होने के कारण नहरों को अक्तूबर मास में नहीं चलाया गया ताकि बिजली घर को पानी की कमी न पड़े यह नहरें ११-११-१९६६ से बराबर चलाई जा रही है।

पूर्वी नहर से पिछले साल रबी में ३०-११-१९६५ तक २१४ एकड़ की सींच हुई जब कि इस साल उसी अवाध में १,३३० एकड़ की रबी की सींच की जा चुकी है।

पच्छिमी रामगढ़ नहर से पि ले वर्ष रबी में ३०-११-१९६५ तक २४ एकड़ की सींच हुई थी जब कि इस वर्ष उसी अवधि में ३१५ एकड़ रबी की सींच की जा चुकी है।

सुरहाताल पम्प नहर (बलिया)—

सुरहाताल में पानी की सतह इस साल १७९ फीट थी जब कि सुचारुरूप से नहर को चलाने के लिये कम से कम पानी की सतह १८३ फीट होनी चाहिये। अतएव यह नहर रबी में बिलकुल नहीं चलाई जा सकी।

उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में चकबन्दी के कारण गूलों की अव्यवस्था—

उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में जो चकबन्दी की गई है उनके कारण नहरों की गूलें आंशिक रूप से अवश्य अव्यवस्थित हो गई हैं।

पिछले वर्ष चकबन्दी विभाग से परामर्श करने पर यह निश्चय किया गया था कि चकबन्दी के समय नहर विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की सलाह से ही गूलों का प्राविधान किया जाना चाहिये। प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने चकबन्दी कर्मचारियों के साथ ३०-४० मील लम्बी गूलों का मौके पर रेखांकन किया था। इसी प्रकार इस वर्ष भी गूलों का रेखांकन किया जायगा।

(इस समय १२ बजकर ३९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

इस वर्ष इस क्षेत्र में नहरों के प्रस्तावित क्षेत्र की सिंचाई हो चुकी है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आदेश दे दिये गये हैं कि किसानों द्वारा गूलों की कठिनाई के विषय

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मौके पर उचित गूल का रेखांकन कर दिया जाय । यदि किसान स्वयं ऐसी गूलों को बनवाने में असमर्थ होंगे तो कैनाल ऐक्ट के प्राविधान द्वारा उनके खर्च पर गूल बनवाने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बुलन्दशहर जिले में कम से कम ५०० ट्यूबवैलों को और बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बुलन्दशहर जिले में जो टारगेट था वह पूरा कर दिया गया है । बल्कि उस से भी कुछ ज्यादा लोगों को कनेक्शन दिया गया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि बहुत से ट्यूबवैल गोरखपुर जिले में ऐसे हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र बटिहरा में ऐसे ट्यूबवैल हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं दी गई है जिसके कारण वे ट्यूबवैल अभी तक नहीं चल सकते हैं ? क्या मंत्री जी इस प्रकार का आदेश देंगे कि ऐसे ट्यूबवैलों को, जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच पायी है, बिजली तुरन्त दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी बिजली लाइन कितनी दूर है । अगर लाइन नजदीक है तो जरूर दी जायगी । जो ट्यूबवैल तैयार हो गये हैं उनको तुरन्त बिजली दी जायगी और गोरखपुर तो सूखे के क्षेत्र में है तो वहां पर सबसे पहले दी जायगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जौनपुर में रामनगर, जैपालपुर, भारडीह, कसेरवा, बसेरवा, चौकीकलां, अहमदपुर मैथौली (सराय डिग) में ट्यूबवैल की बोरिंग हो गई है, लेकिन न अभी तक खम्भा लगा है और न बिजली की लाइन पहुंच सकी है ? उन ट्यूबवैलों की ऐसी क्षमता है जिनसे काम लिया जा सकता है और सूखे में सिंचाई का साधन हो सकता है तो वहां पर बिजली देने के लिये मंत्री जी आदेश देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जौनपुर में लाइन की कुछ कमी थी तो हमने वहां पर खासतौर से एक डिवीजन खोल दिया है ताकि तैयार हुये कुओं को बिजली दी जा सके । जो नलकूप हमारी बिजली लाइन के नजदीक होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं । तो जैसा मैंने कहा कि वहां पर हमने एक डिवीजन कायम कर दिया है इन सब बातों को देखने के लिये और वह वहां पर बिजली की लाइन खींचेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह सूचना है कि गोरखपुर जिले में बढ़हलगंज एरिया में कुल ११ नलकूप लगाये गये जिनमें दो को बिजली दी गयी और शेष ९ को अभी तक बिजली नहीं दी गई वे दो, दो साल से पड़े हुये हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गोरखपुर में हमने १२६ नलकूपों को बिजली दे दी है और ७५० लगाने का हमारा टार्गेट है । आपके २ नलकूपों की सूचना नहीं है, लेकिन हमारे आदेश हैं कि जहां कोई नलकूप तैयार हों, सार्टिफिकेट दे दिये हों और बिजली लाइन मंजूर हो तो बिजली प्रायोरिटी दे से देंगे ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मेरा कहना यह था कि लाइन मंजूर है, दी जा सकती है या नहीं, इसमें ढिलें क्यों हुई है इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि जो नियम बने हुये हैं उनके अन्तर्गत देरी तो नहीं हुयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जांच करा लेंगे, अगर यहां कह देते तो हम करा लेते ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

फतेहपुर की खागा तहसील के बारे में मैं जानता हूं कि खागा से दो लाइनें ले जाने के लिये तीसरी योजना में प्रस्ताव था, क्योंकि उत्तर में तो नहर नहीं है और दक्षिण में नहर की टेल है, तो क्या वहां के लिये मंत्री जी व्यवस्था करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सही है कि फतेहपुर में बहुत सी बिजली की लाइनों का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी फतेहपुर में टार्गेट रखा हुआ है १५० कुओं को बिजली देने का, ७७ को हम बिजली लगा चुके हैं और बाकी भी हमारी आशा है कि पूरा कर देंगे और बिजली पहुंच जायगी तो कलक्टर को अधिकार है प्रायोरिटी देने का ।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

मेरा नाम सबसे पहले है, मैं कई बार खड़ा हुआ ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

यह देखते हुये कि गूलों के बिना सारे फतेहपुर के काश्तकारों को अपने खेतों को सींचने में सख्त कठिनाई है, तो बजाय इसके कि काश्तकारों से दरख्वास्त ले क्या सरकार फौरन अपने अधिकारियों को आदेश देगी कि सिंचाई विभाग के जरिये से तमाम गूलें बनवा दी जायं और बाद में काश्तकारों से कास्ट ले ली जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गूलें बनाने के नियम हैं । अगर वह नहीं बना पायेंगे तो डिपार्टमेंट बनवा देगा और बसूली कर ली जायगी लेकिन उसमें काफी झगड़े होते हैं । अगर आप ऐसा इन्तजाम कर दें कि जिन जिन लोगों को जरूरत हो उनसे एक दरख्वास्त दिला दें कि हमारे यहां इसका प्रबन्ध करा दें तो विभाग वालों से मैं कह दूंगा कि प्रायोरिटी देकर नियमानुसार गूलें बनवाने में मदद करें ।

श्री रामकिशोर वर्मा—

सूखे के समय सरकार ने कहा कि सूबे में ४,५०० गांवों का विद्युतीकरण किया गया, लेकिन फतेहपुर की जनसंख्या १० लाख है वहां कुल ३ गांव का हुआ है । इसी तरह से इस प्रदेश में ८,५०० ट्यूबवैल लगाये गये वहां एक भी नहीं लगा । यह प्रशासन के पक्षपात का द्योतक है । पावर वहीं देते हैं जहां सड़क हो, सिंचाई के साधन हों । इस तरह के अनेक अनियमिततायें इनके विभाग में हैं । दूसरा आदेश जारी किया गया था कि जब कनेक्शन स्वीकार हो जाय तो एकमुश्त रकम जमा करके उन पर कार्यवाही शुरू कर दी जाय । तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या वे ऐसे आदेश देंगे कि जहां सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त है वहां फिलहाल कनेक्शन देना रोककर और जहां सूखे की स्थिति है वहां पर प्रायोरिटी की जाय और जो एकमुश्त रकम जमा कर देंगे उस स्थिति में कनेक्शन देने की कार्यवाही पर कड़ाई से पालन किया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, बिजली ऐसी चीज है कि जहां लाइन होगी वहीं हम देंगे, लेकिन हमने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि आध मील की लाइन हम ट्यूबवैल के लिये फ्री दे देंगे। हमने यह भी आदेश दे दिये हैं कि एक ट्यूबवैल पर जो बिजली हम दस या पांच हार्सपावर देते हैं उसमें हम ८,५०० रुपये के बदले केवल २५० रु० पांच हार्सपावर के लिये और दस हार्सपावर के लिये तीन सौ रुपये ही लेते हैं। यह कोई ज्यादा बड़ी रकम है नहीं। इस से ज्यादा कंसेशन कोई दे नहीं सकता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, आज मैं मंत्री जी को थोड़ी बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं मथुरा जिले के छाता क्षेत्र से आता हूं वहां पर बिजली की लाइन नहीं थी। तो मंत्री जी ने लाईन तो बनवा दी और गोवर्धन से बरसाने तक बिजली भी पहुंचा दी, लेकिन डेढ़ साल से वृन्दावन से कोसीकलां तक खम्भे गड़े हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं। तार नहीं मिली। श्रीमन् डेढ़ साल से प्रयत्न हो रहा है। यह "प्रयत्न" कब तक हो जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, लखीसिंह जी हमारे बड़े दोस्त हैं। इन्होंने कहा कि बिजली लगानी ही पड़ेगी। खम्भे गड़ गये। लेकिन तार तो तभी लगेगी जब मिल जायेगी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, (मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित) जब सवाल किया जाता है लाइन कनेक्शन देने के बारे में तो आप अक्सर यही जवाब देते हैं कि ट्यूबवेल बहुत दूर होगा इसलिये दिक्कत पड़ती है। मैं गाजीपुर जिले का प्रमाण दे रहा हूं और सवाल कर रहा हूं। गाजीपुर शहर से दो मील दूर एरिया है। देवकटिया ट्यूबवैल है और वह बोर भी हो चुका है। मेन लाइन से वह दस मील की दूरी पर है। वह आठ महीने से करीब-करीब तैयार है परन्तु बिजली नहीं दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में किस अधिकारी की लापरवाही से अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कभी-कभी आदरणीय सदस्यों को भ्रम भी हो जाया करता है। हमारी कुछ लाइनें ऐसी हैं जो १३२ हजार, ६० या ३७ हजार की लाइन्स हैं लेकिन वहां से बिजली नहीं ले सकते, खम्भा बबल में है। ग्यारह हजार की जो लाइन है उसी से बिजली ले सकते हैं। नलकूपों के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इस विषय में सूचना लिखकर दे दीजिये।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी चौथी पंचवर्षीय योजना में या उससे पहले भी इलाहाबाद जिले में भरवारी से महेवा घाट तक जो सड़क राजापुर, तुलसीदास जी के जन्मस्थान तक जाती है वहां बिजली बिछवाने का प्रबन्ध करेंगे ताकि वहां भी नलकूप और सिंचाई का साधन किसानों को हो जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि जहां पर नलकूप अधिक होते हैं वहीं हम बिजली पहुंचाते हैं, जहां क्लस्टर हों और ज्यादा नलकूप हों वहां हम प्राथमिकता देते हैं। अगर वहां क्लस्टर हों और नलकूप वाले लोग अधिक प्रार्थना-पत्र दें तो हम विचार करेंगे।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

हमारे यहां फर्रुखाबाद में २०–२५ नलकूप लग रहे हैं लेकिन एक साल से अधिक हो गया है और सब की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं क्या मंत्री जी वहां जल्दी कनेक्शन देने की कृपा करेंगे

और जो सुविधा दी है कि ४०० रुपया जो जमा कर दें तो क्या पैसा फौरन जमा कर लिया जाय, इसकी भी मंत्री जी वहां व्यवस्था करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह व्यवस्था तो है, लेकिन बात यह है कि फर्रुखाबाद में २५० का टारगेट था जिसमें से १६६ नलकूप दे दिये हैं, मांग अधिक है और रुपया कम है, ध्यान हमारा सूखाग्रस्त इलाके की तरफ अधिक है, फिर भी वहां काम तो चल ही रहा है ।

श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी कानपुर जिले के अन्तर्गत जहां पर कि ४७ नलकूपों के प्रार्थना-पत्र हैं जहां पर कि ३० नलकूप ही मिले हैं और वहां पर डेरापुर ब्लाक में भी बहुत से प्रार्थना-पत्र हैं, तो क्या सूखे को देखते हुय वहां पर कोई व्यवस्था वह करेंगे ताकि वहां के किसानों को बिजली मिलने में रुकावट न पड़े ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा यह सिद्धान्त तो हमने मान ही लिया कि जहां क्लस्टर और नलकूप अधिक हैं वहां बिजली के लिये हम प्राथमिकता देते हैं, कानपुर में भी ऐसा होगा तो वहां के लिये भी देखेंगे ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मंत्री जी को मालूम है कि सुल्तानपुर-अमेठी में बिजली चली गई है और वहां एक छोटा-सा बिजली का स्टेशन बनाया गया है और अभी वहां बाजार में ही रोशनी के लिये बिजली पहुंची है, लेकिन वहां पर ६५ प्रतिशत खरीफ और रबी की फसल खराब हो गई है ऐसा कलक्टर ने लिखा है । तो इसको देखते हुये वहां के गांव-गांव में मंत्री जी बिजली का बन्दोबस्त करायेंगे और एक मील तक लाइन कर देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सुलतानपुर इसमें नहीं आता, आपके कहने से अभी तो अमेठी को कनेक्ट कर दिया, अब आप कहते हैं कि वहां क्यों लगा दी और गांव-गांव में दो । वहां लगा दी फिर कभी वहां भी देखा जायगा ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ से बेहटा ताल का जो इलाका है उसमें २ साल से १०-१० हार्सपावर के कनेक्शन सैंक्शन हुये पड़े हैं, प्रायोरिटी देने के आदेश देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो बार-बार यही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल्स को कनेक्शन्स दिये जायेंगे ।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

खीरी जिले में तहसील मुहम्मदी में जो रकबा ट्यूबवैल्स (सरकारी) पर लगा हुआ था उसमें कटौती कर दी है तो बहुत-सी जमीन बच गयी है जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है । तो क्या सरकार उस क्षेत्र में जो काट दिया गया है और उस क्षेत्र में जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, अधिक से अधिक ट्यूबवैल्स के लिये कनेक्शन देने की कृपा करेगी ? इसके अतिरिक्त परगना हैदरगढ़ के अन्तर्गत जो ऐसे इलाके हैं, जहां पर भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली के कनेक्शन देने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जितने कनेक्शन हम दे सके हैं, वे हमने दिये हैं। शेष अगली पंचवर्षीय योजना में विशेषकर ट्यूबवैल के लिये दिये जायेंगे।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर हैंडलूम का कपड़ा बनता है, वहां के बुनकर मजदूरों को, जो पावर लूम लगाये बैठे हैं, बिजली के कनेक्शन देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनको भी बिजली मिलेगी लेकिन पहले ट्यूबवैल्स को और बाद में और चीजों के लिये।

श्री रामभजन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की गांवों के इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या पालिसी है ? क्या माननीय मंत्री जी उन सब गांवों को जहां पर बिजली की आवश्यकता है, देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, तीसरी पंचवर्षीय योजना में १,५०० गांवों में बिजली देने का टार्गेट था लेकिन हमने उसके खिलाफ ४,६०० गांवों में बिजली लगायी। चौथी योजना में हमारी स्कीम है कि १६,००० गांवों में बिजली पहुंचायी जाय।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी आगरा जिले में भी बिजली के कनेक्शन अगली पंचवर्षीय योजना में देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

५ साल की बात नहीं है, थोड़े ही दिनों में बिजली लगेगी।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के महामन्त्री, श्री पशुपति नाथ सुकुल की व्यक्तिगत संपत्ति की कुर्की पर आपत्ति

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आज सदन का आखिरी दिन है। मुझे अभी-अभी सूचना मिली है और मैं समझता हूं कि इस सरकार की ज्यादती का प्रमाण है कि जो श्री पी० एन० सुकुल हैं, उनके घर से पुलिस बच्चों के ओढ़ने और बिछौने के कपड़े, बच्चों की किताबें और खाने-पीने के बर्तन सभी उठा ले गयी है। जो नियम भी हैं उनमें भी खाने-पीने के बर्तन तो छोड़ ही दिये जाते हैं। अगर नियमों का पालन भी होता है तब भी इन चीजों को नहीं ले जाया जाता है। अब यह प्रश्न सदन के सामने नहीं आयेगा। जब कि यह आंखों देखी बात है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है। जिस पुलिस की कल आपने इतनी प्रशंसा की है, उसका प्रमाण आज पुलिस ने इस प्रकार दिया है। निहायत धिक्कार है इस सरकार को। अगर श्री सुकुल के खिलाफ वारंट आफ अरेस्ट है तो आप उसे एक्जीक्यूट कीजिये। अगर उसे अरेस्ट नहीं कर पाते तो नियम के अनुसार जो कार्यवाही करनी चाहिये वह कीजिये। जिद में आकर खाने के सामान से बीबी-बच्चों को महरूम करना निहायत निन्दनीय और घृणित कार्य है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह तो सरकार ही नंगी है, फिर इस में ताज्जुब की क्या बात है जो आज घृणित कार्य यह सरकार कर रही है। आज हजारों और लाखों की संख्या में हमारी मातायें व बहनें नंगी हैं और रोजाना भूखी मर रही हैं, इसलिये श्री सुकुल के बीबी-बच्चों के कपड़े, खाना बनाने के बर्तन, सामान आदि इस सरकार की पुलिस ट्रकों में भर कर ले गयी तो इसमें क्या नयी बात है। माननीय नेता विरोधी दल को मालूम होना चाहिये कि बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनके बच्चा है ही नहीं, जिसका अपना बच्चा नहीं है उसको दूसरे के बच्चों से क्या प्यार हो सकता है? आज यह सरकार हजारों, लाखों की संख्या में राज्य कर्मचारियों को नंगा करना चाहती है। आपके जरिये मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि यह सरकार भी नंगी होने वाली है, और ये ५ लाख सरकारी कर्मचारी जिस दिन क्रोध में आ गये, उस दिन वे इस सरकार को भस्मीभूत कर देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय उपनेता सदन श्री हुकम सिंह जी मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वस्तु-स्थिति क्या है, मेरी यह सूचना गलत है या सही, इसको सरकार बतला दे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

मुझे तो मालूम ही नहीं कि इस समय किस विषय पर भाषण हो रहा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपको बतला दूं कि श्री पी० एन० सुकुल पर वारंट है और अगर वे गिरफ्तार नहीं होते तो दफा ८८ के अन्तर्गत उनके ऊपर हफ्ते, डेढ़ हफ्ते बाद कानूनी कार्यवाही कायदे से करनी चाहिये लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि आपकी पुलिस श्री सुकुल के घर पर गयी और उनकी बीबी की साड़ी, जेवर, खाने-पीने के सामान, बच्चों के पायजामें व स्वेटर, खाना बनाने के बर्तन तक ट्रकों में भर कर ले गयी जो कानूनी तौर पर अटैच नहीं हो सकता। लेकिन सरकार जिद्द में आकर उन सब सामान को उठवा ले गयी। क्या यह गलत नहीं है और क्या यह हमारी सरकार को शोभा देता है? आज सदन उठ रहा है और आज से आप अत्याचार का श्रीगणेश कर रहे हैं, फिर कल कैसे हम आप से पूछ सकेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर माननीय मित्र लिखकर दे दें तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा। यह आपोजीशन इतना निन्दनीय है कि कभी कोई चीज लिख कर नहीं देता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री को यह भी नहीं मालूम है कि प्रोसीडिंग्स में जो बात आ जाती है वह लिख कर देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस सूखे के जमाने में तीन महीने के अन्दर मंत्रियों द्वारा ५२ हजार रुपये खर्च करना निन्दनीय नहीं है जब कि लाखों लोग सूखे की वजह से तबाह हैं और माननीय मंत्री लोग मौज उड़ाते हैं?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, भोजपुरी में एक कहावत है, "भैंस के आगे बेषु बजावे, वह बैठी पगुरावे।" वही हालत आज इस सरकार की है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

माननीय त्रिपाठी जी के सवाल का जवाब क्या हुआ जो उन्होंने श्री सुकुल के बारे में पूछा था ?

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने कहा कि आप लिख कर दे दीजिये तो वे पता लगा कर बतला देंगे ।

प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु उच्चस्तरीय समिति के गठन के संबंध में संकल्प—(क्रमागत) †

श्री अधिष्ठाता—

उस दिन श्री रामकिशोर त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विवाद चल रहा था ।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री रामकिशोर त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं । आज हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि उसके सुधार के लिये एक ऊंचे स्तर का आयोग गठन करने की मांग की गयी है । श्रीमन्, इसके कुछ कारण हैं । आज गांवों में प्राइमरी शिक्षा के स्तर को आप देखें, एक तो शिक्षा का अभाव है, दूसरे प्राइमरी पाठशालाओं में बच्चों की जितनी संख्या होती है उसके अनुपात में वहां अध्यापक नहीं नियुक्त किये जाते हैं । हालत यह है कि जहां सौ छात्र हैं, वहां १, २ अध्यापक हैं, उनमें अधिकांश अशिक्षित हैं । हमारा जो पाठयक्रम है उसके अन्तर्गत भी एक बड़ी कठिनाई रहती है कि हर साल पुस्तकें बदलती रहती हैं । पुस्तकें इस तरह की होती हैं कि जिससे कोई छात्र अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता । हमारी प्रारम्भिक शिक्षा का स्तर जितना नीचे आ रहा है उसका असर यह होता है कि जब बच्चे ऊंचे क्लास में जाते हैं तो उनका देश के प्रति क्या कर्त्तव्य हो इस ज्ञान का सर्वथा अभाव रहता है । आज स्कूल तो खोले गये लेकिन वहां बैठने के लिये टाट तक की व्यवस्था नहीं है, इमारत नहीं है । आज जो नये-नये स्कूल पंचवर्षीय योजनाओं में खोले गये हैं उनमें तो सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, उन स्कूलों के लिये ढाई-ढाई हजार रुपया दिया गया है लेकिन इससे पहले जो हमारी जिला परिषदों के स्कूल थे जिनके पास भवन नहीं थे, आज उनको एक पैसा भवन बनाने के रूप में सहायता नहीं दी गयी । उसका सबसे बड़ा कुप्रभाव शिक्षा पर पड़ता है । आवश्यकता इस बात की है कि नये स्कूल खोलने से पहले वहां इमारत की सहायता दी जानी चाहिये जिन को जिला परिषद ने स्थापित किया था और उनका भार जिला परिषदों पर है । देखना यह है कि जहां प्रारम्भिक पाठशालायें हैं, स्कूल हैं उनके पास भूमि है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है । उस भूमि के बारे में शिक्षा विभाग की कोई नीति नहीं है । जिन स्कूलों को पंचायतों ने जमीन दी उसका इन्तजाम कैसे होता है ? वहां प्रबन्धक समितियां होती हैं । उस भूमि की व्यवस्था नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि उन स्कूलों को ज्ञान कराया जाय कि उनके पास जो जमीन है उसका कैसे उपयोग हो । आज प्रारम्भिक पाठशालाओं की तो बहुतायत की जा रही है, और अच्छा भी है, लेकिन उसके मुकाबले में उच्च शिक्षा के स्कूल तो लोग चलाते हैं, लेकिन जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा देने का हमारे ग्रामीण क्षेत्र में समुचित इन्तजाम नहीं हो पा रहा है । परिणाम यह होता है कि प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वे तो अपने बच्चों को उच्चस्तरीय स्कूलों में भेजते हैं लेकिन जो निर्धन लोग हैं वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं । सरकार का सबसे

---

†१२ अगस्त, १९६६ की कार्यवाही से ।

पहला कर्त्तव्य यह है कि जहां प्रारम्भिक पाठशालायें स्थापित कर रहे हैं वहां ४, ६ स्कूलों के बीच में एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना का भी प्रबन्ध होना चाहिये जिससे निर्धन छात्रों को समुचित सुविधा मिल सके। हमारे जूनियर हाई स्कूल और उच्च शिक्षा देने वाले जो और स्कूल हैं वे हर जिले में सरकार की ओर से बहुत कम हैं। उनको जो अनुदान दिया जाता है....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय सदस्य विषयांतर बोल रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ है तो कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता---

यह कांग्रेस के तो नहीं हैं। वह विषयांतर नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

नेता विरोधी दल के बोलने पर तो आपने उनको टोक दिया था।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने उनको पूरी बात कहने दी। मैंने उनसे नियम जानना चाहा था, वह नियमों का बहुत हवाला देते हैं।

श्री रामकिशोर वर्मा---

श्रीमन्, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि जूनियर हाई स्कूल के बाद जो हमारी शिक्षा संस्थायें हैं उनके पास साधन के अभाव होते हैं और सरकार की ओर से जो सहायता दी जाती है वह पर्याप्त नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षक अनशन कर रहे हैं। जब तक शिक्षकों को समान वेतन और समान सुविधायें नहीं होंगी तब तक शिक्षा का स्तर गिरेगा। हमारे जो शिक्षक हैं अगर उनका वेतन-क्रम ऐसा नहीं है जिससे वे अपना जीवन चला सकें, अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें, अपने बच्चों को तालीम दे सकें तथा अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें तब तक वे अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकते। इस-लिये सरकार का कर्त्तव्य है कि इन सभी बातों पर बिचार करे और जैसा कि माननीय रामकिशोर त्रिपाठी का संकल्प है एक आयोग का गठन किया जाय जो इन तमाम बातों को देखे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, आप टाइम लिमिट कर दें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, इस पर २६ आदमी बोल चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता---

मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने के अधिकार से कैसे रोक सकता हूं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

यह मैंने कब कहा है कि आप वक्ताओं को १०-१० मिनट का समय दें।

श्री कल्पनार्यासिंह (जिला गोरखपुर)---

अगर कोई माननीय सदस्य खास बात कहना चाहते हों, तो वह कैसे कहेंगे ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे इस पर २६ आदमी बोल चुके हैं। इसका भी खयाल रखिये।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे अफसोस है कि आप मेरी नीयत पर हमला कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो मैं कैसे उस पर प्रतिबन्ध लगाऊं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप समय तो निर्धारित कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यदि समय के संबंध में कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तो आप टाइम लिमिट कर दीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि इसको उलझाये रखेंगे और दूसरा प्रस्ताव आने नहीं देंगे।

श्री कल्पनार्वासिंह—

जो खड़ा हो उसको बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय रामायण राय जी, बातचीत तभी शुरू होती है जब एक दूसरे की नीयत में खामी होती है वरना मैं कहता हूं कि विरोधी दल की ओर से प्रस्ताव आया है तो कोई बात नहीं है। आज हमारा समय है, और दिन सरकार जो चाहे कराती है।

श्री अधिष्ठाता—

शायद आपको भ्रम है। गैर सरकारी दिन दोनों ही पक्ष के माननीय सदस्य प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप टाइम लिमिट कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप उसका समय जाने दीजिये। मैं आपकी प्रार्थना पर ध्यान रखूंगा।

श्री नित्यानन्द पाण्डेय (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये नहीं कि अध्यापकों के प्रति इस तरफ के बैठने वाले सदस्यों की हमदर्दी है और उन्हें किसी प्रकार की मुहब्बत नहीं है। सरकार का निरन्तर प्रयास है कि प्राइमरी अध्यापकों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। उनके वेतन-क्रम में भी कुछ वृद्धि हुई है। यह यत्न किया जा रहा है कि प्राइमरी अध्यापकों को सुख-सुविधा मिले। उसके साथ जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है वह तथ्यहीन है इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं। जहां तक अध्यापकों के प्रति हमदर्दी का प्रश्न है सदन के सभी लोगों को हमदर्दी है। सभी चाहते हैं कि उनके वेतन-क्रम में वृद्धि की जाय।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

गला दबा कर बुलवाया जा रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह आज तक कभी असेम्बली में बोले हैं जो बुलवाया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, यह बोले हैं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं अपने मित्र काशीनाथ जी से अर्ज करूं कि वह तो बोलते ही रहते हैं। कभी-कभी उनको मौका दिया करें जिनका नम्बर नहीं आता है।

श्री नित्यानन्द पाण्डेय—

जहां तक अध्यापकों के जीवन स्तर का प्रश्न है सरकार निरन्तर प्रयत्न करती रही है कि उनका जीवन स्तर बढ़ाया जाय। लेकिन इस तरह के संकल्प को प्रस्तुत करने के सिवा इसके कोई अर्थ नहीं है कि उन लोगों को भड़काया जा रहा है और उनके अन्दर क्षोभ और अशांन्ति पैदा करें। कुछ लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ साधन करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। अध्यापक सावधान है और प्रदेश की परिस्थिति से अवगत हैं। वह समझता है कि इस प्रदेश के अध्यापकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार बराबर प्रयत्न कर रही है। जहां तक प्राइमरी स्कूलों की इमारतों का सवाल है, इसमें सन्देह नहीं है कि जो शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है उसी हिसाब से सरकार को इमारतों का भी प्रबन्ध करना चाहिये। सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है लेकिन इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। कहीं टाट नहीं है, कहीं कुर्सियां नहीं हैं, कहीं लड़कों के बैठने के लिये छप्पर भी नहीं है। लेकिन जहां हम चाहते हैं एक-एक गांव में हमारे प्राइमरी और जूनियर स्कूल हों वहां यह भी चाहिये कि उन गांवों में इमारतों का भी प्रबन्ध किया जाय। सरकार प्रयास करती है लेकिन जितना प्रयास होना चाहिये उसमें कमी मालूम होती है। जिला परिषदें भी कभी-कभी ढिलाई करती हैं। उन स्थानों में जहां का अध्यक्ष होता है वहां ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। सरकार इस ओर ध्यान दे कि जो रुपया वह देती है उसका किस प्रकार खर्च होता है। हमारे जिले में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जहां-जहां चकबन्दी हुई है वहां स्कूलों को भूमि देने का प्राविधान हमारे जिलाधीश ने किया है। स्कूलों के पास कुछ साधन बढ़े हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी यहां से कुछ कह कर आपके कान में कुछ कहने गये हैं। वह क्या कहने गये हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

जो आपकी जानकारी की कमी है उस पर बड़ा अफसोस हो रहा है। किसी भी संसदीय प्रणाली में व्हिप्स का एक खास काम होता है। उस काम को अगर आप देखें तो यह प्रश्न व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं आयेगा।

श्री नित्यानन्द पाण्डेय—

जहां तक इस संकल्प का संबंध है इसमें हमदर्दी का पुट कम है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का साधन है कि प्राइमरी अध्यापकों के अन्दर क्षोभ और अशान्ति पैदा करें और राजनीतिक स्वार्थ साधन किया जाय। इसके अलावा यह प्रस्ताव सिद्धान्तहीन है। अध्यापकों

[श्री नित्यानन्द पांडेय]

के लिये जहां तक सरकार की हमदर्दी की बात है सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री लखीसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

किसी माननीय सदस्य का प्रिविलेज है कि उसको बोलने की इजाजत मिल जाय तो वह बोले। माननीय काशीनाथ और राधेश्याम माननीय लखी सिंह पर दबाव डाल रहे हैं कि वह न बोलें।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए। वह बोल रहे हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह सारे प्रदेश का प्रश्न है। अभी प्राक्कलन समिति की उप-समिति शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करने पहाड़ गयी थी, चमोली, जागेश्वर, बागेश्वर। वहां के प्राइमरी पाठशालाओं को देखा। बच्चे अब भी नौ-नौ मील पैदल चल कर प्राइमरी स्कूल की पाठशालाओं को जाते हैं। एक तो पाठशालाओं का अभाव है। दूसरे हर पाठशाला में पानी तक का इन्तजाम नहीं है। यही हालत करीब-करीब मेरे जिले में है। सरकार की तरफ से जिला परिषद् की तरफ से पाठशाला खोली गयी। अभी उनके बैठने के लिये कमरों का इन्तजाम नहीं है। पेड़ों के नीचे बच्चे सरदी में बैठे रहते हैं। लूओं में बैठे रहते हैं। सरकार को चाहिये कि इन्तजाम करे। राधेश्याम जी के प्रस्ताव का मुझे ध्यान है। तब तक प्राइमरी पाठशालाओं के साथ न्याय नहीं होगा जब तक हर न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना न हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह प्रस्ताव माननीय सदस्य ने इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया है, अच्छा होता उस पर प्रस्ताव रखने के पहले जो प्राइमरी पाठशाला के गुरुजन हैं उनके बारे में मिलकर उस समस्या को हल करना चाहिये था मंत्रिमंडल से। परन्तु श्रीमन्, मैं सोच रहा था कि मैं माननीय सदस्य को कुछ समझाने का प्रयत्न करूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, कम से कम जो प्राइमरी पास हैं उन्हें ही बोलने का इस पर मौका दीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

हरीसिंह जी एक घंटा इस पर बोल सकते हैं।

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, मैं पांच वर्ष से सन् १९६२ से इस सदन का सदस्य हूं, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि काशीनाथ जी किस प्राइमरी स्कूल से पास हैं, जूनियर स्कूल के पास हैं या किस जंगल में पढ़े हैं, उनके इस जंगलीपन का मुझे आज तक पता नहीं चला।

श्री राधेश्याम शर्मा—

वह तो एम० ए० फर्स्ट क्लास पास हैं और यहां तो दर्जा दो पास मिनिस्टर्स हैं।

श्री हरीसिंह---

एक विद्वान् का अपमान करने की और दूसरों के विषय में कहने की जरा थोड़ी बुद्धि होनी चाहिये और उस बुद्धि से उसे काम लेना चाहिये। लेकिन जिस पार्टी के वह सदस्य हैं, उसमें तो बुद्धि का नामोनिशान है ही नहीं। उसका प्रमाण यह है कि यदि उनमें बुद्धि होती तो आज उनकी पार्टी, जो गरीब किसान और मजदूरों की पार्टी थी, का विस्तार हुआ होता। लेकिन राधेश्याम जी, श्रीमन्, यदि आप क्षमा करें और आज्ञा दें तो कहूं कि सिवाय न्योता खाने के .....

श्री अधिष्ठाता---

देखिये व्यक्तिगत कोई बात न कहें।

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, कहने दीजिये, मैं सुन रहा हूं आज अन्तिम दिन है, देखिये फिर कब मिलना हो।

श्री हरीसिंह---

श्रीमन्, जब मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा गया तो आप नहीं बोले और अब आप हमें रोक रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

उनको भी नहीं कहना चाहिये, वह भी मान रहे हैं।

श्री हरीसिंह---

जो दूसरों को व्यक्तिगत कहे और मेरी फिर सुनना न पसन्द करे तो उसे माननीय सदन का सदस्य होने की शक्ति ही नहीं। प्राइमरी स्कूलों के गुरुजनों के बारे में आप केवल उनके वोट प्राप्त करने के लिये कहते हैं, उनके सपोर्टर बनने के लिये कहते हैं जो बिलकुल ठीक नहीं है। जहां तक प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का प्रश्न है वह मैं भी चाहता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग बोलने दीजिये बेचारे को।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, आपने 'बेचारा' कैसे कह दिया इतने लम्बे-चौड़े आदमी को ?

श्री अधिष्ठाता---

अरे, आप लोग उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, इनका गला खराब है, गले पर जोर पड़ रहा है और अभी एलेक्शन लड़ना है और खराब हो जायगा तो मुश्किल होगी, इसलिये बैठ जायं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका ऐसा सुरीला गला कभी इनका भी रहा होगा।

श्री हरीसिंह---

श्रीमन्, प्रस्ताव में इन्होंने जो प्रस्तुत किया है, कि प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त

[श्री हरीसिंह]

की जाय, आर्थिक दशा का जहां तक संबंध है, जब किसान और मजदूर का सवाल आता है तब ये उनके हिमायती बनते हैं, उनका वोट लेने के लिये, लेकिन जब उनका खून चूसने का प्रश्न आता है, तो इस पार्टी के लोग सबसे ज्यादा खून चूसते हैं। ये उनसे जमीन लिखवा लेते हैं और अपने बच्चों को उनसे मुफ्त पढ़वाते हैं ये राधेश्याम शर्मा और काशीनाथ मिश्र जी। श्री राधेश्याम जी ने हमेशा जो परम्परा डाली है उसका परिणाम यह है कि जो सुधार आप चाहते हैं कि हो जावे वह हो नहीं पाता। आप सोचते होंगे कि अध्यापकों के आप शुभचिन्तक हैं लेकिन वह भी आपके कारनामे देख लिये हैं। लखी सिंह जी और आप में रोज ही झगड़ा रहता है। काशीनाथ जी की क्या कहूं। आज वे भी चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। इसलिये अध्यापकों के शुभचिन्तक बने हुए हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि सरकार अध्यापकों की सबसे बड़ी हमदर्द है। वह उनकी हालत सुधारना चाहती है। लेकिन पैसा कहां है? पैसा लावें उसके लिये टैक्स लगावेंगे तब चिल्लाओगे। तब रुपया कहां से आवेगा? तो सरकार प्रचार नहीं करती, वह तो उनके लिये कुछ करना चाहती है। आपकी तरह से बरगलाने में वह विश्वास नहीं करती। हमें मालूम है कि सरकार ने स्कूलों के लिये क्या किया है। पहले प्राइमरी स्कूल चौपाल में लगते थे। हमारी भी शिक्षा चौपाल में हुई है। लेकिन जब से आजादी मिली है तब से इस सरकार ने इतने प्राइमरी स्कूल खोले हैं जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। जितनी हमने कामना की थी कि प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खुलेंगे उतना तो वह अभी नहीं कर पायी है पैसे की कमी के कारण, लेकिन फिर भी जितना किया गया है वह हमारी उम्मीदों से बहुत ज्यादा है।

इन विरोधी दल के लोगों का क्या है? कोई भी असरकारी दिवस है। कोई अच्छा से अच्छा प्रस्ताव आये आप लोग शोर मचाकर उसको पास होने नहीं देंगे। कभी जनहित में आये किसी अच्छे प्रस्ताव को भी आप पांच सालों में पास इसीलिये नहीं करा पाये कि आप हुल्लड़बाजी करते हैं। हुल्लड़बाजी में अच्छी से अच्छी बात आपकी रह जाती है। सोशलिस्ट पार्टी, इनका आज कोई नामलेवा पानी देवा नहीं है। निश्चिन्त रहिये, आपके साथ न अध्यापक हैं, न छात्र और न ये राजकर्मचारी जिनका अगुआ होने का आप ढोंग रचते हैं। सभी जानते हैं और जानने लगे है कि आप क्या हैं। जहां तक भगवानदास जी का ताल्लुक है, रिपब्लिकन पार्टी का तो अभी जन्म हुआ है। अभी कुछ दिन और दूध पियो, जब हृष्टपुष्ट हो जावो तो फिर बात करना। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी संस्था है जिसमें किसी भी मुसीबत को झेलने की शक्ति है और इन्हीं में सारी बुराइयों के लिये तलवार संभालने की शक्ति है।

कोई मजदूरों का नाम लेता है और कोई किसानों का, मगर देश का नाम कोई नहीं लेता है। देश की तरफ वे नहीं देखते हैं जिसमें गरीब और अमीर सभी रहते हैं। आप अध्यापकों का नाम लेते हैं पर यह तो बताइये कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिये? सरकार के पास जितने साधन हों उनके अनुसार ही उनको सुविधा मिलनी चाहिये। अगर सरकार के पास अधिक न हो तो फिर कहां से साधन जुटाये जा सकते हैं? प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को चौथ पर काफी पैसा मिलता था। उनकी पूजा होती थी लेकिन आपने उसको भी बन्द कर दिया है। उनको इस अवसर पर हजार पांच सौ की आमदनी होती थी। वह बन्द हो गई है। यह सारी सुविधायें बन्द होने के बाद सरकार ने उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया और महंगाई का ध्यान करके उनको सहूलियत दी गई। ये नेता ही उनके मार्ग में रोड़ा हैं। आप उनकी तनख्वाह बढ़ाने नहीं देते हैं। सरकार उनकी तनख्वाह में कुछ बढ़ोत्तरी करने जा रही है लेकिन आप प्रस्ताव ले आये तो वह रुक गये। अगर अध्यापक कहीं भी मेरी बात सुनते हों तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इन सोशलिस्टों की बात न सुनें क्योंकि ये सोशलिस्ट मजदूर, किसान और अध्यापकों के घातक हैं। ये हड़ताल कराते हैं। मिलें बन्द कराते हैं और स्कूलों को बन्द कराते हैं और दफ्तरों को बन्द कराते हैं। ये देश के लिये बहुत घातक हैं। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। आपका कर्तव्य है कि देश का भला करें।

(इस समय १ बजकर ३९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

आपको यह सोचना चाहिये कि स्कूलों की बिल्डिंग किस प्रकार बनानी चाहिये और किस प्रकार अध्यापकों का भला हो सकता है। आप सरकार को मजबूर करते हैं कि उनकी तनख्वाह न बढ़ाई जाय। तब कैसे चन्दे से स्कूलों की बिल्डिंग बन सकती है और देश की शिक्षा ऊंची हो सकती है? राधेश्याम जी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं जहां पर १०० रुपया फीस ली जाती है। आप उन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं जहां पर अध्यापक को ३००, ४०० रुपया तनख्वाह मिलती है। जो भारतीय संस्कृति थी वह इन्हीं ठेकेदारों ने लुप्त कर दी है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आप उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं? आपने तो कभी उनको बचाया नहीं?

श्री हरीसिंह---

मैं किसी को बचाने वाला नहीं हूं। इधर भी ऐसे मन्त्रिगण हैं जिनके बच्चे उन अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर यह प्रोपेगन्डे की बात है तो आपके शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि वाकई अध्यापकों की समस्या हल करनी है तो इस पर मनन करना चाहिए और हमारे प्राइमरी स्कूलों, पाठशालाओं का स्टैंडर्ड उठाना चाहिए। लेकिन यहां एक पार्टी के माननीय सदस्य बोलते हैं तो केवल पार्टी प्रोपेगैंडे के लिए और अध्यापकों की सिम्पैथी लेने के लिए बोलते हैं। वह कभी उनके शुभचिन्तक न पहले थे और न हो सकते हैं। जनसंघ है, रिपब्लिक पार्टी है, इनको तो मैं मानता हूं, लेकिन सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्टों की हालत तो बेवेंदी के लोटे की तरह है, इन पार्टियों ने देश की उन्नति के लिए कभी सोचा ही नहीं। कांग्रेस से लड़कर उधर गये चूंकि मिनिस्टरी की कुर्सी नहीं मिली। आप तो चाहते हो कि यह लीडरी बनी रहे, यही आपका पेशा है, जनहित में कभी सोचा ही नहीं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि यह जो प्रस्ताव रखा है, इस पर आपस में विचार विमर्श करने के बाद हम अध्यापकों की उन्नति का प्रयत्न करें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं उचित नहीं समझता था कि इस प्रस्ताव पर कुछ कहूं, लेकिन जो भाषण हुए उनको सुनकर कुछ कहना चाहता हूं। प्रारम्भिक शिक्षा किसी भी देश और राष्ट्र की आधारशिला होती है वहां के अच्छे नागरिकों और अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर पैदा करने के लिए, लेकिन अपने देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्ग बना दिये गये हैं। एक तरफ मांटेसरी स्कूलों के लिए आप काफी पे करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में लारेंटो कनवेंट इत्यादि अनेक कनवेंट्स बने हुए हैं। जो लोग भारतीय परम्परा के प्रतीक हैं और जिनकी शिक्षा-दीक्षा भारतीय ढंग की है, आज उनके बच्चे अंग्रेज की भांति पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक नया ब्योरोक्रेटिक क्लास आप पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमारी सामाजिक दशा सुधारने के लिए आपको प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाना होगा। इन २० वर्षों में शिक्षा का स्तर गिरा है। तमाम सदस्य जानते हैं कि पिछले दिनों जब शिक्षा के साधन कम थे और हमारे प्राइमरी अध्यापक उस ओर ज्यादा लगन से काम करते थे और पढ़ाते थे, महंगाई के शिकार नहीं थे, उस समय हमारे यहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। आज का ग्रेजुएट अच्छी तरह से हिन्दी में या अंग्रेजी में ड्राफ्ट नहीं लिख सकता, उस जमाने का हाई स्कूल अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते थे और ज्यादा एफिशयेंट थे। गोविन्द सहाय जी जो मंत्री रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था २० वर्ष के अन्दर हमने कोई प्रयास नहीं किया कि हमारी शिक्षा जिस प्रकार की होनी चाहिए। अपने देश में अच्छे प्रशासक और विदेशों के लिए अच्छे स्कालर पैदा करने हैं तो हमें शिक्षा के तरीकों को बदलना होगा।

[श्री भगवानदस यादवेन्दु]

यहां पर एक बात और मैंने देखी है। इस प्रदेश में पिछले दिनों टीचर्स को २० रुपया महंगाई मिली थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितने स्कूल हैं उनके लिए आगरे के इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने जैसा कहा, वह उनको भी वह बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं हैं और इधर नगरपालिकाओं के मदरसे हैं वे नगरपालिकायें चलाती हैं। एक तरफ राजकीय स्कूल हैं लेकिन जो दूसरे स्कूल हैं जो प्राइन्वेट सेक्टर में हैं जैसे हमारे यहां स्कूल हैं, उसके अध्यापक मेरे पास आये। उनका कहना था कि वह नहीं देना चाहते। वे कहते हैं कि उनको कैसे दें। यह बिलकुल गलत बात है। जो रेकग्नाइज्ड स्कूल्स हैं उनकी ओर जरूर खयाल करना चाहिये। प्राइमरी स्कूल्स ही आधार शिलायें हैं उनका तो जरूर खयाल किया जाना चाहिए।

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। २८ माननीय सदस्य बोल चुके हैं। जो एक बार बोल भी चुके हैं वे दोबारा बोल रहे हैं। आप टाइम लिमिट कर दें।

श्री अधिष्ठाता---

एक बार जो बोल चुके हैं वे दोबारा नहीं बोल पायेंगे।

श्री रामभजन---

अधिष्ठाता महोदय, इस वक्त जो संकल्प पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह मानी हुई बात है कि प्राइमरी शिक्षकों की आर्थिक अवस्था सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी आमदनी है, हमें उसी तरह से काम करना है। ४७ के बाद से...

श्री दम्बरेश्वरप्रसाद---

अधिष्ठाता महोदय, वक्ता जो भाषण दे रहे हैं उससे कदाचित् यह पता नहीं चलता है कि यह विषय पर बोल रहे हैं या नहीं...

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई बात नहीं है।

श्री रामभजन---

सन् १९४७ के बाद से अब तक हमारी प्राइमरी शिक्षा का जो स्तर रहा है या उसमें जिस तरह तादाद बढ़ रही है या जिस तरह से हमारे प्राइमरी शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है वह हमारे सदस्यों से छिपी नहीं है। चार से पांच गुना तक प्रदेश में स्कूलों की तादाद बढ़ी है और चार से पांच गुना तक पहिले से इमारतें बढ़ गई हैं और साथ ही वेतनक्रमों में भी तब्दीली हुई है। बात यह है कि विरोधीदल वास्तविकता को देखकर काम नहीं कर रहा है। वह यह नहीं देखता कि क्या होना काहिये और क्या नहीं होना चाहिये। बारबार प्रोपेगेन्डा के लिये चीजें आया करती हैं। पांच सालों की अवधि में विरोधीदलों का बराबर प्रोपेगेन्डा और धांधलेबाजी का काम रहा है और कोई रचनात्मक कार्य उन्होंने नहीं किया है। हमारी गवर्नमेंट से जो कुछ हो सकता था उसको उसने पूरी तरह से किया। हमारे प्रदेश और देश के सामने और भी इस प्रकार की समस्यायें हैं। सिंचाई की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, सड़कों का सुधार भी करना है और इसी प्रकार की जो आवश्यकतायें हैं उनको भी पूरा करना है। इसके साथ-साथ शिक्षा का भी सुधार करना है।

श्री दम्बरेश्वरप्रसाद---

इस में शिक्षा से सम्बन्धित बात क्या है, श्रीमन्?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं।

श्री रामभजन--

अधिष्ठाता महोदय, जब विरोधियों के सामने कोई दलील नहीं रहती है तो वे झगड़े के लिये आमादा होते हैं। संखुन के लिये, लेक्चर के लिये एक बन्दा हुआ करता है उसका एक फर्ज हुआ करता है, सब आदमियों का भी फर्ज है कि बीच में बोलने की आदत न डालें।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्य जिस प्रकार खड़े हैं...

श्री रामभजन--

पिछले पांच सालों में प्रदेश के लोगों ने देखा है कि पिछले पांच सालों में किस प्रकार से आपने यहां पर उच्छृंखल व्यवहार किया है और उससे हमारे प्रदेश की असेम्बली का स्तर गिरा है। बीच में टोकना इन विरोधी पार्टियों का सदा का ही एक तरीका रहा है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

श्रीमन्, आप इनको रोकते नहीं हैं ये प्रस्ताव के दायरे से बाहर जा रहे हैं।

श्री राजभजन--

आप बड़े अशिष्टतापूर्ण ढंग से बरताव करते रहे हैं। एक तो यह इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इस तरह से अड़ंगेबाजी लगा रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि हमारी शिक्षक वर्ग के साथ हमदर्दी है लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी समस्यायें भी हमारे सामने हैं, उनको भी तो निबटाना है। बात करना बहुत आसान है लेकिन जब व्यावहारिक रूप से कोई चीज हमारे सामने आती है तब दूसरी बात हो जाती है। आपको लखनऊ कारपोरेशन में थोड़ा-सा अवसर मिला था उस में जो आप लोगों ने काम किया वह सब प्रदेश की जनता के सामने है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, आप भी नहीं चाहते कि अगला प्रस्ताव लिया जाय। इस प्रस्ताव पर २९-३० आदमी बोल चुके हैं। अब आपको इसकी लिमिट कर देनी चाहिए। बड़े-बड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को १०-१० मिनट में समाप्त कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप ही बताइये मैं इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं? सदन को सब अधिकार है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

लेकिन आप यह तो कर सकते हैं कि कोई माननीय सदस्य बे-मतलब न बोलें।

श्री अधिष्ठाता--

यह दूसरी बात है। बे मतलब किसी को नहीं बोलने दिया जायगा।

श्री रामभजन--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि शिक्षा का स्तर हमें ऊंचा उठाना चाहिये, इसमें हम कोई ढिलाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी सीमायें हैं और जितना काम हम कर सकते हैं वह अपनी सीमाओं के अन्दर ही तो कर सकते हैं। हम ज्यादा प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं करते। हम तो

[श्री रामभजन]

व्यवहारिक आदमी हैं। हमारी पार्टी ने देश से जो कहा वही किया भी है। जिस प्रकार से विरोधी दल के लोग बात करते हैं अगर उनके हाथ में शासन सत्ता आ जाय तो वे कभी भी काम नहीं कर सकेंगे, सदा असफल रहेंगे। कह कर कोई काम न करना सबसे बड़ी असफलता है। लेकिन विरोधी दल तो समझता है कि हमारे हाथ में शासन सत्ता तो है नहीं और न आ सकती है, इसलिये इस तरह की बातें कही जाय जिनसे मालूम हो कि वे लोग बड़े पब्लिक के खैरख्वाह हैं। उनकी बातें हकीकत से अलहैदा हैं। आज असेम्बली के आखिरी दिन वे जनता की हमदर्दी हासिल करने के लिये ही ऐसी दिखावट वाली बातें कर रहे हैं।

कई बार कमीशन और शिक्षा के विषय में समितियां यहां बैठ चुकी हैं और वहां इन मामलों पर विचार भी हो चुका है और वह रोज कमीशन की बात करते हैं। इससे लाभ क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि खर्च बहुत बढ़ रहा है और दूसरी तरफ खर्च बढ़ाने वाली मांगें सामने रखी जाती हैं। उतनी ही बात कहना चाहिये जितनी कि जरूरी हो। हम लोग बवंडर नहीं बांधते अगर ऐसा करते तो हम ३ बार असेम्बली में नहीं आ सकते थे और यहां सरकार नहीं बना सकते थे। जनता समझती है कि कौन क्या काम करने वाला है और कौन केवल बातें ही बनाने वाले हैं। चाहे कोई भी सवाल हो, यह सरकार एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखती है, हमारी योजनाएं हैं उन पर हम तेजी से और शांतिपूर्वक काम करते हैं और हमें आशा है कि हम असेम्बली में फिर आयेंगे और हम फिर टीचर्स की और सब की हालत सुधारने के लिये कार्य करेंगे और देखें कि शिक्षा में कैसे तरक्की हो सकती है। दुनिया में किसी देश का या प्रदेश का काम कभी समाप्त नहीं होता, राष्ट्रों के काम तो चला ही करते हैं। अमरीका, रूस और इंग्लैण्ड इतने प्रगतिशील देश हैं लेकिन वहां भी बहुत से काम बाकी हैं। व्यक्ति में अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह होना चाहिये और वह उत्साह और शक्ति हमारे दल और इस सरकार में ही है और हम फिर जीत कर आयेंगे। हमारा यह दावा है कि यही दल देश की रहनुमाई कर सकता है और जनता का नेतृत्व कर सकता है। चाहे जितने बवंडर आयें उनमें से निकल कर हम फिर वह असेम्बली और सरकार कायम कर सकते हैं। इस चीज को हम अभी तीन मास में ही साबित कर देंगे।

(व्यवधान)

[इस समय १ बज कर ५९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।]

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि...

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, इसका विरोध वह इसलिये कर रहे हैं क्योंकि आगे वह प्रस्ताव है जिसके जरिये यह सब खुल जायगा कि बनारसीदास जी की जायदाद कैसे बढ़ी, कैसे पेंट की फैक्टरी चल रही है, बिजली में शांति प्रपन्न जी ने क्या-क्या किया है और खन्ना जी ने क्या और कैसे आयुर्वेद का नाश किया है और इनके हर मंत्री ने ५ साल की अवधि में किस तरह से अपने कारखाने दुगुने और चौगुने बना लिये हैं। यही कारण है कि कल्पनाथ सिंह जी इसको पेश नहीं होने देना चाहते।

श्री अधिष्ठाता—

आप शान्ति से अभी बैठिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे। हम देख रहे हैं कि आप की बगैर इजाजत के उधर के लोग शोर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खन्ना जी सारे सूबे का विनाश करके यहां बैठे हैं। मुझे सदन में देखते हुये दस बरस हो गये लेकिन इधर के भेदिये उधर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से यह प्रस्ताव आया है, सुन लीजिये, शोर न करिये, बैलेट में यह निकला था और माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि यह लिया जायगा। अब वहां बैठ कर मंत्री जी से राय लेते हैं और हमें बोलने नहीं देना चाहते और अनाप-शनाप लोगों को बुलाते हैं जबकि कोई अब इस पर बोलना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप जरा सुनिये, आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या सुनिये, क्यों बैठ जायं, रोज सुनते हैं क्या सुनें ?

श्री अधिष्ठाता---

आप नहीं बैठते हैं तो सदन का त्याग करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं बैठा जाता हूं लेकिन अब इस पर बहस नहीं चलेगी।

श्री अधिष्ठाता---

आप सदन का त्याग कीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैंने प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है तो हम क्यों सदन त्याग करें ?

श्री अधिष्ठाता---

लेकिन मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा था आपने नहीं सुना और आप मेरे रोकने पर भी बोलते जा रहे हैं, आप सदन त्याग करें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आप रोकते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता---

नहीं, आप सदन त्याग करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आज आखिरी दिन है। आप इसीलिये बैठाले गये हैं कि विरोधी दल का यह प्रस्ताव न आने पावे। तो मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री टम्बेश्वर प्रसाद सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अब यह विवाद बन्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री राधेश्याम शर्मा---

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है मंत्रियों के आचरण के बारे में।

श्री अधिष्ठाता---

यदि बहुमत आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देगा तो अधिष्ठाता या अध्यक्ष क्या करेंगे ?

(श्री कल्पनार्थसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र---

शासन के रखवार कुत्तों से आप भाषण न कराइये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कुछ गुंडे, लुच्चे और लफंगे इस प्रकार के हो सकते हैं जो...

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अधिष्ठाता महोदय, आप इसे एलाऊ करते हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

२८ आदमी भाषण कर चुके हैं। दोबारा किसी को न बुलवाइये।

श्री अधिष्ठाता---

मैं देखे लेता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा---

हमारे प्रस्ताव से सारे मंत्रियों के भेद खुलते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मालिक की आज्ञा पर दुम दबाकर जो हलवाई के कुत्ते करते हैं वह बात तो अलग है, लेकिन जिसे सौदा लेना होगा वह लेगा।

अधिष्ठाता महोदय, शिक्षकों के आर्थिक स्तर से भी इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है और मैं समझता था कि यह विचार किया जायगा कि उनका स्तर और शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा उठ सकता है। हमारे यहां प्राइमरी शिक्षकों की दशा ज्यादा दयनीय रही है। उनकी दशा में सुधार की अधिक आवश्यकता है। सरकार उस दशा में प्रयत्नशील है। मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उसने उनके आर्थिक स्तर को, वेतन को, करीब १०० रुपये माहवार तक उठाया है। जो स्थिति आती जाय सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा कई प्रकार से दी जाती है, जैसे बेसिक स्कूल, मांटेसरी स्कूल और दूसरे गांवों में बिखरे हुए स्कूल हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्कूल हैं जो बहुत खर्चीले हैं। आज गांव में रहने वाले बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की पढ़ाई में जो अंग्रेजी ढंग के खर्चीले स्कूल में पढ़ते हैं बहुत अन्तर है। समाजवादी लक्ष्य का दावा करने वाली कांग्रेस की सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि बच्चों की सब ही की शिक्षा अच्छी होनी चाहिये चाहे वह गरीब हो या अमीर। हमारा विश्वास है कि यह सरकार इस दिशा में अवश्य कदम उठायेगी। यह भी सच है कि आज बहुत-सी जगहों में स्कूल नहीं मिल पाये बावजूद इसके कि सरकार ने गांव सभाओं को या क्षेत्र समितियों को अनुदान भी दिये जो शायद केवल २,५०० रुपये तक है। चकबन्दी में सरकार जमीन निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी बहुत-सी जगह

प्राइमरी स्कूल नहीं बन पाये हैं। मेरे ही क्षेत्र में ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनके पास इमारत नहीं हैं। जाड़े, बरसात और गर्मी में अध्यापक और विद्यार्थी पेड़ के नीचे बैठ कर कष्ट उठाते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान उधर अवश्य जावेगा और उनके लिये कोई प्रबन्ध किया जायगा।

श्रीमन्, मुझे यह भी निवेदन करना है कि यह मामला केवल सरकार के ही बस का नहीं है। इसके लिये माननीय सदस्यों को लोगों के साथ, जितना संभव हो सके, पब्लिक इनिशियेटिव पैदा करना चाहिये। यदि जनता भी जागरूक हो तो प्राइमरी शिक्षा में सुधार होने के लक्षण हैं। जहां पर प्रदेशीय सरकार ध्यान नहीं दे सकी है, यद्यपि ये अधिकतर पंचायती राज में क्षेत्र समितियों, जिला बोर्डों और पंचायतों के अधीन आते हैं, वहां पर ये संस्थायें ध्यान दें, तभी प्रदेश में बच्चों की शिक्षा में सुधार हो सकता है। जब वहां पर अच्छा प्रबन्ध हो जायगा तो वहां के शिक्षक भी दिलचस्पी लेकर पढ़ायेंगे, समय पर स्कूलों को खोलेंगे, समय पर बन्द करेंगे। इसलिए हमारे माननीय सदस्यों को, जो कि क्षेत्र समितियों और जिला बोर्डों के सदस्य होते हैं, चाहिए कि वे इनके माध्यम से कोशिश करें। इस बात की शिकायत करना कि सरकार स्वतः स्कूल और कालेज बनवायें, यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता है जितना कि वे चाहते हैं। आपने देखा है कि पब्लिक इनिशियेटिव से हायर सेकेंड्री स्कूलों को लोगों ने खोलना आरम्भ किया और उनके माध्यम से आपने देखा कि न केवल आर्ट साइड से बल्कि साइन्स और एग्रीकल्चर साइड से हाई स्कूल और उच्चतर स्कूल चलाये जा रहे हैं। गांवों में बहुत-सी जगह डिग्री कालेज खुल गये हैं। मुफस्सिल एरिया में भी बढ़ने लगे ह। ये किसी के सुझाव पर या सरकार द्वारा नहीं हुए हैं, ये जनता के योगदान से हुए हैं। हमारी इस आवश्यकता को जनता ने महसूस किया और इसके बिना हमारे देश और प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है।

टेक्निकल एजूकेशन का जहां तक सम्बन्ध है, आई० टी० आई० स्कूल खुल रहे हैं, वहां पर लोगों को टेक्निकल एजकेशन दी जा रही है। वहां पर हरिजनों के छात्रों की सभी फीस माफ होती है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं, उनको भी सहायता दी जा रही है। अब आप सोचें। हो सकता है कि इस तरह की कोई समिति बने और वह अपना सुझाव दे लेकिन मेरा निवेदन है कि आखिर समिति बनाकर उसमें जो लोग होंगे, उनका एक सीमित दायरा होगा और वे सरकार को सुझाव देंगे। उससे उतना लाभ नहीं होने वाला है जितना माननीय सदस्यों का देहातों में जाकर लोगों को प्रोत्साहन देकर और एक ऐसी फिजां पैदा करके होगा कि वे अपने हक को समझें, अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझें, उनके बीच जो समन्वय होगा उससे इस शिक्षा प्रणाली में अच्छा काम होगा और वह एक ऐसा काम होगा जिससे प्रदेश का बड़ा भारी कल्याण होने वाला है। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि जहां लोगों को जरूरत होगी, और लोग जरूरी समझेंगे वहां डिग्री कालेज भी खुलेंगे—न केवल हायर सेकेंडरी स्कूल्स और वे स्कूल्स तभी चल सकेंगे जब कि हम अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक रहेंगे। केवल कर्तव्य अधिकार के बिना और अधिकार कर्तव्य के बिना निरर्थक होता है। अगर जनता जागरूक रहे तो लोग शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की पद्धति और शिक्षा की दिशा की ओर जाने में प्रेरित होंगे।

हमें शिक्षकों की दशा की ओर भी ध्यान देना चाहिये। शिक्षकों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज शिक्षक अपने को कुछ ऐसा महसूस करता है कि उसके लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उसकी आर्थिक सहायता के लिये जनता को और जो लोग स्कूलों को चलाते हैं और स्कलों के अन्दर मैनेजमेंट में हैं उन सब लोगों को बैठ कर और सोच-विचार कर, शिक्षकों की आर्थिक सहायता में सुधार करने की तरफ कदम उठाना चाहिये। मैं समझता हूं कि शिक्षक वर्ग चाहे वह हायर सेकेंडरी स्कूल्स का हो, ग्रेजुएट क्लास का हो या पोस्ट ग्रेजुएट क्लास का हो, मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल का हो, वे सभी आज इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं और लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि उनकी आर्थिक दशा में कुछ सुधार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनकी आर्थिक दशा में बगैर सुधार किये हुए

[श्री कल्पनाथसिंह]

शिक्षा का काम आज चल नहीं सकेगा। इसलिये सरकार को, जनता को और सभी माननीय सदस्यों को इस पर सोचना चाहिये और सोच-समझ कर इस दिशा में कदम उठाना चाहिये जिससे कि इस प्रदेश के शिक्षा जगत में उन्नति हो सके।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई न्याय नीति की बात नहीं है कि इस संकल्प पर जब कि ३५ आदमी बोल चुके ह' फिर भी इस पर प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह निश्चित धारणा है कि मंत्रियों के आचरण पर विचार करने का मौका मिलना चाहिये क्योंकि उसमें बहुत से नागनाथ हैं जिन्होंने गलत तरीके से धन कमा कर अपने बड़े-बड़े कारखाने कायम कर लिये हैं, उनके बारे में सारे प्रदेश के लोगों को जानकारी तो हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

आप जानते हैं कि कुछ नियमों के अनुसार ही यह सदन चलता है। मैंने वह प्रश्न उपस्थित कर दिया था लेकिन पास नहीं हो सका।

श्री राधेश्याम शर्मा--

फिर आप सीमित डिबेट करा दें। विरोधी पक्ष का तो कोई बोल नहीं रहा है, सभी कांग्रेसपक्ष के लोग बोल रहे हैं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री रामकिशोर त्रिपाठी द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन नियुक्त करने के सम्बन्ध में संकल्प का विरोध इसलिए करता हूं कि जब भी कोई काम न करना हो, और उसे कुछ समय के लिए टाल देना हो तो इसी तरह का कमीशन या कमेटी नियुक्त करने की बात होती है। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है उस के तीन स्तर हैं। एक प्राइमरी शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा और तीसरा यूनिवर्सिटी शिक्षा। सबसे पहले मैं प्राइमरी शिक्षा के विषय में कहना चाहता हूं। प्राइमरी शिक्षा ही सारी शिक्षा की आधारशिला है इसलिए जब तक प्राइमरी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा तब तक हमारी माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार नहीं होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा--

इस भाषण के बाद आप दूसरों के लिये बोलने का कुछ समय तो निश्चित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

१५ मिनट है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

१५ मिनट तो ज्यादा है, ५-७ मिनट एक सदस्य के लिए समय होना चाहिए। क्योंकि अभी तक करीब ४० आदमियों के भाषण इस संकल्प पर हो चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता--

नियम के अन्दर प्रस्तावक के लिए १५ मिनट का समय निश्चित है।

श्री माताप्रसाद--

मैं कह रहा था कि प्राइमरी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है....

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। काफी देर से यह संकल्प प्रस्तुत है। उस पर हुए विवाद को सुनता रहा और आप की व्यवस्था से हम लोगों को सन्तोष नहीं हो सका। एक तरफ विवाद चल रहा है। इस संकल्प का यह लोग विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध कर रहे हैं तो खामख्वाह बहस क्यों कर रहे हैं। आगे महत्वपूर्ण संकल्प आने वाला है कि...

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाला था, इसको टालने के लिए ही यह प्रक्रिया की जा रही है। इससे मुझको बड़ा क्षोभ है कि ऐसे प्रस्ताव को लाने में सरकार बाधा डाल रही है और आप की ओर से भी बाधा है। इसलिए मैं सदन का त्याग करता हू।

(श्री राजेन्द्रसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माता प्रसाद—

पाठ्यक्रम और किताबें इतनी ज्यादा हैं...

श्री राधेश्याम शर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री अधिष्ठाता—

(गणपूर्ति न होने पर)

अब कोरम के अभाव में हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन २ बजकर ३० मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया)।

श्रीपति सहाय,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
९ दिसम्बर, १९६६।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५३ पर]

शाहजहांपुर कलैक्टरी तथा उसके अधीनस्थ कोषागार, तहसील इत्यादि के एक हजार कर्मचारियों में से ३१-१०-६६ तक, निम्नलिखित ५२ कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वेतन अभिनवीकरण आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जा चुका है :—

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम		पद
१	श्री मो० जलील खां	..	डिस्पैचर।
२	श्री सीताराम द्वितीय	..	राजस्व लिपिक।
३	श्री मूलचन्द्र ..	..	राजस्व लिपिक।
४	श्री राम कृष्ण त्रिवेदी	..	राजस्व लिपिक।
५	श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता	..	राजस्व लिपिक।
६	श्री रतिपाल सिंह	..	राजस्व लिपिक।
७	श्री चन्द्रभाल धवन	..	राजस्व लिपिक।
८	श्री राधेलाल गुप्ता	..	नगर क्षेत्र लिपिक।
९	श्री स्वामी दयाल	..	पुस्तकाध्यक्ष।
१०	श्री द्वारिका प्रसाद	..	नायब नाजिर।
११	श्री अबरार हुसैन	..	नायब नाजिर।
१२	श्री प्रकाश बहादुर	..	राजस्व अभिलखापाल।
१३	श्री वासुदेव भटनागर	..	राजस्व अभिलेखापाल
१४	श्री मुरलीधर मिश्रा	..	कुर्क अमीन।
१५	श्री कौस्तुवा नन्दन लाल	..	सामान्य न्याय अभिलेखापाल।
१६	श्री स्यामस्वरूप नारायण	..	स्टेनो-कम-अहलमद, ए० डी० एम० (जे०)।
१७	श्री रामनाथ सेठ	..	नायब तहसीलदार।
१८	श्री देवलोक सिंह	..	नायब तहसीलदार।
१९	श्री रामनारायण मिश्रा	..	न्याय सहायक।
२०	श्री शंकर लाल	..	कोष लिपिक।
२१	श्री सियाराम	..	कोष लिपिक।
२२	श्री रामसरन लाल	..	सहायक मोहर्रिर न्याय।
२३	श्री बृजपाल सिंह	..	सहायक मोहर्रिर न्याय।
२४	श्री आनन्द स्वरूप	..	स्याहा नवीस
२५	श्री राम कुमार	..	पेशकार।
२६	श्री श्याम सुन्दर मिश्रा	..	पेशकार।
२७	श्री राजाराम	..	चपरासी नजारत।
२८	श्री प्रताप सिंह	..	चपरासी नजारत।
२९	श्री जितेन्द्र कुमार	..	पेशकार।
३०	श्री जगबीर सहाय	..	न्याय मोहर्रिर
३१	श्री के० के० श्रीवास्तव	..	नायब तहसीलदार।
३२	श्री देवेन्द्र सिंह	..	नायब तहसीलदार।
३३	श्री अवधबिहारी लाल	..	नायब तहसीलदार।
३४	श्री वी० सी० दीक्षित	..	नायब तहसीलदार।

क्रम-सं०	कर्मचारी का नाम		पद
३५	श्री शिवकुमार मिश्रा	..	प्रति लिपिक।
३६	श्री जगत सहाय	..	प्रति लिपिक।
३७	श्री अब्दुल नईम	..	प्रति लिपिक।
३८	श्री दलीप सिंह	..	नाजिर द्वितीय।
३९	श्री महेन्द्र सिंह	..	अहलमद।
४०	श्री शेर बहादुर	..	कोष लिपिक।
४१	श्री रामचन्द्र गुप्ता	..	सहायक वासिल बाकी नवीस।
४२	श्री राम कृपाल	..	संग्रह अमीन।
४३	श्री शिवमंगल सिंह	..	संग्रह अमीन।
४४	श्री अशफाक अली	..	संग्रह अमीन।
४५	श्री रामदास राम	..	सहायक दासिल बाकी नवीस।
४६	श्री जहीरुल हक	..	सहायक वासिल बाकी नवीस।
४७	श्री ओम् प्रकाश जौहरी	..	प्रति लिपिक।
४८	श्री राम प्रकाश बाजपेयी	..	अहलमद।
४९	श्री राज कुमार	..	अहलमद।
५०	श्री बेनी राम सिंह	..	पेशकार।
५१	श्री मूंगा नन्दन	..	स्याहा नवीस।
५२	श्री टी० एन० शुक्ला	..	नायब तहसीलदार।

३१-१०-६६ तक वेतन का भुगतान न होने के कारण :—

क्रमांक १ से १६ तक के विषय में:—इन कर्मचारियों के पदों का नाम वेतन अभिनवीकरण आयोग की रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। अतः जिलाधिकारियों ने इन पदों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा। क्रमांक १ से ७ तक के पदों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण शासन द्वारा दिया जा चुका है तथा जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि उक्त पदों के कर्मचारियों का नये वेतन की दर से तुरन्त भुगतान किया जाय। क्रमांक ८ से १६ तक के कर्मचारियों के पदों के सम्बन्ध में वेतन अभिनवीकरण विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा शीघ्र ही इस सम्बन्ध में भी आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

क्रमांक १७ के विषय में:—इस कर्मचारी के वेतन का भुगतान दक्षता रोक के कारण रुका पड़ा है।

क्रमांक १८ तथा १९ के विषय में:—इन कर्मचारियों की सेवा पंजिका जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त न होने के कारण वेतन का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

क्रमांक २० से २८ तक के विषय में:—इन कर्मचारियों के वेतन का बिल बनाना शेष है।

क्रमांक २९ से ३४ तक के विषय में:—इन कर्मचारियों के वेतन के बिल बन चुके हैं तथा भुगतान शेष है।

क्रमांक ३५ से ५२ तक के विषय में:—इन कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है तथा इनको भी शीघ्र भुगतान कर दिया जायगा।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५५ पर]

श्री के०बी० लाल, ओवरसियर के रिपोर्ट की दिनांक १८-१-६४ की प्रतिलिपि

गूड़ाखजरां-चन्दरौली रोड, बाराबंकी जिले में ९ मील लम्बी है और इसके बनाने का खर्च लगभग ९,००,००० रु० है।

पृष्ठभूमि--

लखनऊ, रायबरेली और बाराबंकी जिलों का नक्शा देखने से ज्ञात होगा कि बाराबंकी के दक्षिण में लखनऊ के पूर्व में और रायबरेली जिला के उत्तर में सीमावर्ती भाग के १५० वर्ग मील में कोई भी चालू सड़क नहीं है, जो पैदल चलने वालों की आवश्यकताओं को पूरी कर सके। गाड़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस इलाके की चिरकालीन आवश्यकता पर इस्वापुर निवासी श्री बाबा परमेश्वर दास का ध्यान गया। जिन्होंने जनता का दुःख दूर करने के लिए अपनी अथक कोशिश से एक कच्ची सड़क गूढ़ाखजरां से लेकर चन्दरौली रेलवे स्टेशन तक बनवा दी ताकि वह भूभाग एक ओर हैदरगढ़ बछरावां-रायबरेली रोड से और दूसरी ओर लखनऊ-सुल्तानपुर रोड (चन्दरौली रेलवे लाइन से होते हुए) से जुड़ जाय। उक्त सड़क का यह संरेखण उस क्षेत्र के रहने वालों की जरूरत के अनुसार है।

संरेखण और लम्बाई इत्यादि--

विचाराधीन सड़क रायबरेली-बछरावां-हैदरगढ़ सड़क (जिला रायबरेली में) के मील ४९, फर्लांग ४ के निकट ही है और उत्तर की ओर इस्वापुर, कैरा, दीरू, हाथीपुर और चन्दरौली से होते हुए अन्त में लखनऊ सुल्तानपुर रोड के मील २३, फर्लांग ४ में मिल जाती है। इस प्रकार दोनों जिलों में इसकी लम्बाई १५ मील है। बाराबंकी जिले में इसकी लम्बाई ९ मील है।

वर्तमान बनावट--

इस समय इस सड़क के किनारे कच्चे हैं और यह अधिकतर लम्बाई में २७ फट चौड़ी और एक फुट ऊंची है। दोनों किनारों पर अच्छी नालियां भी बनी हैं। कहीं-कहीं यह सड़क एक आध जगह थोड़ी लम्बाई में कट गयी है। क्योंकि खेतों के मालिकों ने उसकी भूमि आबादी को जन-हित में दान नहीं दी।

रख-रखाव--

इस सड़क को चालू हालत में बनाये रखने के लिए बाबा जी के २० निःस्वार्थी भक्तजन सारा साल प्रातःकाल से रात्रि तक बिना रुके काम किया करते हैं।

सड़क को पक्का बनाना--

सड़क को पक्का बनाने के पहले यह आवश्यक होगा कि इसका संरेखण कहीं-कहीं थोड़ा सा बदल दिया जाय और इस के इम्बैंकमेंट को भी ३२ फुट चौड़ा करना होगा।

सामान की उपलब्धि--

इस सड़क की अधिकतर लम्बाई के ३ मील के अर्द्ध व्यास में कंकड़ मिल जाता है और ईंट व चूना भी कई जगहों पर तैयार किये जा सकते हैं। मजदूर भी आसानी से मिल जाता है।

दरें--

भिन्न-भिन्न कामों की जो दरें लगायी गयी हैं स्थानीय हालत को देखते हुये केवल अंदाजिया है।

के० बी० लाल सक्सेना।
१९-१-६४।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६७ पर)

भारतीय जनसंघ, बरेली द्वारा प्रदर्शन एवं प्रस्तुत ज्ञापन

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
(द्वारा कमिश्नर महोदय, रूहेलखण्ड मण्डल, बरेली) ।

विषय:---बढ़ा लगान वापस हो, भूमि भवन-कर समाप्त किया जाय ।

मान्यवर,

अत्यन्त दुःख तथा दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हम किसानों को अनेक प्रकार से पीड़ा पहुंचा रही है । उसने गत वर्ष पाकिस्तान के आक्रमण के समय संकट-कालीन स्थिति के नाम पर हमारे लगान में चवन्नी की बढ़ोत्तरी की है । आज अन्नोत्पादन को बढ़ाने के लिए जब हमें अधिक लागत की बड़ी जरूरत है यह भार हम पर कर्ज का बोझ बढ़ाने वाला और हमारे आर्थिक जीवन को अस्तव्यस्त करने वाला तथा असल है । देश को खाद्यान्न में आत्म निर्भर बनाने में भी यह बाधक है । अतः हम किसानों की आग्रहपूर्वक मांग है कि लगान की बढ़ोत्तरी को तत्काल समाप्त कर दिया जाय ।

देश की खाद्य स्थिति चिन्ताजनक है इस दिशा में हम आत्मनिर्भर बन सकें इस का एक मात्र हल अन्न का अधिकतम उत्पादन बढ़ाना है । यह तभी सम्भव है जब कि सिंचाई की दरें सस्ती हों, स्थानिक साधनों जैसे खाद, कम्पोस्ट आदि पर अधिक बल दिया जाय तथा किसानों को सभी प्रकार की सुविधायें तथा प्रोत्साहन अन्नोत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जायें ।

नगरों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया हुआ भूमि भवन-कर समाप्त किया जाय । यह स्थानीय निकायों के क्षेत्र में हस्तक्षेप है । नगरपालिकाओं ने पहले से ही मकानों आदि पर भारी कर लगाया था फिर यह दोहरा टैक्स क्यों ? अतः नगरों में भूमि भवन-कर समाप्त किया जाये ।

महंगाई से देश में घोर चिन्ता छा गयी है । बढ़ती कीमतों के कारण गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुर्लभ हो गया है । अतः सरकार एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण कर महंगाई को रोके, कीमतों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित करे, मजदूरों एवं अन्य कम आय वाले व्यक्तियों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री सरकार देने की व्यवस्था करें । सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगों का महंगाई भत्ता वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एवं अन्य लोगों का महंगाई भत्ता वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया जाय ।

पुलिस एवं अन्य सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्याप्त शिथिलता को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाये, जिससे जनता में विश्वास पैदा हो सके तथा न्याय मिल सके । भ्रष्टाचार दूर कर शासन तन्त्र में सच्चरित्रता पैदा हो जाये । शासन जनतन्त्र की भावनाओं के अनुरूप हो सके, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७० पर)

प्रश्न सं० ५ के उत्तर में उल्लिखित बी० टी० सी० के चुनाव एवम् योग्यता की रूपरेखा

(१) बी० टी० सी० प्रशिक्षण की अवधि—करीब ।। मास एक ही शिक्षा सत्र।

(२) अभ्यर्थियों की योग्यता—पुरुष कम से कम हाई स्कूल (या उसके समकक्ष) की योग्यता रखें।

महिलायें कम से कम जूनियर हाई स्कूल (विद्याविनोदिनी को छोड़ कर) पास हों। हाई स्कूल पास को वरीयता दी जाती है।

(३)	आयु न्यूनतम	अधिकतम
पुरुष	१७	२४
महिलायें	१७	२७

न्यूनतम एवं अधिकतम आयु बन्धन से आवश्यकतानुसार छूट भी दी जाती है।

(४) चुनाव:—जिला स्तर पर चुनाव समिति होती है जिसका गठन निम्नांकित है :—

(१)	अध्यक्ष, जिला परिषद्	चेयरमैन
(२)	जिला विद्यालय, निरीक्षक	सदस्य
(३)	जिले के नार्मल स्कूलों के एक वरिष्ठ प्रधान अध्यापक/प्रधानाचार्या	सदस्य
(४)	शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद्	पदेन सचिव

नोट:—महिला अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए उप-बालिका विद्यालय निरीक्षका (यदि जिले में हो) तो सम्मिलित की जाती हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

तालिका

१—श्री सत्य नारायण गर्ग
२—श्री भगवान अगरवाल
३—श्री कृष्ण कान्त श्रीवास्तवा
४—श्री उपदेश नारायण श्रीवास्तवा
५—श्री विजय कुमार गुप्ता
६—श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा
७—श्री जगमोहन लाल
८—श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्ता
९—श्री फूल चन्द
१०—श्री रवि कुमार माथुर
११—श्री रमाकान्त पांराशर
१२—श्री विनोद कुमार त्यागी
१३—श्री राधाचरन अग्रबाल
१४—श्री महेन्द्र कुमार सिंहल
१५—श्री महाबीर प्रसाद
१६—श्री कैलाश शंकर दीक्षित
१७—श्री बिजय कुमार अग्रवाल
१८—श्री टुन्नी चन्द
१९—श्री भुबनचन्द पन्त
२०—श्री शैलेन्द्र नाथ इन्डले
२१—श्री राजीव कुमार
२२—श्री लक्ष्मी नारायण बन्सल
२३—श्री हरी कृष्ण मित्तल
२४—श्री जगदीश नन्दन रावत
२५—श्री प्रशान्त चैतन्य लाल
२६—श्री बृज गोपाल अग्रवाल
२७—श्री राम कुमार गोयल
२८—श्री पुरुषोत्तम दास शर्मा
२९—श्री ओंकार नाथ बाजपेयी
३०—श्री नरेन्द्र कुमार गोयल
३१—श्री सत्यबीर सिंह
३२—श्री हर प्रसाद
३३—श्री बृज मोहन मित्तल
३४—श्री विक्रमाजीत
३५—श्री अजय प्रकाश
३६—श्री महेश चन्द्र अग्रवाल
३७—श्री योगेन्द्र नाथ श्रीवास्तवा
३८—श्री प्रभातचन्द्र सिनहा
३९—श्री वीरेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तवा
४०—श्री राजकुमार कपूर
४१—श्री सुरेश चन्द्र
४२—श्री आनन्द अग्रवाल
४३—श्री मंगत राम अरोरा
४४—श्री रमेश चन्द्र गुप्ता
४५—श्री शिव कुमार गुप्ता
४६—श्री परमात्मा शरण
४७—श्री केदार नाथ
४८—श्री बृज मोहन सेठ

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७६ पर)

उर्दू पाठ्य-पुस्तकों के वर्ष १९६६-६७ के लिए प्रकाशकों (मुद्रकों) की सूची

क्रम-संख्या	पुस्तक का नाम		प्रकाशक (मुद्रक का नाम जहां से पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं)
१	बेसिक रीडर,	भाग १	.. मे० नसीम बुक डिपो, २५, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ।
२	,,	भाग २	.. मे० नामी प्रेस, ख्वाजा कुतुबद्दीन रोड, नक्खास, लखनऊ।
३	,,	भाग ३	.. मे० सर्फराज बुक एजेंसी, नादान महल रोड, लखनऊ।
४	,,	भाग ४	.. मे० असरार करीमी प्रेस, ५७, जांस्टनगंज, इलाहाबाद।
५	,,	भाग ५	.. मे० सैयद सखावत हुसैन इख्तियार अली, पुस्तक विक्रेता, फर्रुखाबाद।
६	बेसिक अंकगणित	भाग २	.. मे० रज्जाकी प्रेस, १९/२१७, पटकापुर, कानपुर।
७	,,	भाग ३	.. मे० अदारा फरोगे उर्दू, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।
८	,,	भाग ४	.. मे० अहबाब पब्लिशर्स, मकबरा आलिया, गोलागंज, लखनऊ।
९	,,	भाग ५	.. मे० असरार करीमी प्रेस, ५७, जांस्टनगंज, इलाहाबाद।
१०	कृषि और सरल विज्ञान	भाग १	.. मे० नकतबे बीनी अदब, कच्चा हाता, लखनऊ।
११	,,	भाग २	.. मे० सैयद सखावत हुसैन इख्तियार अली, पुस्तक विक्रेता, फर्रुखाबाद।
१२	,,	भाग ३	.. मे० रज्जाकी प्रेस, १९/२१७, पटकापुर, कानपुर।
१३	दबिस्तान		.. मे० प्रीमियर पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी।
१४	बहारिस्तान उर्दू		.. मे० किताबघर, अलीगढ़।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७८ पर)

रूप-पत्र १

अग्नि पीड़ित का नाम	हानि का विवरण	कुल हानि का मूल्यांकन	अहेतुक सहायता (रुपए में)
		रु०	
१—श्री धर्मराज उर्फ बिल्लर	.. टाल लकड़ी	४,०००	२५
२—श्री रामबली पुत्र बैजनाथ	.. ,,	१०,०००	..
३—श्री रामदास	.. ,,	१०,०००	..
४—श्री सुन्दर	.. ,,	४,०००	२५
५—श्री तेजू	.. ,,	७ ०	..
६—श्री राम सिंगार	.. ,,	१,०००	..
७—श्री रामचन्द्र प्रसाद शर्मा	.. ,,	२००	..
८—श्रीमती रूपाउ	.. घर का कुछ भाग	१००	२५
९—श्री तिलकधारी	.. ,,	५००	२५
१०—श्री कन्हैया बरई	.. ,,	२००	..
११—श्री भगवान प्रसाद	.. ,,	४,०००	२५
१२—श्री जमुना बरई	.. ,,	५००	..
१३—श्री हरनाम सिंह	.. ,,	२,०००	..
१४—श्री द्वारिका प्रसाद	.. ,,	१०,०००	..
१५—श्री रामा नाई	.. ,,	५००	..
१६—श्री पूरन	.. ,,	१,०००	..
१७—श्री महेन्द्र प्रताप	.. ,,	२००	..
१८—श्री विजय कुमार	.. ,,	५००	..
१९—श्री देवराज धोबी	.. ,,	१,०००	..
२०—श्री हरिशंकर लाल वकील	.. ,,	५,०००	..
२१—श्री इस्लाम	.. चोरी हुई लकड़ी	२००	..
२२—श्री रामगुलाम	.. बढ़ई गीरी का सामान।	२००	..
	योग	५,२२,००० रु०	१२५

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८० पर)

सूची 'क'

जिला फर्रुखाबाद में अप्रैल, ६६ से ३० जून, ६६ को अवधि में घटित ९५ अग्नि काण्डों से प्रभावित ग्रामों की घटना–क्रम के अनुसार सूची ।

(१) बिचमुरिया मजरे कड़बका, (२) पिथनापुर, (३) भरका, (४) बंथलशाहपुर (५) कन्हैयाकूबपुर, (६) नगला उमरसिंह म० खेमरगांव, (७) हैदरपुर, (८) मुहद्दीनगर, (९) करनपुर दत्त , (१०) कुटरा, (११) खारबन्दी (फर्रुखाबाद शहर का मुहल्ला घुमना) (१२) नगला थिल (बसेली), (१३) सिघीरामपुर, (१४) सवासी, (१५) महमदगंज, (१६) उधरनपुर लीलापुर, (१७) खुदायगंज, (१८) त्योरखास, (१९) मभापुर, (२०) पट्टीमदारी , (२१) कनाखी, (२२) शाहपुर, (२३) बेहरा बल्लू, (२४) मैसार, (२५) कारव, (२६) कुहईयां खेड़ा, (२७) हसनगंज मजरे कुआखेड़ा वजीर आलमखां, (२८) चमन-भगरिया (अंगीजपुर), (२९) शम्थाबाद, (३०) उधौपुर, (३१) किसरौली, (३२) धनीका नगला पुरौरी, (३३) शाहआलमपुर, (३४) भगवानपुर, (३५) लाड़मपुर दोथम, (३६) बांसखेड़ा, (३७) कटरी तोफीक गढ़िया हैवतपुर, (३८) वरई, (३९) नसरूल्लापुर, (४०) किसरोली, (४१) पुन्नारपुर देहामाफी, (४२) टुड़रापुर जमामर्दपुर, (४३) गुर-सहायगंज, (४४) नंगर मुरबा लाड़पुर, (४५) वरई, (४६) महमूदापुर खास, (४७) बेहटा खास, (४८) जाफराबाद, (४९) कसावा, (५०) गुरसहायगंज, (५१) खिरिया, (५२) सहाय भागमल, (५३) सिछमापुर, (५४) सुबरियापुर खड़नी, (५५) जलखिरिया नरमऊ, (५६) बांदमऊ, (५७) वैसपुर, (५८) राजपरकरना, (५९) शेषपुर, (६०) मलिकपुर, (६१) करनौली, (६२) उमरीपुर बनगवां, (६३) रोहली, (६४) रनधीरपुर, (६५) डुंडनाबुजुर्ग, (६६) चपुत्रा, (६७) करकईयासूर, (६९) जलालाबाद, (६९) नरा, (७०) पनवारा, (७१) गुगरापुर वांगर, (७२) वस्ता, (७३) गुगरापुर वांगर, (७४) लालपुर । राजपुर, (७५) सारौतोप, (७६) जलेसर अलीपुर, (७७) अस्करनपुरवा गंगधरापुर, (७८) माछा, (७९) भिदासिर, (८०) मौसमपुर मौरारा, (८१) सहतेपुरवा जसौरा, (८२) पुरवारापुर वरेवा, (८३) फीरोजपुर तारन, (८४) महमदपुर पैंठ, (८५) रसूलपुर सैंसरापुर (८६) विनोरा रामपुर, (८७) तिखांवा, (८८) मियांगंज, (८९) वस्ता, (९०) लोहागढ़, (९१) मुचुआपुर । उमरैन, (९२) खामा, (९३) पट्टी, (९४) मुबई रिहापक और (९५) जलालपुर ।

सूची 'ख'

अप्रैल, ६६ से ३०, जून, ६६ तक जिला फर्रुखाबाद में अग्निकाण्डों से हुई प्राणियों व पशुओं की मौत का ग्रामवार विवरण ।

क्रम सं०	नाम ग्राम	तहसील	जीवन हानि	
			मानव	पशु
१	विचपुरया कड़क्को	फर्रुखाबाद	..	१
२	नगला उमराय	..	..	४
३	महमदगंज	..	..	१
४	बेहटा बल्लू कायमगंज	..	..	..
५	कारब	..	..	३
६	कुईयाखड़ा	..	..	१
७	नगला घनी	..	..	५१
८	लाइमपुर दोयम	..	१	..
९	कटरी तौफीक	..	..	३०
१०	नसरुल्लापुर	..	..	२
११	कुन्थर देहामाफी	..	..	७
१२	टुंडरापुर छिबरामऊ	..	२	४
१३	नगापुरवा	..	..	१
१४	नदिमऊ	..	५	९
१५	गुगरापुर बांगर कन्नौज	..	..	१
१६	लालपुर राजपुर	..	..	१
१७	जलेसर अलीपुर	..	७	६
१८	गंगबरापुर	..	..	१
१९	भिदासिन	..	..	६
२०	सुहतेपुरवा	..	..	३
२१	फिरोजपुर तारन	..	..	३
२२	विनौरारामपुर	..	..	१९
२३	लोहागढ़	..	..	४
२४	खामा	..	१	२
२५	पट्टी	..	..	१
२६	जलालापुर	..	१	..
		कुल योग	१७	१६१

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८३ पर)

संलग्न सूचना

श्री मुनिन्द्र नाथ उपाध्याय, श्री ब्रजेन्द्र नाथ उपाध्याय तथा श्री दरशेश्वर नाथ के नाम इस प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में निम्नलिखित घाट हैं :—

ठेकेदार का नाम		घाट का नाम
श्री मुनिन्द्र नाथ उपाध्याय	..	१—काजी टोला फेरी, गाजीपुर
		२—यमुनाघाट फेरी, हमीरपुर
		३—बेतवाघाट फेरी, हमीरपुर
		४—मेहानाघाट फेरी, जालौन
श्री बृजेन्द्रनाथ उपाध्याय	..	१—वृन्दावन घाट, फेरी, मथुरा
		२—शेरगढ़ घाट फेरी, मथुरा ।

अविकल प्रति

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८६ पर)

उत्तर प्रदेश शासन [सार्वजनिक निर्माण (क) विभाग] की विज्ञप्ति सं० ४३७८ सी०२३ पी० डब्ल्यू० ए/४४७ सी/५८ दिनांक अगस्त १४, १९५८ की प्रतिलिपि

विज्ञप्ति

इंडियन टौल्स ऐक्ट १८५१ (ऐक्ट सं० ८,१८५१) की धारा २ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा विज्ञप्ति सं० ५४९५(३) सी / २३ पी डब्ल्यू ए / २१७ सी / ५३, दिनांक १ नवम्बर, १९५६ के पैरा २ के अनुसरण में उत्तर प्रदेश के गवर्नर विज्ञापित करते हैं कि निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित पुलों पर उपर्युक्त विज्ञप्ति में दी गई शर्तों और दरों के अनुसार पथकर लगेगा ।

अनुसूची

क्रम-सं०	जिला का नाम	पुल का नाम
१	गोंडा	बाराबंकी—गोंडा सड़क के ४८वें मील में टेढ़ी पुल ।
२	बहराइच	बहराइच—बहरामघाट सड़क के २रे मील में सरजू का पुल ।
३	गोरखपुर ..	गोरखपुर—फरेन्दा के ९वें मील में रोहिन नदी पर पुल ।
४	देहरादून ..	देहरादून—ऋषिकेश सड़क के १३वें मील में सौंग नदी के ऊपर पुल ।

रघुबीर शरण दास,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५७ एल० ए०—१९६७—८४६ ।